खण्ड-393, अंक-4
शुक्रवार, 7 आश्विन, शक संवत् 1911
(29 सितम्बर, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1989)

खण्ड 393 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को उठाने का प्रयास	..	3–4
प्रश्नोत्तर	..	5–89
जनपद बरेली के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डाक्टर आर० एन० सिंह के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	89
उत्तर प्रदेश जल निगम में रिक्त मुख्य अभियन्ता के पदों पर आरक्षण पूरा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	90
जनपद बहराइच के चकबन्दी विभाग में कार्यरत स्व० श्री सुखलाल के आश्रित को तथा अन्य आश्रितों को भी सेवा में लिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	90
सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ के निदेशक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	91
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कार्यक्रम में राज्य सचिवालय कर्मियों द्वारा गति अवरोध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	91
लखनऊ विश्वविद्यालय के एम० बी० ए० प्रवेश में आरक्षण पूरा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	92
जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के ग्राम मानपुर राह में अनधिकृत कब्जों से मार्ग अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	92
जनपद आगरा की किरावली तहसील में अतिवृष्टि से हुई क्षति हेतु किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	93
जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में कासना औद्योगिक केन्द्र खोलने हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	93
जनपद आगरा के आई० टी० आई० कालेज में प्रशिक्षणार्थियों के चयन में धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ शहर के कानपुर रोड स्थित इन्द्रलोक कालोनी तथा कृष्णा नगर थाने की सड़क को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद उन्नाव की नगरपालिका शुक्लागंज में जल निकासी व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94–95
जनपद फिरोजाबाद में कार्यालय एवं आवासों के निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
जिला बिजनौर की तहसील शेरकोट के कक्ष परिसीमन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95–96
जनपद आजमगढ़ में भंवर नाथ मन्दिर से तहबरपुर मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील सदर, थाना निजामाबाद के ग्राम भूरीपुर में साम्प्रदायिक तनाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96–97
वाराणसी जिलान्तर्गत ब्लाक पिंडारा में रसूलपुर–टिकरी मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
जनपद मुरादाबाद के थाना मेनाटेर की पुलिस के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
जनपद अलीगढ़ के कतिपय गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
सीनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाये जाने हेतु गिरफ्तारियां दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98–99
गाजीपुर जिलान्तर्गत गाजीपुर–चोचकपुर मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
गाजीपुर जिलान्तर्गत जखनिया ब्लाक में रायपुर छोटना मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99–100
गाजीपुर जिलान्तर्गत ब्लाक कासिमाबाद के कतिपय मार्गों का अधूरा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों में ट्रान्सफार्मरों की खराबी से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100–101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर कासमाबाद आदि में ट्रान्सफार्मरों के जले होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
जनपद मथुरा में मांट क्षेत्र के कतिपय गांवों की यमुना नदी के कटान से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101–102
जनपद बांदा के अतर्रा तहसील में स्थित राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक बलिका विद्यालय का निजी भवन न होने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
जनपद उन्नाव के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
प्रदेश के पुष्टाहार एवं बालविकास परियोजना के निदेशक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद बस्ती में किसान इण्टर कालेज के बगल से जाने वाली सड़क के निर्माण में विलम्ब तथा धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103–104
जिला बलिया में मालगोदाम स्थित हरिजन कालोनी एवं जगदीशपुर स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवनों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
प्रदेश के असहायता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों व कर्मचारियों की न्यायोचित मांग को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्यर्गत सूचना ..	104
बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा के विद्युतीकरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
जनपद मऊ की घोसी तहसील में घाघरा नदी के कटान से कतिपय गांवों की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105–106
प्रदेश के प्लाईवुड उद्योग में लगे श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
जनपद सहारनपुर की नकुड़ तहसील पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
प्रदेश के अंशकालिक नलकूप चालकों की मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से हुई तबाही से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
जिला जालौन के हरिजनों को उनकी भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107–108
लखनऊ स्थित उपनिबन्धक कार्यालय में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
लखनऊ के आलमनगर क्षेत्र स्थित आवासी कब्रिस्तानों को आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108–109
जनपद प्रतापगढ़ के उपनिबन्धक कार्यालय में हुई अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
जनपद अलीगढ़ के कतिपय गांवों में भारी पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
सहकारिता विभाग के संग्रह योजना कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर तथा जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड टूंडला तथा नारखी के ग्रामीण अंचलों के मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110–111
जनपद मुजफ्फर नगर की चीनी मिल मंसूरपुर द्वारा किसानों तथा गन्ना समिति, मंसूरपुर के बकायों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
जनपद बांदा की कर्वी तहसील में ग्राम समाज की भूमि को अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
जिला मुरादाबाद में तिगरी तथा सुनपुरा खुर्द ग्रामों के बीच फीडर चैनल पर पीपे का पुल अविलम्ब बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
जिला फतेहपुर के सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक द्वारा सरकारी धन व संसाधनों का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112–113
जिला फतेहपुर में बिंदकी रोड पर स्थित फैक्ट्रियों से अत्यधिक प्रदूषण होने के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
हरिद्वार जिलान्तर्गत लक्सर क्षेत्र के कतिपय गांवों में वर्षा से जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113–114
प्रदेश में हो रही चीनी की चोरबाजारी के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा की सेवा सुविधाओं में अनियमितता एवं लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
जिला सहकारी बैंक के सचिव द्वारा फर्जी आदेशों से अवैध धन कमाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
जनपद फैजाबाद के थाना इब्राहीमपुर की पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116
लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र की लखनऊ विकास प्राधिकरण की हिन्दनगर कालोनी के भूतल आवंटियों को प्रथम तल भी आवंटित किय जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116
ग्राम सभा डिडोहा, जिला बस्ती, तहसील सदर की ग्राम समाज की भूमि व चक रोडों पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116-117
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें ..	117
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें ..	117
नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 तथा उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	117
मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिये जाने की मांग ..	117-118
विधान सभा वर्ष 1989 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण एवं शुद्धि-पत्र--(सदन के पटल पर रखा गया) ..	118
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार--(सदन के पटल पर रखा गया) ..	119
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988---(सदन के पटल पर रखी गई) ..	119
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1984 में संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु गठित एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेतन-- (सदन के पटल पर रखा गया) ..	119
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989-- (सदन के पटल पर रखा गया) ..	119
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989--(सदन के पटल पर रखा गया) ..	120

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989--(सदन के पटल पर रखा गया)	..	120
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989--(सदन के पटल पर रखा गया)	..	120
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989--(सदन के पटल पर रखा गया)	..	120
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	120-121
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	121-124
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	124-127
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	127-129
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	129-132
उत्तर प्रदेश, डा0 भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989--(पारित)	..	132-156
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	156-157
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	157-162
उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989--(पारित)	..	162-171
उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989--(पारित)	..	171-172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	172
नत्थियां	..	175-193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अमर चन्द्र, श्री (आगरा)
अमिताभ अनिल दुबे, श्री (गाजीपुर)
अमिताभ लवानियां, श्री (आगरा)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कृष्ण कुमार, श्री (फैजाबाद)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
नरेश पाल सिंह यादव, श्री (बदायूं)
निसार हुसैन, श्री (रामपुर)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री (सीतापुर)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मोती राम सांगुडो, श्री (नैनीताल)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री (बस्ती)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 के अन्तर्गत दिए गए प्रस्ताव को उठाने का प्रयास

(सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, किशन लाल, किशन लाल दिलेर, देवेन्द्र कुमार सिंह, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, मयंकर सिंह, औसान सिंह, श्याम बिहारी सिंह, सूर्य प्रताप शाही, हरिश्चन्द्र, हरीश, कुंवर मानवेन्द्र सिंह डा0 दिनेश जौहरी व श्री धनराज यादव तथा निर्दलीय सदस्य श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह भी सदन के फ्लोर पर बैठे हुए थे। श्री अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही उक्त सदस्यगण जोर-जोर से उर्दू विधेयक वापस लो, उर्दू विधेयक वापस लो के नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के दौरान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत आपको प्रस्ताव दिया है कि 50 आदमी कल बदायूं में मारे गए, यह सरकार हिन्दू और मुसलमान के बीच साम्प्रदायिक दंगे कराने पर तुली हुई है....

(शोर)

(इसी बीच सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, शारदानन्द अंचल, शफीकुर्रहमान बर्क, शतरुद्र प्रकाश तथा अब्दुल वहीद कुरैशी आदि सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ते हुए नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के प्रयास से उक्त सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, 50 आदमी बदायूं में मारे गये और स्थिति वहां की आज भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सुन लिया जाए।....

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष —

जब इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगा ? कृपया शांति बनाए रखें।.....

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, नेता सदन व मान्यवर नेता विरोधी दल जब सभी लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो मैं कैसे कुछ भी सुन सकूंगा ? कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें, कृपया बैठ जाएं, तभी किसी की बात को सुना जा सकता है.....

(शोर)

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि मुझे निश्चित रूप से जानकारी मिली है कि बदायूं में इसी उर्दू के मामले को लेकर 50 लोग मारे गए हैं। इसी बात को मैं नियम 311 के अन्तर्गत कहना चाहता हूं, जिसकी सूचना मैंने पहले आपको दे दी है कि यह सरकार हिन्दू और मुसलमान के बीच साम्प्रदायिक सदभावना को बनाए रख पाने में पूर्णतया विफल हो गई है और इस सरकार की गलत नीति के कारण जितनी भी शक्तियां हैं चाहे वह शक्ति हिन्दू के पास हो या चाहे वह शक्ति मुसलमान के पास हो, को बढ़ावा मिल रहा है और यह सरकार उसको रोक पाने में, व्यवस्थित कर पाने में पूरी तरह से बिफल हो रही है, और इन्हीं कारणों से दोनों वर्गों के बीच जगह-जगह पर आये दिन घटनाएं हो रही हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी लोग यह चाहते हैं कि यह विफल सरकार के मुख्य मंत्री तत्काल इस्तीफा दें और इस ज्वलंत समस्या पर प्रश्न काल को स्थगित करते हुए चर्चा कराएं क्योंकि इतना बड़ा नर-संहार उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ और भविष्य में इस ओर कोई घटना न घटे, इसके लिए चर्चा आज ही कराइए ताकि कोई हल निकल सके ...

(घोर व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शफीकुर्रहमान वर्क आदि सदस्य नियम 311 के प्रस्ताव को सुन जाने की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गए जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

12.30 बजे अपराह्न तक के लिए सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय जनतापार्टी के सदस्य जो सदन के फ्लोर पर पहले से ही बैठे थे "उर्दू विधेयक वापस हो, वापस हो," के नारे लगाने लगे जिससे सदन मे पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 29 सितम्बर, 1989

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग/प्रवर वर्ग एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर आरक्षण की पूर्ति

**1--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कुल कितने अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक तथा पी० ए० हैं ? क्या उक्त पदों में आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार की भांति उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अनुमोदित अवर वर्ग सहायक 658, अनुमोदित प्रवर वर्ग सहायक 670 तथा 392 पी० ए० हैं । उक्त पदों में आरक्षण पूर्ण नहीं है । विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है ।

प्रदेश में तहसीलदार के रिक्त पदों की भरने की मांग

**2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बड़ी संख्या में तहसीलदार के पद रिक्त होने के बावजूद उन रिक्त पदों पर नियमित चयन नहीं किया जा रहा है ? इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री माता प्रसाद)--

वर्तमान में तहसीलदार संवर्ग में कुल 452 पदों के विपरीत केवल 67 पद रिक्त हैं । उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगी है । उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1985 के पूर्व तदर्थ रूप से प्रोन्नत 98 तहसीलदारों की सेवायें विनियमित की जा चुकी हैं । मौलिक रूप से नियुक्त नायब तहसीलदारों की कोटिक्रम सूची को परिषद् द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है जिसके उपरान्त रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश के कतिपय जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अगस्त, 1989 के आखिरी हफ्ते में सरकार ने कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है ? यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं और उन जिलों में वर्षा का वर्ष 1989 का औसत क्या है ? क्या सरकार इसी क्रम में उन्नाव, राय बरेली, कानपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर आदि जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं ।

शासन द्वारा किसी जनपद को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का प्राविधान नहीं है । माह अगस्त तक जनपद बिजनौर, एटा, शाहजहांपुर, मेरठ, फतेहपुर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, आगरा, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद, कानपुर देहात, झांसी व बांदा के जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में खरीफ की फसल को वर्षा की कमी से हुई क्षति की सूचना प्राप्त हुई थी । प्रतिशत में हुई क्षति का विवरण संलग्न है । इन जनपदों में माह अगस्त की औसत वर्षा व वास्तविक वर्षा का विवरण भी संलग्नक में है ।

जी नहीं ।

क्योंकि शासन द्वारा किसी जनपद को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने का प्राविधान नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 195_ के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के उपरान्त भी आगरा में भारत स्टोर नामक संस्था की कथित जमींदारी

*1--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम रशीदपुर कनेडा, नगला सोती और मौजा दतौसी आदि में "भारत स्टोर" नामक संस्था की जमींदारी आज भी विद्यमान है ? यदि हां, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के लागू हो जाने के बाद प्रदेश के ग्रामों में "भारत स्टोर" नामक संस्था की जमींदारी समाप्त न करने का क्या कारण रहा ? क्या यह सत्य है कि इस जमींदारी प्रथा से ग्राम रशीदपुर कनेरा, नगला सोती और दतौसी के अलावा ग्राम अकलपुर दामोपुर, मौढ़ा दोकेली और जमालपुर के काश्तकार भी प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि दिनांक 22 अगस्त, 1988 को प्रश्नकर्ता का पत्र उनको इस आशय का मिला है ? यदि हां, तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु क्या कार्यवाही सरकार ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जमींदारी प्रथा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम रसीदपुर कनेटा, नगला सोती तथा मौजा दतौसी की जमींदारी समाप्त की जा चुकी है । अतएव आस-पास के ग्राम आकलपुर, दामोदरपुर, मौड़ा, दौकेली तथा जमालपुर के काश्तकारों के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्नकर्ता का एतद्विषयक पत्र, दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 ही अभिलेखों में उपलब्ध है, जिस पर प्रश्नगत ग्रामों में जमींदारी समाप्त हो जाने के फलस्वरूप अब किसी कायवाही की आवश्यकता नहीं रह गई है ।

प्रदेश के जनपदों में नगर क्षेत्रों की अकृषिक भूमि की जमींदारी अभी कायम है, जिसे समाप्त करने के लिए विधिक व्यवस्था की जा रही है ।

मोहन गोल्ड वाटर बीवरीज लि0, लखनऊ के मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का गबन

*2--श्री अशोक बाजपेयी, श्री भोपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा), श्री कौशिक रमाशंकर, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री यदुनाथ सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री भगवती सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0, लखनऊ के मालिकों ने मजदूरों के प्रोवीडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी की धनराशि में हेराफेरी ही नहीं बल्कि उसका गबन कर उसे जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अपराध के लिए कम्पनी के मालिकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (सैय्यद सईदुल हसन)--

यह कहना सही नहीं है कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0, लखनऊ के मालिकों न मजदूरों के ग्रेच्युटी की धनराशि में हेराफेरी की है परन्तु प्रावीडेन्ट फण्ड की धनराशि को भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित नहीं किया है ।

भविष्य निधि सम्बन्धी कार्य भारत सरकार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा देखा जाता है । उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार सेवायोजकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत तथा भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश हो गये हैं ।

[शुक्रवार दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद बाराबंकी के ग्राम मानपुर राह में कथित कतिपय गाटों की भूमि पर अवैध कब्जा

*1--श्री जमुना प्रसाद बोस--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मानपुर राह, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में स्थित खसरा संख्या 61, 67, 70, 73, 80, 84, 99, 83, 99, 65, 75, 101 तथा 113 पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर से अविलम्ब अनधिकृत कब्जों को हटवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम मानपुर राह, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में स्थित गाटा संख्या 73, 75, 83, 84 व 113 पर अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया । गाटा संख्या 61, 65, 67, 70, 80, 99 व 101 पर अनधिकृत कब्जा पाया गया । अनधिकृत काबिजदारों के विरुद्ध तहसीलदार नवाबगंज के न्यायालय में ज0 वि0 अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत वाद विचाराधीन हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उप निदेशक फैक्ट्री (मेडिकल) के पदों पर श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति

*3--श्री संतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उपनिदेशक फैक्ट्री (मेडिकल) के पदों पर श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति का प्राविधान वर्तमान समय में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चिकित्साधिकारियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र दो अवसर ही उपनिदेशक फैक्ट्री (मेडिकल) एवं चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि वांछित शैक्षिक योग्यताओं और अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के होते हुए भी उपनिदेशक, फैक्ट्री के पद को रद्द करते हुए इसे "अपग्रेड" कर प्रशासन को दिए जाने हेतु मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों की लम्बी सेवा अवधि में मात्र दो पदोन्नति के अवसर को देखते हुए उपर्युक्त पदों पर इन्हीं की पदोन्नति हेतु आदेश देते हुए पद को "अपग्रेड" करने के आदेश निरस्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

जी हां। श्रम विभाग के चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) ही उप निदेशक, कारखाना (मेडिकल) के पद हेतु पात्र हैं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, दनकौर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा ग्राम हल्दौना के असंक्रमणीय भूमिधरों की भूमि का स्थानान्तरण

*4--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, दनकौर, जनपद बुलन्दशहर ने दिनांक 10 अक्तूबर, 1987 को ग्राम हल्दौना के असंक्रमणीय भूमिधरों की भूमि गाटा संख्या 172/2, 182/8, 182/10, 172/7, 182/16, 182/14, 182/11/2, 182/6, 172/3, 175/3, 172/9, 182/4 के स्थानान्तरण किए जाने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा एवं उपरोक्त स्थानान्तरण रद्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं। सहायक चकबन्दी अधिकारी, दनकौर ने आदेश दिनांक 10 अक्तूबर, 1987 द्वारा जो0 च0 अ0 की धारा 12 के अन्तर्गत गाटा संख्या 172/7, 172/9, 182/11/1, 182/11/2, 182/16, 182/6, 182/10/1, 182/10/2, 182/4, 182/8 पर बतौर मुख्त्यार आम नाम दर्ज किये हैं।

सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी एक अन्य मामले में पहले से ही निलम्बित हैं। उसे इस मामले के सम्बन्ध में भी पूरक आरोप-पत्र किया गया है।

उक्त अनियमित आदेश को निरस्त कराने के लिए चकबन्दी आयुक्त द्वारा निदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोंडा में बलरामपुर नामक नया जिला बनाये जाने का प्रस्ताव

*5--श्री फसी उर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा जैसे विशाल जिले में बलरामपुर के नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसको नया जिला घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं ।

नई तहसीलों/जिलों/मंडलों के सृजन एवं पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा प्रान्तीय रीबेट को कालातीत माने जाने का औचित्य

*6--भगवती सिंह विशारद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 2रे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वराज्य आश्रम, सर्वोदय नगर, कानपुर ने अपने रिबेट मांग-पत्र को उत्तर प्रदेश राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, कानपुर को कब प्रस्तुत किया था और उन्हें यह रिबेट मांगपत्र कब प्रस्तुत करना चाहिये था ? स्वराज्य आश्रम, सर्वोदय नगर, कानपुर की भांति कुल कितनी खादी ग्रामोद्योग संस्थायें हैं जिन्हें रिबेट मांगपत्रों की धनराशि को स्वराज्य आश्रम की भांति कालातीत मान लिया गया है ? इस प्रकार सभी संस्थाओं की कालातीत धनराशि कुल कितनी है और क्या यह सही है कि इन सभी संस्थाओं ने अपने-अपने रिबेट मांगपत्र समय से प्रस्तुत किये थे ? क्या सरकार अब इन खादी संस्थाओं की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुये सन्दर्भित कालातीत धनराशि का भुगतान करेगी ?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तराई अनुसूचित जाति निगम द्वारा तेन्दू के पत्ते के विक्रय में कथित घोटाले की जाँच

*7--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस वर्ष लगभग 16 हजार कुन्टल तेन्दू के पत्ते को, जिसकी कीमत बाजार में 1 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक थी, को मात्र 64 लाख रुपये में बेचकर निगम को एक करोड़ रुपये की क्षति पहुंचायी गयी है ? क्या यह सत्य है कि तेन्दू के इन पत्तों के संग्रहण में 40 लाख रुपये व्यय करना पड़ा है तथा 50 लाख रुपये वन निगम को रायल्टी देनी है ? यदि हां, तो लागत मूल्य से 30 लाख रुपये कम मेंअ तेन्दू पत्ते को किन परिस्थितियों में बेचा गया ? इस अनियमितता के लिये दोषी कारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्रीमती दोषा)—

इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

हरदोई जनपद के मल्लावां निवासी बुनकरों का प्रदत्त सुविधायें

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां निवासी बुनकरों को उनकी बदहाली से मुक्त करने हेतु शासन द्वारा कोई सुविधा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ? क्या शासन यहां के बुनकरों की विशाल आबादी को देखते हुये किसी विशेष योजना या कार्यक्रम पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

जनपद हरदोई के मल्लावां कस्बे के बुनकरों को सूत का वितरण एवं उत्पादित वस्त्रों के क्रय की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है इसके अतिरिक्त ऋण की सुविधायें, करघों के आधुनिकीकरण, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को विक्रय केन्द्र की स्थापना, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति को हिस्सा पूंजी ऋण, अंशदायी बचत योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी सुविधाओं की योजनायें चलाई जा रही हैं । वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत मल्लावां (हरदोई) कस्बे के बुनकरों को सभी विभागीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं । अतएव किसी अन्य योजना को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रदेश में वित्त विकास निगम के स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुदान की छूट बढ़ाने की मांग

*9—श्री बलराम यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि वित्त विकास निगम के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत पम्पिंग सेट लगाने हेतु अनुदान लागत का 50 प्रतिशत 5000 रुपये तक का छूट कृषकों को दी जाती थी और अब शासन के पत्र संख्या 4905/स्पे0 कम्पो0/26-3-88, दिनांक 9 जनवरी, 1989 के आदेश द्वारा अनुदान छूट घटाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों जबकि सारे सामान मंहगे हो हुये हैं ? क्या सरकार अनुदान सीमा में छूट की धनराशि बढ़ाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दोषा—

जी हां ।

लघु/सीमान्त कृषकों को पम्प सेट क्रयार्थ अनुदान दिये जाने की योजना ग्राम विकास तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग दोनों के द्वारा संचालित की जा रही है । ग्राम विकास विभाग द्वारा उक्त अनुदान राशि का कम करने के कारण एकरूपता की दृष्टिकोण से अनुदान की छूट घटा दी गयी थी ।

पुनर्विचारोपन्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1989 द्वारा पम्पसेट के क्रय की अनुदान लागत सीमा बढ़ाकर 50% अथवा 5000 रु0 जो भी कम हो, कर दी गई है ।

प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव

*10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भरण पोषण हेतु कोई आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो कितना रुपया मासिक तथा उसे प्राप्त करने का तरीका क्या होगा ?

श्रीमती दीप'—

जी हां।

यह प्रकरण वित्तीय पहलुओं से सम्बद्ध है और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रस्ताव/निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मामला शासन के परीक्षणाधीन है ,

प्रदेश के संरक्षण गृहों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियत वेतन पर नियमित नियुक्ति करने की मांग

*11—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संरक्षण गृहों में तैनात (फिक्स वेतन दर) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, विभाग द्वारा संचालित रा0 आश्रम पद्धति विद्यालयों, बाल विकास परियोजनाओं में सृजित होने वाले नये चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

प्रश्नगत संस्थाओं में कोई भी राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियत वेतन पर नियुक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12—श्री हरेन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मिर्जापुर में प्रस्तावित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय बनाने हेतु कृत कार्यवाही

*13—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर में प्रस्तावित जनपद के मुख्यालय को चोपन या मारकुंडी की पहाड़ी के नीचे बनाये जाने के संबंध में चोपन में चलाये जा रहे आन्दोलन के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र की प्राप्ति मुख्य मंत्री जी द्वारा सं0 सी0 एम0 वी0 को6/एम0—2/2—63/के/89, दिनांक 23—1—89 द्वारा स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जनपद सोनभद्र का अस्थायी मुख्यालय राबर्ट्सगंज में रखा गया है तथा स्थायी मुख्यालय के निर्धारण पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश मे वर्तमान जोत हदबन्दी कानून में संशोधन की मांग

*14--श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान जोत हदबन्दी कानून में सीलिंग की सीमा के संबंध में सरकार कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह संशोधन क्या है ?

श्री माता प्रसाद---

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर और टाण्डा तहसीलों को मिलाकर अकबरपुर नया जिला बनाने की मांग

*15--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जब कानपुर देहात को नया जिला बनाने का निर्णय लिया गया था तथा मुरादाबाद मण्डल की स्थापना रुहेल खण्ड मण्डल से काट कर की गई थी उसी समय जनपद फैजाबाद में अकबरपुर को भी नया जिला बनाने पर विचार किया गया था ? क्या यह सही है कि माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी ने भी दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 को माननीय राजस्व मंत्री को एक पत्र लिखकर अकबरपुर को जिला बनाने का समर्थन किया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद की अकबरपुर और टाण्डा तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला अकबरपुर के नाम से बनाने और उसका मुख्यालय अकबरपुर करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश में नये जिलों तहसीलों एवं मण्डलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

*16--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[उरे मंगलवार में ता0 प्र0 संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में गवर्नमेन्ट ग्राण्ट अधिनियम के अधीन अनुसूचित जाति एवं निर्बल वर्गों को आवासीय भूमि का आवंटन

*17--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या राजस्व मन्त्री को विदित है कि टिहरी गढ़वाल जनपद में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम समाज की स्थापना का प्राविधान न होने के कारण कोई बेनाम भूमि ग्राम सभाओं के पास नहीं है जिससे हरिजनों एवं अन्य निर्बल वर्गों के पास भवन निर्माण हेतु ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवास

स्थल उपलब्ध न होने के कारण आवास निर्माण में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या गवर्नमेन्ट ग्राण्ट अधिनियम के अधीन भूमि पट्टे पर निर्बल वर्ग को दिए जाने का कोई निर्देश शासन ने दिया है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में उक्त योजना के अधीन कितने आवास स्थल उक्त वर्ग को आवंटित किये गये हैं ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली भूमि गवर्नमेन्ट ग्राण्ट अधिनियम, 1895 के अधीन निर्बल वर्गों को पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था है । जिसके सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 1987 को निर्गत किया गया है । वर्ष 1972-73 से जनपद टिहरी गढ़वाल में 3422 अनुसूचित जाति एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को 42.888 हेक्टेयर भूमि आवास स्थल हेतु आवंटित की गई है ।

कानपुर की कपड़ा मिलों में कार्यरत श्रमिकों की वेतन बढ़ोत्तरी

*18--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की कपड़ा मिलों में कार्यरत श्रमिकों पर लागू किये गये के0 के0 पाण्डेय एवार्ड, जिसके विरोध में रेलों का चक्का जाम करने का आन्दोलन चलाया गया था, को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या ऐसे श्रमिकों को 60 रु0 प्रतिमाह के हिसाब से एवार्ड से पहले से मिलने वाली तदर्थ वेतन वृद्धि उनके वेतन का अंग मानकर मिलते रहने की भी घोषणा की गई है ? यदि हां, तो क्या यह 60 रु0 प्रतिमाह की वेतन बढ़ोत्तरी कानपुर की सूती मिलों में कार्यरत उन बदली श्रमिकों पर भी लागू करने की घोषणा करेंगे जिन्हे अभी तक उस तदर्थ वेतन वृद्धि से वंचित रखा गया था ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

यह सही है कि राजाज्ञा सं0 1617 (एच0आई0)/36-2-137 (एस0एम0)/85, दिनांक 27 फरवरी, 1989 द्वारा के0 के0 पाण्डेय एवार्ड को रद्द कर दिया गया है ।

60 रु0 प्रतिमाह की वेतन वृद्धि स्थायी एवं बदली श्रमिकों को के0 के0 पाण्डेय एवार्ड निरस्त होने के बाद भी मिल रही है ।

शासकीय अधिसूचना सं0 8047 (एच0आई0)/36-2--137 (एस0एम0)/85, दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 के प्राविधान के अनुसार केवल स्थायी तथा बदली श्रमिकों को ही यह बढ़ोत्तरी अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज तहसील के बड़हरा महावन कोट में शंकर एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा सीलिंग की भूमि का अनियमित ढंग से आहरण

*19--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने [illegible] गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के गांव बड़हरा महावन कोट में [illegible]

इन्डस्ट्रीज द्वारा सीलिंग की भूमि को फर्जी तरीके से अनुसंधान कार्य बताकर हड़पने की शिकायत की थी जिसकी जांच तत्कालीन परगनाधिकारी महराजगंज ने की थी और जांच में यह पाया कि उक्त सीलिंग की जमीन पर कोई गन्ना विकास सम्बन्धी शोध कार्य नहीं होता है बल्कि खेती होती है ? क्या यह भी सच है कि जांच के दौरान तथा कथित शोध संस्थान सम्बन्धी कोई कार्यालय अधिकारी कर्मचारी या रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ ? यदि हां, तो जालसाजी करने तथा शासन को धोखा देने के आरोप में सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और अतिरिक्त घोषित भूमि को पात्रता के आधार पर अब तक बंटवारा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।]

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है । अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है । ग्राम महावन खोर उर्फ बड़हरा में 77.17 एकड़ भूमि शंकर सुगर मिल, कप्तानगंज, देवरिया के के नाम अंकित थी जो नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त घोषित की गई थी । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील आदेश दिनांक 7 जनवरी, 1989 द्वारा नियत प्राधिकारी को रिमाण्ड की गई है । चूंकि भूमि अभी अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है अतः अभी आवंटन का प्रश्न नहीं है । जांच रिपोर्ट *संलग्न है ।

(देखिए परची 'ख' आगे पृष्ठ 176 पर ।)

जिला मथुरा की छाता तहसील में आई0 टी0 आई0 खोलने का प्रस्ताव

*20--श्री लक्ष्मी नारायण--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील छाता, जिला मथुरा में आई0 टी0 आई0 विद्यालय खोला जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कक्षायें कब तक प्रारम्भ होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जिला योजना समिति, मथुरा से तहसील छाता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम आसरे वर्मा--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के कतिपय कार्य मुक्त सहायक अभियन्ताओं को सेवा में लिये जाने की मांग

2--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के 4 सहायक अभियन्ताओं की सेवायें निगम द्वारा समाप्त कर

दी गयी है जबकि ये सहायक अभियन्ता गत डेढ़ वर्षों से निगम में कार्यरत हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि निगम में सहायक अभियन्ताओं की सेवाओं की अभी भी कमी है ? यदि हां, तो फिर इन अभियन्ताओं की सेवाओं को समाप्त किये जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी बेरोजगार हुए सहायक अभियन्ताओं को पुनः सेवा का अवसर प्रदान कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती वीणा—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के फतेहपुर-सीकरी में बरी और फर्श उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को लाभांश दिलाने की मांग

3—श्री बदन सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि आगरा की फतेहपुर-सीकरी कस्बे में बरी और फर्श उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में है ? यदि हां, तो उन उद्योगों में लगे हुए हजारों कारीगरों को उनका लाभांश न दिलाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस उद्योग को चलाने के लिए फतेहपुर-सीकरी आगरा में कुल फर्जी सहकारी समितियां भी पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो इन फर्जी रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को शासन अब तक समाप्त क्यों नहीं कर पाया है ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी नहीं ।

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित गोंड़ जाति के प्रमाण-पत्र धारकों के प्रमाण-पत्र न निरस्त करने के आदेश

4—श्री अकबर हुसैन अंसारी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित गोंड़ जाति के प्रमाण-पत्र धारकों के प्रमाण-पत्र निरस्त न करने के शासनादेश दिये गये हैं और शासनादेश के आधार पर फैजाबाद जनपद में प्रमाण-पत्र धारकों व उनके परिवारजनों को प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि का वितरण

5—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेजों में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों की विभिन्न कक्षाओं को पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति व अन्य सहायता राशि वितरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन विद्यालयों की किन कक्षाओं की कितनी अवधि की छात्रवृत्ति व अन्य सहायता राशि बकाया है और वितरित नहीं की गई ? उसके क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? बकाया छात्रवृत्ति व अन्य सहायता राशि कब तक वितरित कर दी जायेगी ?

श्रीमती दीपा—

वर्ष 1986–87 के अनुसूचित जाति के जूनियर हाई स्कूल के 1429 छात्रों, हायर सेकेण्डरी स्कूल के 1058 छात्रों, इण्टरमीडिएट एवं डिग्री के 1804 छात्रों तथा पिछड़ी जाति के जूनियर हाई स्कूल के 952 छात्रों, हायर सेकेण्डरी स्कूल के 423 छात्रों, इंटर–मीडिएट एवं डिग्री कालेजों के 502 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ।

वर्ष 1987–88 के अनुसूचित जाति के जूनियर हाई स्कूल के 650 छात्रों, हायर सेकेण्डरी के 997, इंटर एवं डिग्री के 2074 छात्रों तथा पिछड़ी जाति के जूनियर हाई स्कूल के 257 छात्रों, हायर सेकेण्डरी के 482 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ।

पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गई है तथा वितरण की जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट होने के बाद उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा ।

यद्यपि अभी पूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं है फिर भी अवशेष धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में निर्देश दे दिए गए हैं ।

वाराणसी के पिंडरा ब्लाक में कतिपय स्थानों पर चलाये जा रहे आदि हिन्दू पाठशालाओं के भवन निर्माण की मांग

6—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ब्लाक पिंडरा में सहमलपुर, फूलपुर किरतपुर, पतिराजपुर में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आदि हिन्दू पाठशाला चलाया जा रहा है जहां इमारत ही नहीं है ? क्या सरकार इन तीनों स्थलों की इमारत बनवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती डोपा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में स्थित वस्त्र उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के न्यूनतम वेतन का विवरण

7—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित वस्त्र उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन क्या है ? कानपुर के बाहर प्रदेश के वस्त्र उद्योगों में न्यूनतम वेतन क्या एक समान है या अलग-अलग ? यदि एक समान है तो वह क्या है और यदि अलग-अलग है तो कहां पर क्या मजदूरी है ?

सैय्यद सईदुल हसन—

कानपुर नगर में स्थित सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सूचकांक के 802 अंकों पर रु0 1164.41 पं0 है ।

कानपुर के बाहर प्रदेश के वस्त्र उद्योग में न्यूनतम वेतन अलग-अलग है ।

प्रदेश में कानपुर के बाहर सूती वस्त्र उद्योग के मजदूरों को प्राप्त होने वाला न्यूनतम वेतन इकाईवार *संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 178 पर)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा छपवाए गए ग्रीटिंग कार्ड की लागत बिक्री मूल्य तथा लाभ के विवरण की जानकारी

8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या लघु उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1987-88 व 1988-89 में बिक्री हेतु विभिन्न डिजाइनों में लाखों रुपये के ग्रीटिंग कार्ड छपवाये गए थे ? यदि हां, तो प्रतिकार्ड उत्पादन लागत क्या थी और बिक्री मूल्य क्या था ? कार्डों की कुल उत्पादन लागत क्या थी ? कुल बिक्री मूल्य क्या था और कितना मुनाफा हुआ है तथा मुनाफा किस मद में खर्च किया गया है ?

श्रीमती बेनी बाई—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश हरिजन विद्यालय शिक्षकों के देय अवशेषों के सम्बन्ध में हुए समझौते के अनुसार मांगों की पूर्ति हेतु कृत कार्यवाही

9—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हरिजन विद्यालय शिक्षक एसो0 के विधि सलाहकार श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई तथा पदाधिकारियों के साथ श्री बी0 आर0 वी0 खरे, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण

अधिकारी, बरेली से अध्यापकों के अवशेष देयों का भुगतान, कु0 ऊषा रानी सक्सेना, प्र0 अ0 तथा श्री रामेश्वर दयाल, प्र0 अ0 के सम्बन्ध में क्या-क्या लिखित समझौता हुआ था ? समझौते के अनुसार क्या-क्या मांगें पूरी हुईं और क्या-क्या शेष हैं तथा वह कब तक पूरी हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई, विधि सलाहाकार तथा एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ श्री बी0 आर0 बी0 खरे, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के साथ निम्नलिखित आशय का समझौता हुआ था—

1—अध्यापकों के वर्ष 1982-83 से अब तक का बकाया बोनस का भुगतान हेतु बजट की मांग की गई है, बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

2—अध्यापकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अंतरिम सहायता, नगर भत्ता तथा आवास भत्ता का भुगतान 1 जुलाई, 1979 से करने हेतु बजट की मांग की गई है बजट आने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

3—अध्यापक अपनी सेवा पुस्तिका तैयार कराकर प्रबन्धक को प्रस्तुत कर दें तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को भी हलफनामें के साथ अवगत करायें ।

4—कु0 ऊषारानी सक्सेना, प्र0 अ0 को सितम्बर, 1986 से भुगतान हेतु बजट की मांग की गई है बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा दिसम्बर, 1987 से ।

5—श्री रामेश्वर दयाल, प्रधानाध्यापक (निल0) को बहाल करने हेतु इस कार्यालय द्वारा यथोचित आदेश दिये जा चुके हैं परन्तु प्रबन्धक उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से उपनिदेशक तथा निदेशक महोदय को अवगत कराकर निर्देश प्राप्त किये जायेंगे । निर्देश प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

समझौते के अनुसार क्रम सं0 4 व 5 की मांग पूरी की जा चुकी है तथा शेष पर कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में बाल विकास परियोजनाओं/आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की जमीन आबंटन में हुए घोटाले के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

10—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में बाल विकास परियोजनाओं/आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की जमीन आवंटन में वर्ष 1980 से 1983 के बीच हुए घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 522 मुख्य मंत्री को दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ और इस पत्र को संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री ने दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को सचिव के पास यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

कथित पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही इलाहाबाद को बाल विकास परियोजनाओं में क्रय में हुई अनियमितताओं की सम्परीक्षा जुलाई/अगस्त, 1984 में कराई गई थी । सम्परीक्षा रिपोर्ट में लगभग वही सारे बिन्दु प्रकाश में आये जो प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित हैं । सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर एक जिला हरिजन एवं सामाज कल्याण अधिकारी को निलम्बित, एक जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा एक बाल विकास परियोजनाधिकारी एवं दो मुख्य सेविकाओं की सेवायें समाप्त की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम जंबली में किये गये भूमि के अवंध पट्टे को निरस्त करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

11—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम जंबली, परगना मोहम्मदपुर खाला, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में स्थित भूमि संख्या 195 व 196 अवंध पट्टे पर दे दी गयी है जिससे सम्पूर्ण गांव में रोष व क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इस अवंध पट्टे को निरस्त करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम ज्योली, परगना मोहम्मदपुर खाला, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में भूमि संख्या 195मि0/0—0—15 व 196/0—1—5 का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 4 दिसम्बर, 1987 (जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1988 को किया गया था) के अनुसार श्री सियारा पुत्र छेदी लाल ग्रामवासी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में किया गया । पट्टे की भूमि संख्या 196/0—1—5 के कुछ भाग पर अनधिकृत रूप से अध्यासीन सर्वश्री स्वामी दयाल गोस्वामी, केशवराम, अमरेश व उमाकान्त तथा भूमि संख्या 195 मि0/0—0—15 पर अनधिकृत रूप से अध्यासीन श्री केशवराम को इस पट्टे से कष्ट है, ग्राम के अन्य किसी व्यक्ति को रोष व क्षोभ नहीं है । इस पट्टे को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । प्रकरण में दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम मोहम्मदपुर वाहू, प0 दरियाबाद में हुई चकबन्दी में अनियमितताओं की जांच

12—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मोहम्मदपुर वाहू, प0 दरियाबाद, जनपद बाराबंकी में हुई चकबन्दी में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न शिकायती—पत्र, जिसकी प्राप्ति उनके द्वारा पत्र संख्या 793—बी0 आई0 पी0/एम0 आर0/8, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 द्वारा की गई है, पर क्या कार्यवाही हुई है ? शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जांच किसके द्वारा की गई है और उसमें क्या पाया गया ?

श्री माता प्रसाद---

शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई शिकायत के मुख्य बिन्दु यह थे कि सार्वजनिक हितों के लिए जसकरन पुरवा से सआदतगंज जाने के लिए गाटा संख्या 604 से होते हुए सीधा रास्ता दिया जाय तथा घूर, नाली, आबादी एवं खाद के गड्ढों हेतु भूमि सुरक्षित की जाय क्योंकि प्रधान कृष्ण पाल सिंह के अनुचित दबाव से ऐसा नहीं हुआ, अनेक अनुरोध विभिन्न अधिकारियों से किया गया किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई, चकबन्दी कमेटी का गठन व चकबन्दी कार्यवाही अवैधानिक ढंग से हुई है, आदि ।

शिकायती-पत्र की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी (स्क्वायड) मुख्यालय द्वारा की गई । जांच में यह पाया गया कि सिद्धान्तों के विवरण-पत्र में विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 23-16-2 रकबा सुरक्षित किया गया था, जो अपील के निस्तारण के उपरान्त 23-6-0 हो गया है ।

गाटा संख्या 604 बहुत बड़ा खेत है जिसके दोनों तरफ आबादी है । इसके बीच से रास्ता देने पर चक दो टुकड़ों में बट जाता है इसलिए गाटा संख्या 604 के बीच से चकरोड देना सम्भव नहीं है ।

आबादी विस्तार, नाली, तथा चकरोड के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि सुरक्षित की गई है इसलिए और भूमि सुरक्षित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद सोनभद्र (मिर्जापुर) के ग्राम सभा मुड़धवा में इंडियन रेयन्स को ब्लैक कार्बन प्लान्ट निर्माण हेतु दी गयी भूमि का विवरण

13--श्री विजय सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम सभा मुड़धवा में इंडियन रेयन्स को ब्लैक कार्बन प्लान्ट के निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि दी गयी है उसमें कितनी ग्राम समाज की कितनी नजूल/बंजर और कितनी सीरदारी/भूमिधरी भूमि है तथा किन जातियों की है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम सभा में कितने हरिजन/आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है ?

श्री माता प्रसाद---

जनपद सोनभद्र (पूर्व जनपद मिर्जापुर) की तहसील दुद्धी के ग्राम सभा मुड़धवा में भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत 26-10-0 घूर भूमि काश्तकारों की अध्याप्त की गई और 15-10-8 घूर भूमि ग्राम सभा की पुनर्ग्रहीत की गई । इस प्रकार कुल 42-0-8 घूर भूमि उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड कानपुर को सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु हस्तान्तरित की गई और उनके द्वारा भूमि इंडियन रेयान्स को ब्लैक कार्बन प्लांट के निर्माण हेतु दी गई । भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अध्याप्ति की गई 26-10-0 घूर भूमि खरवार, नोनियां (बनिया), ठाकुर, कुर्मी, मुसलमान, ब्राह्मण, कायस्थ, बंगा, गोंड व हरिजन जाति के व्यक्तियों की है ।

ग्राम सभा मुड़धवा के अन्तर्गत ऐसा कोई भी हरिजन/आदिवासी परिवार नहीं है जिसके पास भूमि नहीं है ।

जनपद देवरिया के तहसील देवरिया सदर में कार्यरत सीजनल अमीन एवं चपरासियों को स्थायी नियुक्ति करने की मांग

14--श्री बलराम यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील-देवरिया सदर में कार्यरत सीजनल अमीनों व चपरासियों को, जो सन् 1969 से कार्यरत हैं, स्थायी नियुक्ति कर दी गई है ? कितने चपरासियों को जो निरन्तर सेवा में हैं, को स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या मन्त्री जी उक्त अमीनों और चपरासियों की स्थायी नियुक्ति की सूची वर्षवार (1969 से 1988 तक) सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जनपद देवरिया की तहसील देवरिया (सदर) में सन् 1969 में 21 सीजनल अमीन तथा 61 सीजनल चपरासी कार्यरत थे, परन्तु उनमें से कोई सन् 1988 तक निरन्तर सेवा में कार्यरत नहीं रहा । उक्त सीजनल संग्रह अमीनों में से निम्न 3 अमीनों को स्थायी एवं पूर्ण सर्वकालिक रूप से नियुक्त किया गया :

अमीन का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1--श्री बंशबहादुर पाण्डेय	25 जून, 1988 ।
2--श्री हामिद अली	25 जून, 1988 ।
3--श्री त्रिपुरारी पाण्डेय	25 जून, 1988 ।

इसी प्रकार 61 सीजनल संग्रह चपरासियों में से 8 को स्थायी एवं पूर्ण सर्वकालिक रूप से नियुक्त किया गया :

1--श्री कोदई	19 मई, 1976 ।
2--श्री राम कोमल सिंह	1 दिसम्बर, 1977 ।
3--श्री चन्द्रिका सिंह	1 मार्च, 1979 ।
4--श्री जिउल	19 फरवरी, 1980 ।
5--श्री राम नयन	19 फरवरी, 1980 ।
6--श्री केदार सिंह	1 दिसम्बर, 1981 ।
7--श्री धरमरन	21 जनवरी, 1984 ।
8--श्री बालखिला	30 जून, 1988 ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के तत्कालीन परगनाधिकारी दादरी द्वारा कृषियोग्य भूमि को आबादी घोषित करना

15--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवचरण हरिजन, निवासी कस्बा दादरी, जनपद गाजियाबाद द्वारा खाता संख्या 719, रकबई 1-1-5, 691 रकबई 0-13-0, 873, 3-3-0, कुल रकबा, 4-17-3 को बेचने की अनुमति जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निरस्त किये जाने के बाद तत्कालीत परगनाधिकारी दादरी द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1986 को दादरी के चकबन्दी प्रक्रियाओं के चलते आबादी घोषित किये जाने का क्या कारण है ? क्या चकबन्दी प्रक्रियाओं के चलते राजस्व न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कार्य करता रहता है ? यदि नहीं, तो क्या तत्कालीन परगनाधिकारी, दादरी का आदेश शासन द्वारा निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्नगत भूमि चकबन्दी योजना से बाहर थी और कृषि के प्रयोजन में उपयोग न होकर आबादी के रूप में बदले जाने के कारण तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत आबादी घोषित की गई ।

जी हां । जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-143 के अधीन राजस्व न्यायालयों का ही अधिकार क्षेत्र है ।

उक्त आदेश के विरुद्ध नामिका वकील (राजस्व) द्वारा आर्डर 47 रूल्स (1) सी० पी० सी० के अन्तर्गत परगनाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में राजस्व अधिकारियों/लेखपालों द्वारा किये गये घोटाले की जांच एवं उनके स्थानान्तरण के आदेश

16--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में लेखपालों और अन्य राजस्व अधिकारियों की साजिश से बड़े पमाने पर राजस्व अभिलेखों में वर्ग-4 का इन्द्राज करके हर क्षेत्र में लाखों रुपये की अवैध कमाई की गयी है और इस तथ्य की शिकायत मिलने और पूरी जानकारी होन पर जिलाधिकारी, फैजाबाद ने समूचे जनपद में वर्ग-4 का इन्द्राज खारिज करने का आदेश तो दे दिया है लेकिन सम्बन्धित दोषी लेखपालों और अधिकारियों के विरुद्ध अन्य कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और दोषी लोगों को दण्डित न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि अभी भी शासनादेश के विपरीत काफी संख्या में लेखपाल अपनी ही गृह तहसीलों में तैनात हैं ? यदि हां, तो शासनादेशों को सख्ती से पालन न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा ऐसे मामलों में आवश्यक जांच के पश्चात् दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 1989 द्वारा लेखपालों को उनके निवास के विकास खण्ड को छोड़ कर मुख्य तहसील में अन्यत्र तैनाती की जा सकती हैं। इसके अनुसार लेखपालों के स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिये जा चुके हैं। अन्य का प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, राजस्व परिषद्, लखनऊ अनुभाग–2 द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को लिखे पत्रों पर कृत कार्यवाही

17--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद् अनुभाग–2 लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को लिखे गये पत्र सं0 5187/2–संग्रह–23बी(1)–86, दिनांक 17 अगस्त, 1988 एवं पत्र सं0 8001/2–संग्रह–69बी/88 दिनांक 15 नवम्बर, 1988 पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

राजस्व परिषद् के संबन्धित पत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा सूचित किया गया कि श्री विवाकर शुक्ल वर्ष 1975 में सीजनल संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किये गये थे और उन्होंने मात्र लगभग तीन माह तक कार्य किया। उसके उपरान्त वे जनवरी, 1982 तक अनुपस्थित रहे और दिनांक 15 फरवरी, 1982 को पुनः सीजनल अमीन के रूप में कार्य करने आये, जबकि सर्वश्री ठाकुर प्रसाद, शुभकरन एवं सत्य प्रकाश शुक्ल वर्ष 1975 से लगातार कार्यरत रहे, फलस्वरूप उन्हे 1982 के पूर्व ही संग्रह अमीन के नियमित पदों पर नियुक्त कर दिया गया। श्री शुक्ल का कार्य संतोषजनक नहीं रहा और वर्ष 1985 के चयन में उनका नाम सेवायोजन कार्यालय से भी प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1986 के चयन म उनकी आयु निर्धारित 30 वर्ष की सीमा से अधिक हो जाने के कारण उन्हें परीक्षा में बठने की अनुमति नहीं दी गयी। ऐसी दशा में श्री शुक्ल का नियमितीकरण सम्भव नहीं हो सका।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जनपद के भीटी ब्लाक में कतिपय राजस्व ग्रामों के आवन्टियों के जमीनों पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

18--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 को जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लॉक के कतिपय राजस्व ग्रामों के निरीक्षण में जिलाधिकारी, फैजाबाद को ऐसे कितने मामले मिले हैं जिनमें आवंटियों को पट्टा शुदा जमीनों पर पांच अथवा सात वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद आज तक या तो कब्जा नहीं दिलाया गया है अथवा कब्जा दिलाने के तुरन्त बाद प्रभावशाली लोगों ने उन जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री माता प्रसाद--

निरीक्षण के दौरान केवल ग्राम पाण्डेय पैकोली में 13 (तेरह) आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं पाया गया था। इन आवंटियों को मौके पर नायब तहसीलदार भूलेख निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पुलिस बल की सहायता से दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 से 1 जनवरी, 1989 तक पैमाइश करके कब्जा व बखल दिया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद के तहसील नरैनी के कतिपय व्यक्तियों को भूमि के पट्टों पर कब्जा व नाम के सम्बन्ध में कथित पत्र पर कृत कार्यवाही

19--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के श्री परदेशी पुत्र श्री लूसी हरिजन व श्री जौहरी पुत्र श्री सोना हरिजन व ग्राम सभा बिल्हरका के मजरा रानीपुर के श्री राम लाल पुत्र श्री अधीन हरिजन व श्री शिव नरायन पुत्र श्री बल्दू हरिजन व श्री नथुआ पुत्र श्री बालगीर हरिजन के पत्र भूमि के पट्टों, कब्जा व नाम के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक ग, 02719 दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 के साथ प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां, प्रकरण की जांच कराई गई जिसकी स्थिति निम्नवत् है :

(1) श्री परदेशी पुत्र लूसी हरिजन के पास पहले से ही 2·15 एकड़ पट्टे पर दी गई भूमि उपलब्ध है, जिसकी नाप कर दी गई है और जिस पर वह काबिज भी है। उसे और भूमि पट्टे पर दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

(2) श्री जौहरी पुत्र सोना निवासी करतल को 1·76 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया है जिसकी नाप भी कर दी गई है परन्तु वह ·68 डिसमिल को ही जोतता-बोता है। शेष भूमि कम उपजाऊ होने के कारण नहीं जोतता है। उसे अन्य भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) श्री रामलाल पुत्र अधीन, निवासी रानीपुर मजरा बिल्हरका को पट्टे पर दी गई 2·62 एकड़ भूमि की पैमाइश करा दी गई है और कब्जा वखल दे दिया गया है ।

(4) श्री नथुआ पुत्र बाल्मीक, निवासी रानीपुर मजरा बिल्हरका के पिता बालगीर पुत्र दुर्गा के नाम 1.93 एकड़ पट्टे की भूमि है । नथुआ उसका एक मात्र पुत्र है और वही पिता के साथ रह कर उक्त भूमि को जोतता-बोता है, इसलिए वह पट्टा पाने का पात्र नहीं है ।

(5) श्री शिव नारायन जिसका असली नाम सिरावन है, के पास पहले से ही 1.67 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिस पर उसका कब्जा वखल है । भूमिहीन न होने के कारण पट्टा पाने का पात्र नही है ।

जनपद मेरठ में बागपत तहसील के कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के यमुना नदी के कटान के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

20—श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मेरठ में तहसील बागपत के गांव कांठा, मऊ-सकरोद की कितनी कृषि भूमि यमुना नदी के कटान से हरियाणा में चली गयी है जिसका लगान उपरोक्त गांव के कृषक नियमानुसार भुगतान कर रहे हैं ? क्या सरकार उन्हें कब्जा दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम काठा तथा मवीकलां बांगर व खादर (मऊ) में क्रमशः 143 हे0 तथा 93 हे0 कृषि भूमि हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी सीमा निर्धारित होने के कारण हरियाणा प्रदेश की सीमा में चली गयी हैं । अभिलेखों का आदान-प्रदान किया जा चुका हैं । काश्तकारों के कब्जा व स्वत्व सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में कार्यवाही हरियाणा राज्य के अधिकारियों द्वारा की जानी हैं ।

ग्राम सकरौद का कोई भू-भाग हरियाणा प्रदेश में नहीं गया हैं ।

ग्राम समाज दुल्हीपुर, जनपद बाराबंकी की भूमि के दुरुपयोग विषयक शिकायती-पत्र

21---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज दुल्हीपुर, जनपद बाराबंकी की भूमि के दुरुपयोग के बारे में प्रधान दुल्हीपुर जनपद बाराबंका का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या 374 बी0 आई0 पी0 एम0 आर0/88, दिनांक 27 सितम्बर, 1988 द्वारा स्वीकार की गई हैं ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही करायी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

जनपद फैजाबाद के मीटी ब्लाक के कतिपय ग्रामों में चकरोड और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण

22---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार को जानकारी हैं कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 28-12-88 को जनपद फैजाबाद के मीटी ब्लाक के कतिपय गांवों के निरीक्षण में चकरोडों और ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामले देखने को मिले हैं और उसी दिन बी0 डी0 सी0 मीटी की बैठक में भी सदस्यों द्वारा इस प्रकार की आम शिकायतें की गयीं ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद में इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हुये अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और दोषी लोगों तथा अधिकारियों को दण्डित करने में और इस प्रकार के अवैध और अनधिकृत कब्जों को काग्निजेबुल (पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय) अपराध की श्रेणी में लाने में सरकार की क्या कठिनाई हैं ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां, ग्राम केवारी परमानन्द में चकरोड पर तथा ग्राम पाण्डेय पैकोली में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण का मामला पाया गया था ।

चकरोड व गांव समाज के भूमि के अनाधिकृत कब्जों को स्थल पर सुगमता से हटा दिया गया हैं, फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध काग्निजेबुल कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यदि आवश्यकता होगी तो नियमानुसार काग्निजेबुल (पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय) कार्यवाही की जायेगी ।

23—श्री धनराज यादव—

[2रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग एवं अनाधिकृत कब्जों पर रोक लगाने की मांग

24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जानकी प्रसाद तथा चार अन्य, निवासी-गण ग्राम विशुनपुर सारा तहसील व जिला फैजाबाद का मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा आयुक्त, फैजाबाद मण्डल तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित दिनांक 27-8-88 तथा 1-10-88 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिल गया है जिसमें ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग और अनाधिकृत कब्जे पर रोक लगाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच कराकर अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

शिकायतों की जांच नायब तहसीलदार से कराई गई । जांच से विदित हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में एक वाद सिविल जज, फैजाबाद के न्यायालय में तथा दूसरा वाद परगनाधिकारी, सदर फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन हैं । मामले में विधिक राय लेकर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

बांदा जिले के टोलाकलां के हरिजनों को दिये गये पट्टे की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने की मांग

25—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में तहसील बबेरू के नाम टोलाकलां के गरीब हरिजनों व निर्बल वर्ग के लोगों को 9 दिसम्बर, 1987 को पट्टे दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने पट्टे दिये गये थे ? कितने पट्टे स्वीकृत हुये और कितने पट्टों की जमीनों पर कब्जा दिला दिये गये हैं ? क्या राम प्रताप व रामसिया आदि कई पट्टाधारकों ने 19 नवम्बर, 1988 को जिलाधिकारी, बांदा आदि कई अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायतें की हैं कि उनके पट्टे की जमीनों की पैमाइश नहीं करायी गयी और कब्जे नहीं दिलाये गये ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? पैमाइश कराकर कब्जे कब तक दिला दिये जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

भूमि प्रबन्धक समिति टोलाकलां, तससील बबेरू द्वारा प्रस्तावित सभी 16 व्यक्तियों को परगनाधिकारी, बबेरू के अनुमोदन दिनांक 9 दिसम्बर, 1987 के द्वारा सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टे दिये गये थे जिनमें से 5 व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है । शेष 11 आवंटियों की भूमि विवादित हो जाने के कारण उन्हें कब्जा नहीं दिया जा सका है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत रिट याचिका में पारित स्थगन आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक वादी को बेदखल करने से रोका गया है । उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोंडा के ग्राम सभा झउबवा के कतिपय भूमि पट्टाधारियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही

26--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी में हैं कि जनपद गोंडा तहसील व परगना तुलसीपुर तप्पा पिपरा के ग्राम सभा झउबवा के हरिजन गंगाराम, छांगुर, पलटू, बीपत, भरोसे, मोलहू, सोमई आदि को वर्ष 1977-78 से ग्राम सभा जमीन का पट्टा प्राप्त हैं, किन्तु उन्हें अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों को कब्जा देने हेतु कार्यवाही कब तक सरकार द्वारा करायी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद--

गांव सभा झउबवा, परगना व तहसील तुलसीपुर में हरिजन गया राम, छांगुर, पलटू, बीपत, भरोसे, मोलहू, सोमई को वर्ष 1977-78 में गांव सभा भूमि का पट्टा हुआ था। इन लोगों का कब्जा देने की कार्यवाही पहले की जा चुकी हैं। गया राम व बीपत का इस समय भी पट्टे की भूमि पर कब्जा है। पलटू, मोलहू व सोमई के पट्टे की भूमि परती पड़ी हैं और वे स्वयं जोत बो नहीं रहे हैं। छागुर अब इस गांव में नहीं रहता हैं। भरोसे के पट्टे का एक भूखण्ड परती पड़ा है तथा उसके एक गाटा पर अनधिकृत कब्जा हैं जिसे हटा कर भरोसे को कब्जा दिये जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं।

गोंडा जनपद के ग्राम सभा झउबवा के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये फर्जी पट्टे की जांच

27--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा, परगना व तहसील तुलसीपुर तप्पा पिपरा के ग्राम सभा झउबवा में ग्राम प्रधान द्वारा कमलादीन पुत्र समद, दुलारे पुत्र छोटू छांगूर पुत्र इसमाइल मेंहदी पुत्र याफत, रामकरन पुत्र औतार, हद्दीश पुत्र इसमाइल आदि के फर्जी नामों से पट्टा अंकित कराया गया हैं जबकि उक्त पट्टेदार ग्राम निवासी नहीं है बल्कि जमीन का लाभ स्वयं प्रधान द्वारा लिया जा रहा हैं ? यदि नहीं, तो प्रधान द्वारा किये गये कृत्यों का जांच कराकर जमीन को गांव के पांच व्यक्तियों में वितरित कर प्रधान को निलम्बित करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम सभा झउबवा तप्पा पिपरा परगना व तहसील तुलसीपुर गांव सभा की भूमि का पट्टा कमलादीन पुत्र समद, दुलारे पुत्र छोटू, छांगुर पुत्र इसमाइल, मेंहदी पुत्र अयूब, रामकरन पुत्र औतार के नाम हुआ था। जांच से पता चला कि रामकरन पुत्र औतार दूसरे ग्राम सभा के निवासी हैं और अन्य लोग इस समय इस गांव में नहीं रहते हैं। अनियमित पट्टों के निरस्त किये जाने की विधिवत् कार्यवाही की जा रही हैं। पट्टे की भूमि का लाभ ग्राम प्रधान द्वारा नहीं लिया जा रहा है, अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हैं।

गोंडा जिले के ग्राम सभा झउबवा में चक मार्गों के अवैध कब्जे हटाने हेतु कृत कार्यवाही

28—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा के परगना व तहसील तुलसीपुर के ग्राम सभा झउबवा में चकबन्दी कार्य काल में बनाये गये चक मार्गों पर गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में धारा 133 की कार्यवाही सरकार द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम सभा झउबवा, परगना व तहसील तुलसीपुर में केवल चकरोड संख्या 37, 54, 84, 370, 389 पर सीमावर्ती काश्तकारों द्वारा अनाधिकार कब्जा किया गया है, जो प्रभावशाली व साधारण दोनों श्रेणी के व्यक्तिगत हैं। इन लोगों के विरुद्ध धारा 122 बी० जी० वि० अ० के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गयी है। धारा 133 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

जनपद बलिया के रसड़ा तहसील के ग्राम हसनपुर उर्फ बछईपुर की कथित भूमि का उद्यान विभाग द्वारा हस्तान्तरण

29—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम हसनपुर उर्फ बछईपुर की आराजी नम्बर 584 व 556 कुल रकबा 21 एकड़ में से करीब 8 एकड़ भूमि में खेत मजदूरों और हरिजनों की आबादी बनी है ? क्या ग्राम प्रधान ने उक्त सारी जमीनें उद्यान विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये ग्राम सभा में 5 मई, 1981 को एक प्रस्ताव स्वीकार कराया था जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी ने 6 मई, 1981 को तुरन्त कर दिया था और सरकारी रिकार्ड में 29 अगस्त, 1981 को कब्जा दखल देने की कार्यवाही पूरी कर ली थी ? क्या परगनाधिकारी ने अनुमोदन देने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो मौके पर निर्बल वर्गों की आबादी के आधार पर सरकारी रिकार्ड को दुरुस्त न किये जाने का क्या कारण था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम हसनपुर उर्फ बछईपुर परगना सिकन्दरपुर मर्दा तहसील रसड़ा, जनपद बलिया की वर्तमान आ० सं० 584, रकबा 18–29 व आ० नं० 556 रकबा 3–31 कुल रकबा 21–60 में आबादी नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 5 मई, 1981 द्वारा उक्त भूमि को उद्यान विभाग के नाम से हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसका अनुमोदन दिनांक 6 जून, 1981 को परगनाधिकारी रसड़ा ने किया था। दिनांक 29 अगस्त, 1981 को उद्यान विभाग को भूमि के पुनर्ग्रहण के आधार पर कब्जा दखल दिया गया। मौके का निरीक्षण। करने के पश्चात् ही भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की गई थी। भूमि अनुदान–प्रदान की अवधि में ही गांव के 16–17 दबंग व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकार झोपड़ी डाल दी गई थी। 17 खेतिहर मजदूर न होकर गांव के दबंग बाशिन्दे हैं जिनका गांव में निजी एवं खानदानी मकान है। उन्होंने झोपड़ी बीस साल से डालकर

वर्ष 1981-82 में अपना कब्जा बहाल शोषड़ी डालकर किया और एक मुकदमा अपर कलेक्टर, बलिया के न्यायालय में दाखिल किया जिसमें उनके विरुद्ध निर्णय हुआ ।

पुनः उक्त प्रतिवादीगण द्वारा पंचम अपर मुन्सिफ के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया जिसमें दिनांक 1 अगस्त, 1983 द्वारा यह आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण (उत्तर प्रदेश सरकार) बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना भूमि में स्थित वादीगण के मकान को ध्वस्त करने व हटाने से प्रतिबन्धित किए जाते हैं । इस आदेश के विरुद्ध अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक 19 सितम्बर, 1987 को दाखिल की गयी जिसमें जनपद न्यायाधीश, बलिया द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय दिनांक 29 अक्टूबर, 1988 को सरकार के पक्ष में किया गया तथा प्रतिवादीगण को ट्रेसपासर करार देते हुए उनका कब्जा अविलम्ब हटाने का आदेश दिया गया ।

उक्त आदेश के परिपालन में जिला सरकारी अधिवक्ता सिविल के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा दिनांक 6 नवम्बर, 1988 तक हटा दिया गया ।

उपरोक्त स्थिति में सरकारी अभिलेखों की दुरुस्ती का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम सिकलोड़ी में अनियमित भूमि के पट्टों की जांच तथा कृत कार्यवाही

30--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री रामचरन, ग्राम प्रधान, सिकलोड़ी, तहसील बबेरू, जनपद बांदा का पत्र अनियमित भूमि के पट्टे होने के सम्बन्ध में राजस्व राज्य मंत्री को दिनांक 5 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मंत्री जी ने राजस्व परिषद् को उच्च स्तरीय जांच के आदेश पारित किये थे । यदि हां, तो कौन उच्च अधिकारी जांच के लिये गये तथा विस्तृत जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम सिकलोड़ी, तहसील बबेरू, जिला बांदा के अनियमित पट्टों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1986 जनपद में प्राप्त हुआ जिसकी विस्तृत जांच परगनाधिकारी, बबेरू द्वारा की गई । उसके पूर्व अक्टूबर, 1985 में सहायक प्रतिकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा भी जांच की गई थी । जांच में 97 पट्टों में से 20 के सम्बन्ध में अनियमितता के आधार पर पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की गई । अपर जिलाधिकारी द्वारा 14 पट्टे अबैध पाये जाने के फलस्वरूप निरस्त कर दिये गये, तीन पट्टे आंशिक रूप से निरस्त किये गये और शेष तीन पट्टे नियमानुकूल पाये गये । यद्यपि शिकायती प्रार्थना-पत्र में सभी 97 पट्टों को निरस्त कर पुनः आवंटन करने की मांग की गई थी परन्तु नियमानुसार इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया । अनियमित पट्टे करने के सम्बन्ध में दोषी लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जा चुका है ।

जनपद गोण्डा की तहसील करनैल गंज में आवंटित भूमि संख्या 1986 का पट्टा

31—श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सकरौर (रानीगंज के निकट) तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा में भूमि संख्या 1986/30, जो कब्रिस्तान है, का कुल क्षेत्रफल क्या है ? क्या यह सही है कि लेखपाल द्वारा उक्त भूमि का पट्टा किसी के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो पट्टा कब तथा किसके नाम गया ? क्या पट्टा निरस्त कर दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत ग्राम में भूमि संख्या 1986/30 नहीं है, बल्कि 1986 है जिसका कुल क्षेत्रफल 2.35 एकड़ है, किन्तु इसके किसी भाग में कब्रिस्तान नहीं है । इस भूखंड के 1.95 एकड़ क्षेत्रफल का पट्टा निममानुसार पांच पात्र व्यक्तियों के नाम किया गया है । चूंकि आवंटन पात्रता के आधार पर किया गया है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उन्नाव जनपद के ग्राम पारा व लउवा सिहनखेड़ा की ग्राम समाज की भूमि अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु कृत कार्यवाही

32—श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के ग्राम-पारा व ग्राम-लउवा सिहनखेड़ा, तहसील पुरवा में ग्राम समाज की अलग-अलग कितने कृषि योग्य भूमि है ? कितने एकड़ कृषि योग्य खेतो पर अवैध कब्जे हैं ? कब्जे कब से हैं ? क्या यह कब्जे सम्बन्धित भूलेख निरीक्षक और लेखपाल की जानकारी में है ? यदि हां, तो अवैध कब्जों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? कार्यवाही न करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है । चकबन्दी अभिलेखों के अनुसार ग्राम पारा में 363 एकड़ तथा ग्राम लउवा सिहन खेड़ा में 262 एकड़ गांव सभा की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है । प्राप्त सूचनानुसार विशेष सर्वेक्षण के द्वारा ग्राम पारा में 34 एकड़ भूमि तथा ग्राम लउवा सिहन खेड़ा में 42 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे अभी तक प्रकाश में आये हैं जो 5 से 10 वर्ष पुराने हैं ।

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक और लेखपाल को इन अवैध कब्जों की जानकारी होने पर ही परगनाधिकारी के आदेशानुसार चकबन्दी विभाग से अभिलेख प्राप्त करके सर्वेक्षण कराया जा रहा है । उक्त अवैध कब्जों में से ग्राम पारा में 17 एकड़ पर 15 मामलों में धारा 122-बी (4-च) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नियमितीकरण 12 एकड़ पर 16 मामलों में धारा 122-बी जमींदारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली तथा ग्राम लउवा सिहन खेड़ा में 5 एकड़ पर 4 मामलों में धारा 122-बी (4-च) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नियमितीकरण तथा 22 एकड़ पर 20 मामलों में धारा 122-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गई है । समय से अवैध कब्जों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने और दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं ।

बांदा जिले के नरैनी, तहसील अन्तर्गत सीलिंग भूमि से अवैध कब्जा हटाकर पांच व्यक्तियों में आवंटन की मांग

33--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या यह सही है कि बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम अऊ में सीलिंग से निकली अधिकांश भूमि पर अभी भी कुछ व्यक्ति अवैधानिक कब्जा किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों से सीलिंग भूमि से कब्जा हटवाकर हरिजन भूमिहीनों को कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लॉक अन्तर्गत गढ़ा ग्राम के नये चकों पर कब्जा परिवर्तन एवं धारा 52 का प्रकाशन

34--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड रतनपुरा जो अब नवसृजित जनपद मऊनाथ भंजन का अंग बन चुका है । में चकबन्दी विभाग द्वारा मौजा गाढ़ा का धारा 52 का प्रकाशन लम्बित रहने का क्या कारण है ? क्या सरकार धारा 52 का प्रकाशन शीघ्र करने जा रही है ? यदि यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

अभी उक्त ग्राम में नये चकों पर कब्जा परिवर्तन का कार्य पूरा किया गया है परन्तु अंतिम अभिलेख तैयार नहीं है ।

अंतिम अभिलेख तैयार हो जाने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात् ही धारा 52 का प्रकाशन किया जा सकेगा ।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड, लोनी के ग्राम पचारा की यमुना नदी द्वारा कटान के फलस्वरूप दिल्ली प्रदेश में गयी भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही

35--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी के गांव पचारा की सैकड़ों एकड़ भूमि के कटान से दिल्ली प्रदेश में चली गयी है जिसका लगान गांव पचारा के लोग नियमित रूप से दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पचारा के लोगों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

ग्राम पचारा का जो भू-भाग दिल्ली प्रदेश की ओर चला गया है, उस पर बारधुरा का सिद्धान्त लागू होने के कारण लागू होने के कारण वह भू-भाग दिल्ली प्रदेश के ही अधिकार क्षेत्र में है जिसकी व्यवस्था नियमानुसार उसी प्रदेश के अधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

एस0 डी0 एम0 सदर, फैजाबाद का स्थानान्तरण एवं घोर अनियमितता के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच

36—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 5 जनवरी, 1989 को जिलाधिकारी फैजाबाद के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर, चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रश्नकर्ता का अनिश्चितकालीन अनशन तोड़वाने गये हुए थे और वहां पर उन्हें मुख्य मंत्री को सम्बोधित एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें एस0 डी0 एम0 सदर के विरुद्ध गांव सभा के सैकड़ों एकड़ भूमि अवैध हस्तान्तरण करने, हजारों हरे पेड़ को अवैध रूप से कटाने, अवैध धन की वसूली, अनियमित नियुक्तियां, अवैध रूप से जमीन का पट्टा करने तथा जनपद स्थित सोरा विशनपुर की गांव सभा की जमीन को अवैध रूप से हस्तान्तरित करने तथा उसके बदले में अपने सगे साले के नाम अब्बू सराय बाई पास के लाखों रुपये की जमीन लिखवाने विषयक शिकायतें थीं, जिस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गयी थी और सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 को तत्काल स्थानान्तरित करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी को स्थानान्तरित करके मांग पत्र की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा अथवा सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

जी हां। सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा शासन द्वारा प्रश्नगत मामले में सी0 आई0 डी0 जांच कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर के रामनगर ग्राम में चकरोड पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर हुई कार्यवाही

37—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामनगर, पो0 बल्हौराय, जनपद सुल्तानपुर की चकरोड पर अवैध कब्जा करने विषयक उनके पत्र संख्या 714, दिनांक 31 अगस्त, 1988 जो जिलाधिकारी सुल्तानपुर को आवेशित है, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? उक्त चकरोड कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में चकरोड की गाटा संख्या का उल्लेख नहीं था। इस ग्राम के अभिलेख अभिलेखागार में दाखिल किये जा चुके थे। अतएव तत्काल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हुई। छानबीन से यह ज्ञात हुआ कि पुराना गाटा संख्या 508 में 17 फूट क्षेत्रफल में चक रोड प्रविष्ट था एवं स0 च0 अ0 स्तर पर चकरोड गाटा संख्या 270 (नई) का मिलान सेक्टर रोड से किया गया था और उसी के अनुरूप अन्तिम अभिलेख भी तैयार किये गये थे। अन्तिम भूचित्र बनाते समय हुई त्रुटि के कारण इस चक मार्ग का सम्पर्क सेक्टर मार्ग से छूट गया था। अब अभिलेखों के

अनुसार इस चक मार्ग को सेक्टर मार्ग से जोड़ दिया गया है । इस प्रकार इस त्रुटि का निराकरण करा दिया गया है । अन्य कोई कार्यवाही अब अपेक्षित नहीं है ।

श्री राम समुझ ग्राम घटोली (कबीरपुर) थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद का चौपाल जलाये जाने विषयक घटना की जांच

38—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम समुझ पुत्र स्व0 राम भरोसे अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम घटोली (कबीरपुर) थाना खण्डासा, तह0 बीकापुर, जनपद फैजाबाद का अराजक तत्वों द्वारा चौपाल फूंक देने विषयक क्षेत्रीय विधायक श्री मित्रसेन यादव के पत्र के साथ संलग्न, रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र आर्थिक सहायता/आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 31 मार्च, 1989 को जिलाधिकारी फैजाबाद तथा पत्र सं0 1100/उषा0/वि0स0 89, दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को माननीय राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर अब तक कुछ कितनी धनराशि प्रदान की गयी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । घटना की जांच कराने पर विदित हुआ कि प्रश्नगत घटना सामान्य अग्निकांड की घटना नहीं थी, अपितु अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई थी । अग्निकांड से पीड़ित व्यक्ति द्वारा मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थाना खण्डासा में दर्ज होने की सूचना मिलने के कारण प्रभावित व्यक्ति श्री राम समुझ का मामला दैवी आपदा की परिधि के अन्तर्गत होना नहीं पाया गया, तत्काल नियमानुसार उसे राजस्व विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई ।

तहसील रामसनेही घाट-जनपद बाराबंकी में लगान राजस्व वसूली की बकाया धनराशि

39—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-95 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि तालाब सं0 8 का पट्टा कब और कितने वर्षों के लिये किया गया था तथा पट्टे की अवधि कब समाप्त होगी । आवंटन की तिथि में अवधि समाप्त होने की तिथि तक कुल कितनी धनराशि लगान के रूप में देय होती है ? अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की गयी है ? कितनी धनराशि अवशेष है ? अवशेष धनराशि अब तक वसूल न करने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ? उक्त धनराशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम बराबां, परगना बवीली, तहसील रामसनेही घाट के गाटा संख्या 8 के तालाब का पट्टा 2500 रु0 प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 1982 में किया गया था । अवधि की समाप्ति तक 25,000 रु0 की मांग देय होती है । वर्ष 1987 में उक्त पट्टा निरस्त हो जाने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान ग्राम सभा बराबां द्वारा 9900 रु0 की वसूली हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें से अब तक 3100 रु0 की वसूली हो चुकी है । शेष धन की वसूली हेतु बाकीदार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

40--श्री मित्र सेन--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तालाब संख्या 8 का आबंटन नीलामी द्वारा श्री राधेश्याम पुत्र गुरुदीन के नाम हुआ था ? यदि हां, तो अधिकतम बोली क्या थी जिस पर पट्टा आवंटित किया गया ? क्या यह सही है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अधिकतम बोली रु0 2,500 को 250 रु0 करने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

कथित तालाब गाटा सं0 8 का पट्टा 2,500 रु0 प्रतिवर्ष की दर से किया गया था। पूर्व आवंटी द्वारा पट्टे की बकाया धनराशि जमा न किये जाने के कारण पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व पट्टा निरस्त कर दिया गया। पुनः उक्त तालाब का आबंटन 550 रु0 प्रतिवर्ष की दर से गुरूदीन पुत्र गंगादीन के नाम नियमानुसार किया गया है। जहां तक पट्टे की धनराशि कम किये जाने का सम्बन्ध है, यह अवगत कराया गया है कि मत्स्य विभाग द्वारा जिन तालाबों में वर्ष भर पानी भरा रहता है, उसका वार्षिक लगान 500 रु0 प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा अहमाटा तथा बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, बाराबंकी की ग्राम समाज आदि की भूमि पर अवैध कब्जे एवं बेदखल की कार्यवाही

41--श्री मित्रसेन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 323, 324, 347 एवं 350 राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि बचत भूमि के रूप में दर्ज है ? क्या यह सही है कि उपयुक्त भूमि पर वृक्ष लगाकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किसका है और उसे बेदखल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेहीघाट की गाटा संख्या 323 बचत की भूमि नहीं है, वरन् खातेदार की भूमि है। गाटा संख्या 324, 347 व 350 चकबन्दी के अभिलेखों में बचत भूमि है। उक्त भूमि पर वन विभाग एवं ग्रामवासी श्री शिवनाथ पुत्र हरीदीन, काशीराम पुत्र भीखा, माताबदल सिंह पुत्र हनुमान सिंह, अक्षयवर पुत्र मिही, जगजीवन पुत्र देवदत्त, मिहीलाल पुत्र दुखराम, झगरू पुत्र राम लाल का अवैध कब्जा पाया गया। इनके विरुद्ध ज0 वि0 अधिनियम की धारा 122-बी से अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गयी। श्री शिवनाथ पुत्र हरीदीन के विरुद्ध वाद दिनांक 4-9-89 को निर्णीत हो चुका है। शेष के विरुद्ध वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

इण्डिया पेस्टीसाइड्स ग्रुप इण्डस्ट्रीज, राजाजी पुरम, लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

42--श्री शारदा प्रताप---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डिया पेस्टीसाइड्स ग्रुप इण्डस्ट्रीज, राजा जी पुरम, लखनऊ स्थित कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1989 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैय्यद सईदुल हसन--

जी हां ।

श्रमायुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारी सभा की प्रमुख मांग कार्य से पृथक् किये गये श्रमिकों के संबंध में थी जिसे औद्योगिक विज्ञान मानते हुये श्रम न्यायालय लखनऊ को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है । अक्टूबर, 1986 में हुई दुर्घटना में मृतक कर्मचारी तथा अक्टूबर, 1987 में दुर्घटना से घायल कर्मचारियों को मुआवजा दिलाने की मांग के बारे में नियमानुसार घायल श्रमिकों द्वारा तथा मृतकों के आश्रितों द्वारा हितलाभ पाने के लिये विधिवत् दावा दाखिल नहीं किया गया है । कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि का रजिस्टर में अंकन न करना, 8 घण्टे से अधिक कार्य लिया जाना तथा सुरक्षात्मक उपकरण संबंधी शिकायतें जांच में सही नहीं पायी गई ।

प्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार व्हीट लाइटों के खरीद में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

43--श्री शारदा प्रताप--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजनाओं में दिया जाने वाला पुष्टाहार लाइटों (गहूं का मखाना) शासन या विभाग द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो इनकी फूड वैल्यू क्या है ? क्या मेरठ मंडल की कुछ परियोजनाओं में गत वर्ष से किसी प्राइवेट फर्म (मंडल विकास मेरठ) से उक्त व्हीट लाइटों को ऊंची दर पर क्रय किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी इनकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गत वर्ष मेरठ मण्डल के बुलन्दशहर, गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर की परियोजनाओं में व्हीट लाइटों 2200 रु0 प्रति कुन्तल की दर से क्रय किया गया था ।

जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

श्री कल्लू पुत्र श्री विपती, निवासी ग्राम अजौनी खेड़ा विकास खंड सुमेरपुर तहसील पुरवा, जिला उन्नाव को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाना

44--श्री भगवती सिंह विशारद---

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के दूसरे मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि

संख्या 30 का रकबा वर्तमान समय में कितना है और इसे कितना होना चाहिए था और इस भूमि संख्या 30 का जितना रकबा था, उस पर आवंटी श्री कल्लू पुत्र विपती ग्राम अजोती खेड़ा, विकास खंड सुमेरपुर, जनपद उन्नाव को कब्जा न दिए जाने के क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस भूमि संख्या 30 पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है ? यदि हां, तो उसको हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद—

भूमि संख्या 30 का रकबा नक्शे व मौके के अनुसार वर्तमान समय में 6 बीघा 10 बिस्वा है जबकि अभिलेखों में इसका बन्दोबस्ती रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी अंकित है। स्थल पर उपलब्ध रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा पर अभिलिखित संक्रमणीय भूमिधर पहले से ही काबिज होने के कारण आवंटी श्री कल्लू पुत्र विपती को कब्जा नहीं दिलाया जा सका बल्कि आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की गई।

प्रश्नगत भूमि पर किसी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा नहीं है बल्कि अभिलेखों में अंकित संक्रमणीय भूमिधर का ही कब्जा है, अतः नियमानुसार उसका कब्जा हटाना संभव नहीं है।

श्री मैकू लाल ग्राम पितुआ खेड़ा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव को आवंटित भूमि पर कब्जा

45—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी पुरवा, जिला उन्नाव को श्री मैकू लाल पुत्र श्री बन्नो, निवासी ग्राम पितुआ खेड़ा, परगना डौंडियाखेड़ा, विकास खंड सुमेरपुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव का दिनांक 12 फरवरी, 1989 को भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें श्री मैकू लाल ने प्राप्त आवंटित भूमि गाटा संख्या 208 रकबा 11 बिस्वा 2:4 पर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या श्री मैकू लाल को उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

श्री मैकू लाल को आवंटित भूमि संख्या 208 रकबा 12 बिस्वा 4 बिस्वांसी पर दिनांक 14 मार्च, 1989 को कब्जा दिलाया जा चुका है।

जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील में कानूनगो व लेखपाल द्वारा अतिक्रमण हटवा कर आवंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही

46—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 17 फरवरी, 1989 के पत्र के साथ श्री नन्हा पुत्र श्री रामदीन, निवासी छंगा खेड़ा मजरे रामपुर, विकास खंड असोहा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव का ऐसा कोई शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उक्त खंड के कानूनगो व लेखपाल द्वारा उसके चंगले आदि को गिराने और उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

प्रश्नगत कथित शिकायती प्रार्थना-पत्र का जिले में प्राप्त होना पाया गया। प्रार्थना-पत्र में संदर्भित भूमि संख्या 678 रकबा 0-10-0 आठ व्यक्तियों को आवास हेतु आवंटित की गई थी जिसमें प्रार्थी को भी 0-1-0 का आवंटन हुआ था। प्रार्थी ने उक्त आवंटित भूमि से अधिक क्षेत्रफल 0-1-7 अपना आवास बनाकर उसके सामने की भी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। जिसपर अन्य आवंटियों को भी कब्जा दिलाना था इसलिए श्री नन्हा पुत्र श्री रामधीन उक्त का अतिक्रमण हटवाकर अन्य आवंटियों को कब्जा दिलाया गया था।

ग्राम खेड़ा चौगानपुर, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद की भूमि का पट्टा

47—श्री महेन्द्र माटी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 1988 के अनुसार ग्राम खेड़ा चौगानपुर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की भूमि खेत नम्बर 186, 198, 346, 353 एवं 351 कुल रकबा 24.0.2 बीघा को आशीष भौमिक, अजीत भौमिक तथा प्रोवती देवी निवासी जलपाईगुड़ी बंगाल को 10 वर्ष के लिए किस आधार पर पट्टे पर दी गई है? ग्राम सभा और बंगाल के निवासियों के मध्य इस प्रकार के अनुबन्ध का क्या औचित्य है जबकि उक्त ग्राम में ही सैकड़ों भूमिहीन मौजूद हैं?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम खेड़ा चौगानपुर, परगना व तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा ने दिनांक 19 फरवरी, 1988 तथा उसके बाद आज तक कोई प्रस्ताव गाटा संख्या 186, 198, 346, 351, 353 रकबा 24-0-2 बीघा को आशीष भौमिक, अजीत भौमिक तथा प्रोवती देवी निवासी जलपाईगुड़ी बंगाल को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर उठाने का नहीं किया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम खेड़ा चौगानपुर ग्राम सभा पर पंजूकर भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तन

48—श्री महेन्द्र माटी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 फरवरी, 1988 को ग्राम सभा चौगानपुर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद ने एक प्रस्ताव नं0 1 के अनुसार खेत नम्बर 353 रकबा 4-15-0 व खेत नम्बर 351 रकबा 1-14-0 को पंजूकर से बदलकर बंजर में परिवर्तित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा इसके लिए सक्षम है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस प्रस्ताव को निरस्त करने का कष्ट करेंगे?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा खेड़ा चौगानपुर, परगना व तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1988 अथवा उसके पश्चात् आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और न तो ग्राम सभा इसके लिये सक्षम ही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के ग्राम सभा खानपुर की कथित भूमि पर स्वामित्व बदलाव की जांच

49—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, तहसील—करनैलगंज, परगना पहाड़ापुर के ग्राम सभा खानपुर की ग्राम समाज भूमि गाटा संख्या 328/40 डिस्मिल तहसील के अभिलेखों में ग्राम समाज के बजाय ग्राम प्रधान गुरू प्रसाद व उनके परिवार के सदस्यों के नाम अंकित हो गयी हैं ? यदि हां, तो भूमि स्वामी बदलाव कब और किनके आदेशों से हुआ ? क्या इसकी जांच कराकर सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत भू-खण्ड अभिलेखों में श्री माधव राम पुत्र विशेषर व गुरप्रसाद राजाराम पुत्रगण महादेव निवासी ग्राम खानपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं ।

परगनाधिकारी गोण्डा के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 1979 बाद संख्या 3 धारा 161 जे0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत श्री माधवराम आदि को संक्रमणीय भूमि गाटा नं0 298/0-40 से विनियम द्वारा यह बदलाव हुआ था, परन्तु लेखपाल की गलती से गाटा संख्या 298/0-40 गांव सभा के खाते में दर्ज न होकर शंकरदयाल पुत्र गुरूप्रसाद के खाते में दर्ज हो गया था । तत्पश्चात् परगनाधिकारी करनैलगंज द्वारा जांचोपरान्त दिनांक 21 अगस्त, 1989 को भूखण्ड संख्या 298/0-40 शंकरदयाल पुत्र गुरूप्रसाद के खाते से खारिज करके ग्राम सभा के खाते में दर्ज किया जा चुका है ।

किशोर अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में अधीक्षक पद घोषित करने का प्रस्ताव

50—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि किशोर अधिनियम की नियमावली के नियम संख्या 2-झ के अन्तर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों के लिए अधीक्षक के पद का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या इन सम्प्रेक्षण गृहों में अधीक्षक पद के लोग कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी नियमावली के प्राविधानों के आधार पर सहायक अधीक्षकों के पद को अधीक्षक पद घोषित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

उक्त सम्प्रेक्षण गृहों में कार्यरत सहायक अधीक्षक फिलहाल प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं । और नियमावली के उक्त प्राविधान के अनुसार अधीक्षक पद घोषित करने के प्रस्ताव का विधिक एवं वित्तीय दृष्टिकोणों से परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद गाजियाबाद के दादरी तहसील के ग्राम रायपुर खादर के निवासियों को न हटाये जाने की कार्यवाही

51—महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रायपुर खादर, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद वर्तमान में सवरपुर ग्राम सभा की जमीन पर पिछले 83 वर्ष से आबाद हैं, जो यमुना नदी से कट जाने के बाद वर्ष 1905 में बसाया गया है ? क्या यह सही है कि 31 दिसम्बर, 1963 को तत्कालीन कानूनगो सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर ने अपनी आख्या (दिनांक 31 दिसम्बर, 1963) में माना है कि उपरोक्त ग्राम को बाढ़ पीड़ित होने की दशा में बसाया गया था और उपरोक्त भूमि पर वही लोग मालिक और काबिज हैं और इनके पास रिहायश के लिए अन्यत्र कोई भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन रायपुर खादर के निवासियों को अपने स्थान पर बसे रहने देगा ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम रायपुर खादर के निवासियों को इस आबादी की भूमि से हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । अभिलेखों में भी यह भूमि आबादी अंकित है ।

श्री बल्देव प्रसाद शुक्ल एवं श्री जी0 डी0 तिवारी, सहायक अधीक्षक की वरिष्ठता का अवक्रमण कर पदोन्नति किया जाना

52—श्री बलराम यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के 3रे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-137 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बल्देव प्रसाद शुक्ल एवं श्री जी0 डी0 तिवारी, सहायक अधीक्षक जो वरिष्ठता सूची दिनांक 27 अक्तूबर, 1988 में क्रमशः 25 एवं 27 क्रमांक पर हैं, कितने दिनों से बाल विकास परियोजना में तदर्थ रूप से किस पद पर व्यवस्थित किए गए हैं ? बाल विकास परियोजना में व्यवस्थित करने के पूर्व क्या उनको उनसे वरिष्ठ को अवक्रमित करके पदोन्नति नहीं दी गई थी ? क्या श्री बल्देव प्रसाद शुक्ला एवं श्री जी0 डी0 तिवारी को तदर्थ पदोन्नतियां शासनादेश संख्या-15/18/86-कार्मिक-1-1986 दिनांक 29 मार्च, 1986 के अनुकूल की गई हैं ?

श्रीमती बीपा—

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1983 द्वारा श्री बल्देव प्रसाद शुक्ला की और आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1984 द्वारा श्री जी0 डी0 तिवारी की बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई थी ।

बाल विकास परियोजना में व्यवस्थित करने से पूर्व उनको उनसे वरिष्ठ को अवक्रमित करके पदोन्नति नहीं दी गई थी ।

तदर्थ नियुक्ति वर्ष 1983 और 1984 में की गई थी, अतः दिनांक 29 मार्च, 1986 का शासनादेश इस सन्दर्भ में सुसंगत नहीं है ।

श्री बृजेश कुमार, पूर्व संयुक्त संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश का एक आवंटन विलेख पत्र पर कृत कार्यवाही

53--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश कुमार पूर्व संयुक्त संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या-721(27) एक्सवायर्ड भाग 2 सन् 1983 आदेश दिनांक 31 फरवरी, 1985 की पत्रावली के अनुसार चक आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो चक आवंटन किस तिथि को हुआ और चक का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं । संदर्भित पत्र, जो वस्तुतः दिनांक 31 जनवरी, 1985 का है, में चक आवंटन के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, वरन् ग्राम जोगियापुर तथा बोरपुर परगना कसवार के पट्टेदारों के स्वत्व व चक सम्बन्धी वादों के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा की गई थी ।

अभी स्वत्व सम्बन्धी मामले में एक निगरानी उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में तथा एक संदर्भ चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णय के पश्चात् ही चक आवंटन किया जाना सम्भव होगा ।

समाज कल्याण के राजकीय संरक्षण गृह में संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित करने की मांग

54--श्री राज किशोर सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 4681/26 फरवरी, 1988/41 ए0 क्यू0/83, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 द्वारा समाज कल्याण विभाग की स्वैच्छिक संस्था के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो समाज कल्याण के राजकीय संरक्षण गृह में संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा---

जी हां ।

जी नहीं ।

गोरखपुर के महराजगंज तहसील में वर्षा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के क्षतिपूर्ति हेतु वितरित धन का विवरण

55---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 1988 की बाढ़ वर्षा से नष्ट मकानों की क्षतिपूर्ति के लिए जो धन वर्तमान तहसील महराजगंज (गोरखपुर) में आना था उसका वितरण पनियरा, पदरौना, घुघली एवं महराजगंज विकास खण्डों के किन-किन गांवों में कितना-कितना हुआ ? क्या मंत्री जी पूरी सूचना से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

तहसील महराजगंज में वर्ष 1988 की बाढ़, वर्षा से नष्ट मकानों की क्षतिपूर्ति के लिए मु0 3,01,600 रु0 प्राप्त हुए थे, जिसमें ब्लाक पनियरा में 2,30,200 रु0 21 ग्रामों व ब्लाक परतावल में 1000 रु0 एक ग्राम में ब्लाक बघौली में 11,400रु0 2 ग्रामों में तथा ब्लाक महराजगंज में 29000 रु0 13 ग्रामों में गृह अनुदान वितरित हुआ। ब्लाकों की ग्रामवार सूची संलग्न* है।

बुलन्दशहर जिले के कतिपय विकास खण्डों में बुनकरों के लिए आवास युक्त कार्यशाला उपलब्ध कराने हेतु हथकरघा निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण

56—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने हथकरघा निदेशालय को स्पष्ट निदेश दिए हैं कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद स्याना एवं ऊंचागांव के ग्रामों स्याना, बरा, फिरोजपुर, बिहटा, हाजीपुर, धूमराली जलालपुर, बसी, भड़काऊ, दौलतपुरकलां, परवाना, खानपुर, अमरगढ़, सूरजपुर टीकरी मंगलपुर, दुलहरा, नवीनगर, जाडौल, कमालपुर करियारा, स्याना, जलीलपुर, जहांगीराबाद, बागवाला आदि में बुनकरों हेतु आवास योजना लागू की जायेगी ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा इस योजना में उपरोक्त क्षेत्र के बुनकर परिवारों को लाभान्वित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त योजना को तत्काल लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी हां।

बुनकरों के लिए आवासयुक्त कार्यशाला योजना पूरे प्रदेश में लागू है उपरोक्त वर्णित स्थानों पर बुनकरों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हथकरघा निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त पात्र बुनकरों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बुलन्दशहर के ग्राम बुकलाना में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना का प्रस्ताव

57--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जनपद में प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ऊंचा गांव एवं स्याना विकास खण्ड के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के मध्य में ग्राम बुकलाना जनपद बुलन्दशहर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

---

*देखिए 'नत्थी घ' आगे पृष्ठ 180 पर।

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

ग्राम बुकलाना, जिला बुलन्दशहर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

अधीक्षिका राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर का आरोपों की जांच के आधार पर स्थानान्तरोपरान्त कार्यमुक्त न किया जाना

58—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की अधीक्षिका राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर का आरोपों की जांच के आधार पर स्थानान्तरण पियोरा-गढ़ हो जाने के उपरान्त दिनांक 31 जनवरी, 1989 तक विभाग द्वारा कार्यमुक्त न किए जाने का क्या औचित्य है ? सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती बोपा—

प्रश्नगत अधीक्षिका की व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा सुयोग्य प्रतिस्थानी के अभाव में मण्डलीय उपनिवेशक द्वारा दिनांक 8 जून, 1989 तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया । उपनिवेशक ने उक्त स्थिति से निदेशक को अवगत करा दिया था, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

59—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्ना खां—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री बहादुर, निवासी ग्राम मुजवां, बहराइच को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

60—श्री राम सागर राव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के गांव सुजौली में श्री बहादुर पुत्र शिव बालक हरिजन को सन् 1980 में भूमि आवंटित की गई थी परन्तु आज तक उस पर कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो आवंटी को कब्जा कब तक दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

श्री बहादुर पुत्र शिव बालक अनुसूचित जाति निवासी ग्राम मुजवां, दा0 सुजौली को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, बहराइच द्वारा वर्ष 1980 में खातेदार श्री भगवानदीन पुत्र मंगली कलवार, निवासी चकरिया से 3·795 एकड़ भूमि क्रय कर उपलब्ध कराई गई थी । उस समय प्रश्नगत भूमि पर रामदेवी पुत्र जूठन (अनुसूचित जाति) निवासी धनिया बेली दाखिली जंगल गुलहारिया का कब्जा था, यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार से प्रश्नगत भूमि आवंटित नहीं की गई है । श्री बहादुर पुत्र शिव बालक द्वारा भूमि पाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को लेकर तहसील न्यायालय में नामांतर वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय नायब तहसीलदार धर्मापुर में विचाराधीन हुआ कालान्तर में उक्त वाद के पक्षकार रामदेव द्वारा प्रस्तुत हस्तांतरण आवेदन-पत्र पर सुनवाई हेतु

पत्रावली न्यायालय कलेक्टर, बहराइच, में आहूत की गई तथा हस्तांतरण आवेदन-पत्र पर पारित आदेश दिनांक 10 मार्च, 1987 के तहत पत्रावली अपर तहसीलदार, बहराइच, को निस्तारणार्थ भेजी गई। उक्त पत्रावली न्यायालय आयुक्त, फैजाबाद के मांग-पत्र दिनांक 27 मई, 1987 के अनुपालन में दिनांक 8 सितम्बर, 1987 को भेज दी गई। मामला अभी उक्त न्यायालय में विचाराधीन है न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रश्नगत मामले में तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

जनपद उन्नाव में विधवा पेंशन का भुगतान

61--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, विकास खण्ड-सुमेरपुर की श्रीमती रामेश्वरी पत्नी स्व0 श्री हरि प्रसाद, ग्राम व पोस्ट घनकोली, जिला उन्नाव, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 बुद्धा, ग्राम व पोस्ट घनकोली, जिला उन्नाव, श्रीमती शिव दुलारी, पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ, ग्राम रामनेर, पोस्ट जगतपुर, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव को निराश्रित विधवा भरणपोषण अनुदान कब से स्वीकार किया गया और उन्हें यह अनुदान अन्तिम बार कब प्रदान किया गया? अब इन निराश्रित विधवाओं को यह अनुदान न दिये जाने के क्या कारण है और अब इन लोगों को इनका अवशेष अनुदान कब तक प्रदान किया जायगा?

श्रीमती दीपा--

अनुदान स्वीकृति तथा अन्तिम बार भुगतान का विवरण निम्न है :--

नाम	स्वीकृति का वर्ष	अंतिम भुगतान का वर्ष
श्रीमती रामेश्वरी	1981-82	1986-87
श्रीमती मुन्नी देवी	1983-84	1988-89
श्रीमती शिवदुलारी	1984-85	1986-87

कारण निम्न हैं :--

नाम	अनुदान न दिये जाने का कारण
श्रीमती रामेश्वरी	वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक 1680 रु0 का अधिक भुगतान हो जाने के कारण उसका समायोजन हो रहा है।
श्रीमती मुन्नी देवी	इन्हें अनुदान का भुगतान निरन्तर हो रहा है।
श्रीमती शिवदुलारी	सम्बन्धित तहसीलदार की आख्या के अनुसार इनके दो पुत्र बालिग होने के कारण वे अनुदान की पात्रता श्रेणी से बाहर हो गई हैं।

उपरोक्त स्थिति में कोई प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स स्वस्तिक बिस्कुट कं0 (प्रा0) लि0, मोहम्मदपुर एवं मेसर्स वृन्दाबन बाटलर्स (प्रा0) लि0, सफेदाबाद, जनपद बाराबंकी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं दिया जाने वाला वेतन मान

62—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स स्वास्तिक बिस्कुट कं0 (प्रा0) लि0, मोहम्मदपुर जनपद बाराबंकी तथा मेसर्स वृन्दाबन बाटलर्स (प्रा0) लि0, सफेदाबाद जनपद बाराबंकी फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कारखानों में कितने-कितने श्रमिक कर्मचारी कार्यरत हैं ? श्रमिकों/कर्मचारियों को कुल कितना वेतन (वेतन महंगाई-भत्ता सहित) प्रतिमास दिया जाता है ? उक्त कारखानों में कितने-कितने श्रमिक कर्मचारी स्थाई एवं अस्थाई हैं । क्या दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं ?

श्री संय्यद सईदुल हसन—

जी हां ।

मेसर्स स्वास्तिक बिस्कुट कं0 (प्रा0) लि0 में 160 तथा मेसर्स वृन्दावन बाटलर्स (प्रा0) लि0 में 29 श्रमिक नियोजित हैं ।

मेसर्स स्वास्तिक बिस्कुट (प्रा0) लि0 में कर्मकारों को 656 रु0 से 1,228 रु0 प्रतिमाह तथा मेसर्स वृन्दाबन बाटलर्स प्रा0 लि0, सफेदाबाद, जनपद बाराबंकी के कर्मचारियों को 656 रु0 से 1,080 रु0 प्रतिमाह तक वेतन, महंगाई-भत्ता सहित भुगतान किया जाता है ।

मेसर्स स्वास्तिक बिस्कुट में 160 तथा मेसर्स वृन्दाबन बाटलर्स (प्रा0) लि0 में 29 कर्मकार्य स्थायी हैं ।

जी हां ।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद, श्रमिक यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स नं0 1 लि0, बाराबंकी के भविष्य निधि का भुगतान

63—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अनिरुद्ध प्रसाद श्रमिक यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स क0 नं0 1 लिमिटेड, बाराबंकी का भविष्य निधि धनराशि का रुपया क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर में लम्बित हैं ? यदि हां, तो उसे भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री संय्यद सईदुल हसन—

श्री अनिरुद्ध प्रसाद श्रमिक के भविष्य निधि की धनराशि का चेक संख्या 054066, दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 ग्रामीण बैंक, हिन्डोला, बाराबंकी की पंजीकृत-पत्र संख्या 1034, दिनांक 27 दिसम्बर, 1988 द्वारा भेजा जा चुका है ।

बाराबंकी के काश्तकारों के चकों की पैमाइश कराकर कब्जा देने की मांग

64--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 168 के उत्तर में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फसल के संदर्भ में कटने के उपरान्त स्थल पर पैमाइश कराकर बढ़े हुए रकबे पर सम्बन्धित काश्तकारों को कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

दिनांक 19-6-89 को स्थल पर चकों की पैमाइश कराकर बढ़े हुए रकबे पर सम्बन्धित काश्तकारों को कब्जा दिया दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा ओबरी, बाराबंकी के श्री गुलाब चन्द्र के नाम कथित भूमि का पट्टा

65--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ओबरी की भूमि संख्या 584/.4 रकबा, 0.01.10, 722 मीटर रकबा 0.0.16, 723 मी0 रकबा 0.01.04, 724 मी0 रकबा 0.06 बोध भूमि श्री राम चन्द्र पुत्र श्री गुलाब चन्द्र निवासी मुहल्ला सराय, शहर नवाबगंज को 1376 फसली में सीरदारी पट्टा दिया गया था ? क्या श्री राम चन्द्र श्री ओम प्रकाश अरोड़ा तत्कालीन आशुलिपिक जिलाधिकारी, बाराबंकी के पिता थे और उनके नाम नियमों के विरुद्ध अवैधानिक पट्टा किया गया, जिस पट्टे की भूमि को श्री ओम प्रकाश अरोड़ा द्वारा बाद में संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में दर्ज करा लिया गया ? यदि हां, तो क्या शासन पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगा और पद के दुरुपयोग करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

श्री राम चन्द्र, श्री ओम प्रकाश अरोड़ा के पिता थे परन्तु श्री ओम प्रकाश उस समय जिलाधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में आशुलिपिक नहीं थे, अपितु चकबन्दी विभाग में सीनियर लिपिक के पद पर कार्यरत थे ।

श्री रामचन्द्र भारत के बंटवारे के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान, जनपद लाहौर से आकर जनपद बाराबंकी में बस गये थे । शरणार्थी होने के कारण श्री रामचन्द्र के पास भूमि नहीं थी । तत्कालीन परगना अधिकारी के समक्ष भूमि आवंटन हेतु उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, तत्कालीन परगनाधिकारी ने उन्हें पात्र व्यक्ति मानते हुए विधिवत् सीरदारी का पट्टा किया था । उस पट्टे के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी, नबाबगंज ने अमलदरामद किए जाने का आदेश मु0 नं0 120/969/5-4-7 द्वारा किया था, जिसके आधार पर श्री रामचन्द्र का नाम विधिवत् राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ । यह सही नहीं है कि श्री ओम प्रकाश अरोड़ा द्वारा बाद में संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज कराया गया । संक्रमणीय इन्द्राज कराने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश अरोड़ा ने कोई कार्यवाही नहीं की है और न उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग किया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 में बुनकर सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन

66--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्रत्येक जनपद में बुनकरों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बुनकर सामूहिक बीमा योजना लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

प्रश्नगत योजना दिनांक 26-1-89 से शासन द्वारा लागू की जा चुकी है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं की बाल विकास परियोजना, बिसौली में अनियमितता की जांच

67--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं की तहसील बिसौली में इस वर्ष बाल विकास परियोजना के गोदाम में रखे करीब 95,000 रुपये के पुष्टाहार के स्टोरेज पर लगभग 4,05,000 रुपये का खर्चा किया जा रहा है जब कि अधिकांश माल गोदाम में सड़ चुका है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पुष्टाहार में सवा सत्रह हजार क्विंटल चोरी भी हो गया है जिसकी रिपोर्ट बदायूं भ्रष्टाचार उन्मूलन की अध्यक्ष, श्रीमती रश्मि शंखधर ने अपराध संख्या 384/89 के तहत थाना बिसौली में लिखाई है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

बाल विकास परियोजना, बिसौली के गोदाम में रखे पुष्टाहार के स्टोरेज पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जा रहा है और न ही गोदाम में रखा सामान सड़ चुका है । बाल विकास परियोजना, बिसौली के लिए वर्ष 1988-89 में सवा सत्रह हजार कुन्तल सामान क्रय ही नहीं किया गया । अतएव इतना सामान चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता । बदायूं भ्रष्टाचार उन्मूलन की अध्यक्षा, श्रीमती रश्मि शंखधर द्वारा थाना बिसौली में लिखाई गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

जनपद हमीरपुर में कार्यरत नायब नाजिर का निलम्बन एवं बहाली

68--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील एवं जिला हमीरपुर में कार्यरत नायब नाजिर श्री शाहिद अली को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो निलम्बन का क्या कारण है ? क्या निलम्बन आदेश के पूर्व कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो किस के द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां, श्री शाहिद अली तत्कालीन नायब नाजिर मोदहा को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए निलम्बित किया गया था परन्तु विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बहाल कर दिया गया है । निलम्बन आदेश के पूर्व इस मामले में तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर हमीरपुर से प्रारम्भिक जांच कराई गई थी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के ग्राम रामपुर चोट में चकबन्दी की कार्यवाही की मांग

69--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर चोट, परगना कोपाचोट सर्की, तहसील व जिला बलिया की चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव में चकबन्दी की कार्यवाही कब प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सिल्हौर, तहसील रामसनेही घाट, बाराबंकी की चकबन्दी में धांधली विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

70--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री को श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1988 तथा उसके साथ संलग्न श्री माधव प्रसाद पुत्र स्व0 राजा राम तिवारी, ग्राम सिल्हौर, मौजा रमगढ़ा, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी का चकबन्दी में हुई धांधली से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना-पत्र हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित शिकायतों की किस अधिकारी द्वारा जांच करवायी गयी है ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में चक्क संख्या 174, ग्राम रमगढ़ा के बारे में आकार पत्र 23, भाग 1 तथा नक्शे में कटिंग करके ओवर राइटिंग करने में कौन-कौन से कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? प्रार्थी के चार वर्षों में फसल में हुई हानि का कौन जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर जांच चकबन्दी अधिकारी (न्योरा) से कराई गई ।

जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

प्रथम दृष्टया श्री सुरेश दत्त तिवारी तत्कालीन स्थानापन्न, चकबन्दीकर्ता दोषी पाये गये हैं ।

उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं ।

अनियमितताओं के लिए ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

जनपद गोण्डा में ग्राम सभा कपूरपुर के साईं पुरवा के कतिपय व्यक्तियों से सम्बन्धित जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही

71--श्री फसीउरहमान उर्फ मुन्ना खां--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा, तहसील करनैलगंज, परगना पहाड़ापुर, ग्राम सभा कपूरपुर के साईं पुरवा के 60 निरीह लोगों के नियम 123(1) को

कार्यवाही की पत्रावली तहसील से नवम्बर, 1988 में चोरी हो गयी है । यदि हां, तो तहसीलदार द्वारा चोरी की सूचना अब तक पुलिस विभाग को न देने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम सभा के 60 निरीह व्यक्तियों से सम्बन्धित जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 123 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही परगनाधिकारी, करनैलगंज के न्यायालय में विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नेमतुल्ला सुपरवाइजर कानूनगो राजस्व परिषद् का स्थायीकरण एवं प्रोन्नति

72—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री नेमतुल्ला सुपरवाइजर कानूनगो राजस्व परिषद् की चरित्र-पंजिका पुस्तिका गायब है जिसके कारण उन्हें स्थायीकरण एवं प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी तथा चरित्र पंजिका बनवाकर कर्मचारी को लम्बित लाभ दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । वर्ष 1979 के पूर्व की चरित्र पंजिका गुम हो गई थी, यह सही नहीं है कि श्री नेमतुल्ला सुपरवाइजर कानूनगो को स्थायीकरण एवं प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है । दिनांक 3 अगस्त, 1984 से स्थायी कर दिया गया है तथा दिनांक 12 सितम्बर, 1988 को नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बाराबंकी के परगना रुदौली के अन्तर्गत ग्राम अमहटा से बरावां तक सम्पर्क-मार्ग की व्यवस्था

73—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के परगना रुदौली के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग द्वारा स्थल पर पहले से मौजूद ग्राम सभा अमहटा से ग्राम सभा बरावां को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं की गयी है जिसके कारण उक्त सम्पर्क मार्ग की भी पटाई का कार्य भी अधूरा पड़ा है ? क्या ग्राम सभा बरावां के निकट उक्त सम्पर्क मार्ग में पड़ने वाली भूमि को चकबन्दी अभिलेखों में बाग दर्ज किया गया है जबकि मौके पर बाग में पेड़ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था न करने का क्या कारण है ? उक्त सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम सभा-बरावां के निकट सम्पर्क मार्ग में पड़ने वाला गाटा संख्या-17 पुराने बन्दोबस्त से बाग दर्ज चला आ रहा है और अभी भी कुछ पेड़ हैं परती ह जिसके कारण चकबन्दी प्रक्रिया पृथक् किया गया था ।

गाटा संख्या 17, ग्राम बरावां व गाटा संख्या 1083/1 ग्राम अमहटा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक् होने के कारण सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था पहले नहीं की जा सकी ।

धारा 48(3) के अन्तर्गत संदर्भ संख्या 1042, 1043 में संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा पारित, आदेश दिनांक 8 सितम्बर, 1989 के अनुसार ग्राम बरावां में गाटा संख्या 17 मि0, रकबा 0-2-8 व ग्राम अमहटा म गाटा संख्या 1083/1 मि0, रकबा 0-4-0 की मालियत लगाकर सम्बन्धित खातेदारों को इस मालियत की भूमि देकर सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था कर दी गई है ।

स्व0 चन्द्र प्रकाश पंत की पत्नी को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति की मांग

74--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को विदित है कि श्री चन्द्र प्रकाश पन्त, पर्यवेक्षक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, नैनीताल की दिनांक 18 सितम्बर, 1987 को मृत्यु हो जाने के बाद उनकी विधवा पत्नी श्रीमती आशा पन्त ने नौकरी हेतु उक्त विभाग में आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उनको नौकरी पर न रखे जाने के क्या कारण हैं ? उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा--

जी हां । वह देहरादून में ही नौकारी चाहती थी, परन्तु देहरादून में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं था अतः नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

श्री हंसराज, निवासी ग्राम सूरजपुर तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के प्रतिकर भुगतान हेतु जिलाधिकारी के पत्र पर कृत कार्यवाही

75--श्री महेन्द्र माटी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1992/सात-डी0 एल0 आर0 सी0/88, दिनांक 20 मार्च, 1989, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित पत्र के विषय में जिला शासकीय अभिवक्ता एवं मुख्य अस्थायी अभिवक्ता, इलाहाबाद की विधिक राय प्राप्त किये जाने के बाद भी हंसराज पुत्र गंगा राम, नि0 सूरजपुर, तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के अभी तक प्रतिकर के भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

जिलाधिकारी, गाजियाबाद का पत्र संख्या 1992/सात-डी0 एल0 आर0 सी0/88, दिनांक 28 मार्च, 1989 प्राप्त हुआ है और उसमें अन्तर्ग्रस्त विधिक तथा वित्तीय पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

मेसर्स सीमेन्ट कंक्रीट इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0 देवारोड, बाराबंकी द्वारा श्रमिकों का प्राविडेन्ट फण्ड वापस करने की कार्यवाही

76—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स सीमेन्ट कंक्रीट इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0, औद्योगिक क्षेत्र, देबां रोड, जिला बाराबंकी के सेवायोजक ने कारखाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या पूर्व में नियोजित श्रमिकों, जिनका प्राविडेन्ट फण्ड काटा गया था, को प्राविडेन्ट फण्ड वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

जी हां ।

मेसर्स सीमेन्ट कंक्रीट इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0, देवां रोड, बाराबंकी, दिनांक 15 जून, 1987 से बन्द है ।

पूर्व में नियोजित कुल 36 कर्मचारियों/कर्मकारों में सभी का प्रावोडेन्ट फण्ड वापिस करने की कार्यवाही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा की जाती है जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर कर्मचारियों द्वारा प्रार्थन-पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है

बदायूं जनपद की बिसौली तहसील में चकबन्दी कानून नं0 5 के अन्तर्गत ग्राम हरदासपुर का प्राख्यापन

77—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं के परगना बिसौली के ग्राम हरदासपुर में चकबन्दी कानून नं0 5, सन् 1954 (जो 1958 से पूर्व प्रचलित था) की धारा 12 के अन्तर्गत विचाराधीन वादों (सिविज जज बदायूं चकबन्दी मुकदमा संख्या—44, 45, 46, 47, 48, 52 (दूसरा नं0 40), 38, 39, सन् 1958) के विचाराधीन होने पर भी सम्पूर्ण ग्राम हरदासपुर में दुबारा चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए धारा 4-अ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 25-10-1985 व 1-5-1986 जारी करने के क्या कारण हैं ? क्या ए0 एल0 जे0 1986 पेज 1061 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तत्काल इस प्रक्रिया के निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम हरदासपुर में चकबन्दी अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 जो सन् 1958 ई0 से पूर्व प्रचलित था, की धारा-12 (2) जो0 च0 अ0 1953 के अन्तर्गत जिला जज बदायूं के न्यायालय में वाद सं0-39, 40, 45, 47, 49, 52, 39, 41, 43, 42, 44 तथा 46/1958 एवार्ड देने हेतु चले थे । जिला जज, बदायूं ने अपने आदेश से वाद सं0-39, 41, 43, 42, 44 तथा 46 वर्ष 1958 का निस्तारण अन्तिम रूप से कर दिया और उनके आदेश के विरुद्ध निगरानियां एवं माननीय उच्च न्यायालय में हायर रिट याचिका भी अन्तिम रूप से क्रमशः दिनांक 12-7-1971 एवं 3-1-1975 में निर्णीत की जा चुकी है ।

वाद संख्या–39, 40, 45, 47, 49 एवं 52 वर्ष 1958 को जिला जज ने निर्णीत न करके मध्यस्थ को वापस कर दिये कि इन वादों में पुनः एवार्ड दें। वादों से सम्बन्धित कुछ पक्ष मृत हो चुके थे, इसलिए मध्यस्थ न उक्त वादों को चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में वारिस बनाये जाने हेतु व्यावर्तित कर दिया। वादों में वारिस को नियुक्ति को जा चुकी है परन्तु मध्यस्थ को नियुक्ति न होने के कारण लम्बित है।

शासन द्वारा 20 वर्ष से अधिक अवधि वाली] दुबारा चकबन्दी कराने के लिए चयनित तहसीलों में बिसौली तहसील का भी नाम प्रस्तावित था जिसमें ग्राम हरदासपुर भी था, जो निर्धारित अवधि पूरा करने के कारण धारा–4 (क) (2) के अन्तर्गत प्रख्यापित हुआ। इस प्रकार ग्राम हरदासपुर का प्रख्यापन नियमानुसार ही हुआ है।

ए0 एल0 जे0 1986 पेज 1061 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि चकबन्दी अधिनियम संख्या—5/1954 जो जो कि सन् 1958 से पूर्व प्रचलित था, की धारा–12 (2) जो0 च0 अ0 1953 के अन्तर्गत वादों के लम्बित होने पर सम्पूर्ण ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें सम्पन्न नहीं की जा सकती, वरन विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही व्यवस्था है। अतः सम्पूर्ण ग्राम में चकबन्दी क्रियाओं के निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद के ग्राम पिलखिनी में रेवन्यू रिकार्ड का भाग–2 का खाते में न होने की जांच

78—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिलखिनी, परगना कसवार राजा, तहसील व जिला वाराणसी का 1356 व 1359 फ0 तथा 1362 फ0 के रेवन्यू रिकार्ड का भाग–2 राजस्व खाते में नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि सन् 1334 फ0 में खाता नं0 1041 व 5912, 6312, 11314 व 624,34 वगैरह खातों पर सुधीन वल्द लक्ष्मन व नन्हकू वल्द लक्ष्मन व लक्ष्मन वल्द शिवचरन, गांव पिलखनी की काश्तकारी थी और उसको राधो विन्द नारायण सिंह व राविन्द नारायण सिंह ने अपने नाम करा लिया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और रेवेन्यू रिकार्ड के भाग-2 को पता लगायेगी?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

79—श्री अफजाल अंसारी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी के ग्राम भौगांव में धारा 52 का प्रकाशन

80—श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील भौगांव के ग्राम भौगांव जो कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत था, में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक धारा 52 के प्रकाशन होने की सम्भावना है?

श्री माता प्रसाद—

इस ग्राम को धारा-52 (1) की विज्ञप्ति दिनांक 5-9-1989 को जारी कर दी गई है तथा गजट में प्रकाशन हेतु भेज दी गई है ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्राम सभाओं में भूमि का आवंटन तथा आबंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही

8 1—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने माह अप्रैल और मई, सन् 1989 में ग्राम सभा जमीन का आबंटन करने तथा पहले से आबंटित व्यक्तियों को कब्जा दिलाने का एक अभियान चलाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में ग्राम सभा शेरपुर दहेन्दू, जोगा, मुसाहिब फिरोजपुर कलां, इत्यादि ग्राम सभाओं से भूमि आबंटन की कार्यवाही तथा गांव सभा मसौन (मौजा केवड़ा) फिरोजपुर कला, करीमुद्दीनपुर, अवथही, दुढ़िया (चमरारी) इत्यादि में पहले से प्राप्त पट्टों के आधार पर पट्टेदारों को कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक उपरोक्त ग्राम सभाओं में भूमि आवंटन की कार्यवाही तथा आवंटियों को कब्जा देने की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम सभा दहेन्दू में 27.448 हेक्टेयर भूमि आवंटित है, जिस पर आवंटी पहले से ही काबिज दाखिल हैं । ग्राम सभा जोगामुसाहिब में 1.409 हे0 ए0 भूमि आवंटित है जिस पर एक आवंटी को छोड़कर शेष सभी आवंटी काबिज हैं । गैर काबिज आबंटी का पट्टा खारिज करने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है । ग्राम सभा फिरोजपुर कला में 2.030 हेक्टेयर भूमि आवंटित है जिसमे 21 व्यक्तियों को छोड़कर शेष आवंटियों का कब्जा पहले से हो है । गैर काबिज आवंटियों के पट्टे खारिज करने के सम्बन्ध में मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । ग्राम सभा मसीन में 4.233 हे0 ए0 भूमि आवंटित है, जिसमें आठ आवंटी को छोड़ कर शेष आवंटी पहले से ही काबिज हैं । गैर काबिज 8 व्यक्तियों के पट्टा खारिज करने के सम्बन्ध में मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । ग्रामसभा शेरपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है बचत भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आवंटन सम्भव नहीं है । मौजा केवड़ा जो ग्राम सभा मसौन के अन्तर्गत है में 7 व्यक्तियों को भूमि आवंटित हैं परन्तु इनके विरुद्ध पट्टा खारिज करने का मुकदमा सक्षम न्यायालय में होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है । ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर में जो आवंटन 1988 में 13 पात्र व्यक्तियों के पक्ष में हुआ है, इसमें चकबन्दी कर्मचारियों की सहायता लेकर 11 व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया तथा शेष दो व्यक्तियों को मौके पर भूमि न उपलब्ध होने के कारण पट्टा खारिज करने की कार्यवाही की गई हैं । ग्राम सभा अवथही में पहले के 3 आबंटियों में से 2 गैर काबिज हैं जिनके पट्टे खारिज करने के सम्बन्ध में वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। ग्राम सभा ढढ़िया के अन्तर्गत राजस्व ग्राम ढढ़िया, चमरारी फतेहउल्लाहपुर शामिल है जिसमे कुल 37 व्यक्तियों का पट्टा हुआ है जिसमें चमरारी, फतेहउल्लाहपुर के 14 आवंटी तथा ढढ़िया के एक आवंटी काबिज हैं शेष 22 आवंटी के पट्टे खारिज के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ग्राम सभा जोगामुसाहिब में 0·067 हे0 ए0 का फिरोजपुर कलां में 0·630 हे0 ए0 ग्राम सभा

मसौन के अन्तर्गत ग्राम केवड़ा में व गोविन्दपुर में 2·585 हे० ए०, ग्राम करीमुद्दीनपुर में 0·340 हे० ए० व ग्राम अवथहो में 0·387 तथा ढढ़िया में 1.092 हे० ए० भूमि पर कब्जा दखल की कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि मौके पर भूमि अनुपयुक्त या अनुपलब्ध है जिसके कारण इन आवंटियों के पट्टे खारिज करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा की जा रही है ।

बरेली जनपद में गहलुइया माइनर के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाया जाना

82—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में गहलुइया माइनर नहर का निर्माण करने हेतु तहसील बहेड़ी के कौन से ग्राम की कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था? अधिग्रहण किस वर्ष में किया गया था तथा अधिग्रहण की विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में कब हुआ था? उक्त अधिगृहीत भूमि के मुआवजा की धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधिग्रहण सम्बन्धी अधिकारियों को कब भेजी गई थी तथा उक्त मुआवजे का भुगतान कब कर दिया गया ? क्या मन्त्री जी भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से जब तक प्रत्येक वर्ष के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ फसल की क्षतिपूर्ति के लिए तथा आज के बाजार भाव पर भूमि का मुआवजा कृषकों को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद बरेली में "गहलुइया माइनर" के निर्माण हेतु तहसील बहेड़ी के ग्राम गहलुइया 7-980 एकड़, ग्राम मुहीउद्दीनपुर की 3·953 एकड़ तथा ग्राम बयोंधा की 0·863 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

प्रश्नगत भूमि का कब्जा भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 1989 को लिया गया है तथा विज्ञप्तियों का प्रकाशन दिनांक 1 अक्तूबर, 1988 तथा दिनांक 23 जनवरी, 1989 को राजकीय गजट में हुआ था ।

भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सिंचाई विभाग ने प्रकरण में अर्जन विज्ञप्तियां प्रकाशित होने से पूर्व दिनांक 14 सितम्बर, 1987 को अनुमानित प्रतिकर की धनराशि राजस्व विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करायी थी । तदुपरान्त अर्जन विज्ञप्तियां प्रकाशित होने के उपरान्त नियमानुसार प्रभावित काश्तकारों को अनुमानित प्रतिकर की 80 प्रतिशत धनराशि दिनांक 31 मार्च, 1989, 19 अप्रैल, 1989 तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1989 को भुगतान कर दी है । अवशेष प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नियमानुसार अभिनिर्णय की घोषणा के उपरान्त सम्भव होगा ।

जी नहीं । प्रश्नगत भूमि का कब्जा भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 1989 को लिया गया है । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत अध्याप्ति भूमि की अर्जन विज्ञप्ति प्रथमबार दिनांक 1 अक्तूबर, 1989 को राजकीय गजट में प्रकाशित हुई है । अतः वर्ष 1988 को नियमानुसार आधार मानकर ही प्रभावित काश्तकारों की अध्याप्ति भूमि का प्रतिकर निर्धारण वर्ष 1988 के बाजार भाव के अनुसार करके उनको 80 प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि भुगतान की जा चुकी है ।

जिला उद्योग केन्द्र बलिया में स्टेनो के पद पर कार्यरत श्री बहादुर राम के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

83--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि बलिया जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत स्टेनो बहादुर राम उक्त पद पर कितन दिनों से कार्यरत हैं तथा प्रश्नकर्ता सहित कितन माननीय विधायकों ने उनके विरुद्ध कितने शिकायती पत्र वर्ष 1988-89 में शासन को दिये ह और उन पर क्या-क्या जांच एवं कार्यवाही सुनिश्चित का गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

श्री बहादुर राम बलिया जिला उद्योग केन्द्र में स्टेनो के पद पर दिनांक 25 जून, 1979 से 20 जुलाई, 1983 एवं दिनांक 20 जनवरी, 1984 से निरन्तर कार्यरत हैं ।

प्रश्नकर्ता सहित दो विधायकों ने वर्ष 1988-89 में 5 शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए ।

प्रश्नकर्ता एवं श्री बालेश्वर, सदस्य, विधान सभा, के माध्यम से प्राप्त श्री राम सरीखा यादव के शिकायती पत्रों पर उद्योग निदेशक द्वारा जांच कराई गई । जांच में शिकायतें निराधार पाई गई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28 मार्च, 1989 के साथ प्राप्त श्री मोती यादव के शिकायती-पत्र पर अभी जांच सम्पन्न की जा रही है ।

भूमि प्रबन्ध समिति बेलवुख वि० खं० खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम समाज की भूमि के आवंटन की कार्यवाही

84--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेलवुख, विकास खण्ड खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर के भूतपूर्व प्रधान ने पिछले चुनाव के समय कुछ अपात्र व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किये जाने की संस्तुति की थी जिसे वर्तमान ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त किये जाने के बावजद भी अधिकारियों द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

भूमि प्रबन्धक समिति बेलवुख, विकास खण्ड खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 1988 को 17 व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें से केवल एक व्यक्ति अपात्र पाया गया । यह सही है कि वर्तमान भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है । अतएव जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को निर्देशित कर दिया गया ह कि पूर्व प्रस्ताव के आधार पर पट्टा देने की कार्यवाही न की जाय ।

फर्रुखाबाद विधान सभा क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को लड़कियों की शादी हेतु स्वीकृत अनुदान का विवरण

85--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों में

से किन-किन लोगों को वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87 एवं चालू सत्र 1988-89 में अपनी लड़कियों की शादी हेतु उनके आवेदन-पत्रों पर कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बीपा--

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में, रु0 3,000.00, वर्ष 1986-87 में, रु0 9,003.00 तथा 1988-89 में रु0 30,000 का अनुदान स्वीकृत किया गया। व्यक्तिवार स्वीकृत किये गये अनुदान के विवरण परिशिष्ट 1, 2 व 3 में दिये गये हैं। जनजाति के व्यक्तियों की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान की व्यवस्था नहीं है।

(देखिए 'नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 182 पर)

जनपद गाजियाबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सीलिंग की भूमि का कब्जा।

86--श्री कनक सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो ग्राम शाकरपुर के 11 व्यक्तियों को पट्टों का कब्जा आवंटियों को दिलाया गया था उसकी तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि विधान सभा में प्रश्न पूछने की तिथि तक कब्जा नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो गलत सूचना दिये जाने का क्या कारण था ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम शाकरपुर के 11 आवंटियों को 12 मई, 1978 को कब्जे दिये गये थे।

जी नहीं।

गलत सूचना नहीं दी गयी थी।

श्री जमील अहमद नायब तहसीलदार शाहजहांपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं स्थानान्तरण

87--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र बाल सिंह संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1989 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, श्री सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस (ई) शाहजहांपुर का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1988, श्री सुरेन्द्र सिंह विधायक गाजीपुर का अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को सम्बोधित पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1988 जिसके साथ प्रश्नकर्ता के दिनांक 2 जनवरी, 1988 के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है तथा श्री सत्यपाल सिंह यादव नेता विरोधी दल का पत्र संख्या 4363, दिनांक 3 फरवरी, 1988 शासन में प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पत्रों द्वारा बन्दोबस्त इकाई उन्नाव के शाहजहांपुर में कार्यरत सर्वे नायब तहसीलदार श्री जमील अहमद के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये

हैं तथा उनमें श्री जमील अहमद को स्थानान्तरण कराने के बाद जांच करके उन्हें दंडित करने को लिखा गया है ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या हैं तथा जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच के दौरान श्री जमील अहमद का स्थानान्तरण कहां के लिये किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां। सभी प्रार्थना-पत्र एक ही प्रकार के हैं, तथा श्री जमील अहमद सर्वे नायब तहसीलदार शाहजहांपुर के विरुद्ध हैं। आरोपों की जांच सहायक अभिलेख अधिकारी उन्नाव द्वारा कराई गई। सभी आरोप निराधार पाये गये हैं संस्तुति मई, 1988 में श्री जमील अहमद सर्वे नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण जनपद शाहजहांपुर से जनपद उन्नाव कर दिया गया है। श्री अहमद के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप थे।--

(1) श्री अहमद ने सर्वे कुलियों का पैसा हड़प लिया।

(2) छोटे काश्तकारों का रकबा कम कर दिया।

(3) कुछ कर्मचारियों श्री रामबचन यादव, श्री सन्तपाल, श्री जितेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण जनपद मिर्जापुर करा दिया।

(4) अपने सम्बन्धियों की नियुक्तियां करवा ली हैं।

(5) श्री सन्तलाल एवं कमल किशोर को निलम्बित करा दिया।

(6) साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जांच रिपोर्ट के सार-तत्व का उल्लेख उपरवर्णित प्रस्तर में दिया जा चुका है।

जिला फैजाबाद की बीकापुर तहसील के ग्राम कुरावन के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

88--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अजरौली और ग्राम कुरावन परगना पच्छिम, तo बीकापुर, जिला फैजाबाद में अब कितनी कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है ? कितने भूमिहीन हरिजन एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोग आवंटन के पात्र हैं ? आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भी आवंटन की कार्यवाही में विलम्ब के लिए कौन लोग दोषी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद तथा परगनाधिकारी बीकापुर को वर्ष 1989 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम अजरौली और ग्राम कुरावन, परगना पच्छिम, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में अब कोई भी कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 140 हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोग आवंटन के पात्र पाये गये जिनको भूमि का आवंटन किया जा चुका है। आवंटन कार्य में कोई विलम्ब नहीं किया गया। दिनांक 1 जुलाई, 1989 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर उक्त के दृष्टगत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फैजाबाद जनपद में गोंड़ समुदाय के लोगों को गोंड़ जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना

89--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के गोंड़ समुदाय के लोगों को गोंड जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता रहा है ? क्या यह सही है कि गोंड़ जाति का प्रमाण-पत्र जारी करना अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो बन्द करने का आधार क्या है ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद के ग्राम उदयराजपुर में किसानों का चक परिवर्तन एवं कब्जा दिलाया जाना

90--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उदयराजपुर, परगना कसवार राजा, जनपद वाराणसी की जोत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है और धारा 52 का प्रकाशन हो गया है ? यदि हां, तो क्या जोतों की पैमाइश व सीमांकन होकर किसानों का चक आवंटित हो गये हैं और किसान अपने-अपने चकों पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो उदयराजपुर की कागजी चकबन्दी को समस्त प्रक्रिया निरस्त कर नये सिरे में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कराने में शासन को क्या कठिनाई है ।

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

किसानों को चक आवंटित हो गये हैं । चकों पर कब्जा परिवर्तन कराने के लिए दिनांक 24 मई, 1982, 17 जून, व 3 अगस्त, 1985 को पुलिस बल के साथ स्टाफ मौके पर भेजा गया परन्तु ग्राम में चकबन्दी होने के कारण काश्तकारों ने स्थल पर चकों को नाप नहीं करने दी । फलतः कृषक अभी अपनी पुरानी जमीन पर ही काबिज हैं । कब्जा परिवर्तन कराये जाने का प्रयास अब भी जारी है ।

ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और धारा 52 का प्रकाशन हो जाने के पश्चात् समस्त कार्यवाही को निरस्त कर नये सिरे से चकबन्दी कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद मऊ के ग्राम हासपुर के लिये किसानों की शारदा सहा0 खंड 52 में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

91--श्री राम जनम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ, तहसील सदर के ग्राम हांसपुर के स्थान पर ग्राम हांसापुर, तह0 घोसी जनपद मऊ शारदा सहायक खंड 52 द्वारा मुआअजा बना दिया गया है ? यदि हां, तो जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं । ग्राम हांसपुर तहसील व जनपद–मऊ के उन्हीं काश्तकारों हेतु मुआवजा बनाया गया है जिनकी भूमि शारदा सहायक खंड 52 द्वारा अधिगृहीत की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वक्फ विभाग में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का निलम्बन एवं बहाली

92—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ आयुक्त, उ0 प्र0 ने अपने दो वर्षीय कार्यक्रम में कितने अल्प वेतन भोगी वक्फ कर्मचारियों का कब–कब निलम्बित किया है तथा उन्हें आरोप पत्र किन तिथियों में दिया गया और वह उन्हें कब प्राप्त हुआ ह ? क्या कुछ निलम्बित वक्फ कर्मचारियों ने आरोप पत्र का उत्तर देने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की फोटो प्रतियां प्रेषित करने की मांग की है तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अनेकों पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिये जाने के बावजूद उन्हें वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं है जिसके अभाव में वह आरोप पत्र का उत्तर देने में असमर्थ है ? यदि हां, तो उनके प्रार्थना–पत्र में कौन–कौन से अभिलेख की प्रतियां मांगी गई है तथा उन्हें अब तक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या उपाय किया गया ? यदि नहीं, तो क्या अनावश्यक बिलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने तथा सम्बन्धित कर्मचारी को तत्काल बहाल करने के आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

वक्फ आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन वक्फ आयुक्त द्वारा अपने कार्यकाल में 9 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया । इनके निलम्बन, आरोप पत्र जारी होने और प्राप्त होने की तिथियों का उल्लेख परिशिष्ट "क" में है ।

केवल एक निलम्बित कर्मचारी ने आरोप–पत्र का उत्तर देने के लिये कुछ अभिलेखों की प्रतियां मांगी थी । उन्हें समस्त आवश्यक और नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने योग्य अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करा दी गयी है । परिशिष्ट "ख" में मांगे गये और दिये गये अभिलेखों का विवरण दिया गया है । जो अभिलेख नहीं दिय गये उनका कारण भी इसमें उल्लिखित है । कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । सम्बन्धित कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही के परिणाम के प्रतिबन्ध के साथ बहाल कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 187 पर ।)

जनपद गोंडा में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधित) अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का पट्टा

93—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खाँ—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में मार्च, 1988 तक कितनी सीलिंग से निकाली जमीनों का पट्टा किया गया है तथा अब कितनी जमीन और कहां शेष बच रही है ? क्या शेष बची जमीनों का पट्टा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधित) अधिनियम के अन्तर्गत 8850 एकड़ भूमि का पट्टा किया गया है ।

अगस्त, 1989 के अन्त तक आवंटन हेतु विवादरहित 3 एकड़ भूमि तहसील तरबगंज में तथा 10 एकड़ भूमि तहसील गोंडा में उपलब्ध थी जिसके आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी सर्किल 15 डुमरियागंज बस्ती में कार्यरत गजराज चौधरी लेखपाल द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

94—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज जनपद बस्ती के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के सहायक चकबन्दी अधिकारी सर्किल 15 में कार्यरत लेखपाल गजराज चौधरी के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र डी0 डी0 सी0 बस्ती को प्राप्त हुए हैं और उसकी जाँच किस अधिकारी से करायी गयी ? क्या यह सत्य है कि ग्राम हुसैनपुर परगना बिडहर तहसील टांडा, जिला फैजाबाद के अभिलेख उक्त लेखपाल द्वारा जब वह फैजाबाद में कार्यरत थे, गायब कर दिये गये थे और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी फैजाबाद में दिनांक 2 फरवरी, 1989 पत्र संख्या 10772 सी0 सी0, दिनांक 3 सितम्बर, 1988 के क्रम में एस0 ओ0 सी0 डुमरियागंज को यह पत्र लिखा है कि उक्त लेखपाल फैजाबाद से चकबन्दी का बस्ता लेकर गायब हैं इसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो इतने महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब करने तथा अभिलेखागार में जमा न करने के जुर्म में इसे निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या पूरा विवरण मन्त्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच चकबन्दी अधिकारी, सिकटा से करायी गयी ।

जी हां ।

ग्राम हुसैनपुर परगना बिडहर तहसील टांडा, जिला फैजाबाद के अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में जमा न करने तथा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के विषय में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फैजाबाद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी डुमरियागंज को पत्र लिखा था जिसपर चकबन्दी अधिकारी सिकटा के माध्यम से लेखपाल का स्पष्टीकरण तथा उक्त ग्राम के अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश पत्र संख्या 366/सी0 सी0, दिनांक 17 फरवरी, 1989 द्वारा दिया गया । श्री गजराज लेखपाल चकबन्दी का स्पष्टीकरण तथा फर्दचार्ज की फोटो कापी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बस्ती के पत्र दिनांक 10 अगस्त, 1989 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फैजाबाद को भेज दिया गया है ।

चूंकि लेखपाल ने उक्त ग्राम का चार्ज दिनांक 23 जुलाई, 1981 तथा दिनांक 23 अगस्त, 1982 को दिया था और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में उसका स्पष्टीकरण संलग्नकों सहित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फैजाबाद को भेजा जा चुका है, अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेशानुसार ही की जायेगी ।

इण्डिया पोली फाइबर लि0 देवा रोड, बाराबंकी में कार्यरत दुर्घटना-ग्रस्त आपरेटर श्री गोविन्द प्रसाद को इलाज एवं उन्हें क्षतिपूर्ति दिया जाना

95—श्री हर्ष वर्धन—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 12/13 अप्रैल, 1989 को प्रातः 4-45 बजे इण्डिया पोली फाइबर लि0 देवा रोड, बाराबंकी में कार्यरत आपरेटर श्री गोविन्द प्रसाद दुर्घटना म बुरी तरह जल गये थे ? यदि हां, तो सम्बन्धित श्रमिक के जलने की सूचना श्रम विभाग तथा स्थानीय पुलिस को न देकर सेवायोजकों ने उसे लखनऊ में अलीगंज स्थित "नीरा नर्सिंग होम" में भर्ती कराकर उपचार कराया ? क्या शासन सम्बन्धित श्रमिक के जलने पर वैधानिक कार्यवाही न करने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे विधि अनुसार क्षतिपूर्ति दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

यह कहना सही है कि दिनांक 13 अप्रैल, 1989 को प्रातः 4.45 बजे मेसर्स इण्डिया पोली फाइबर्स लि0, देवा रोड, बाराबंकी में कार्यरत आपरेटर श्री गोविन्द प्रसाद कारखाने में कार्य करते समय हुई दुर्घटना में जल गये थे ।

सम्बन्धित श्रमिक के जलने की सूचना कारखाने द्वारा नियमानुसार उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली में निर्धारित प्रपत्र संख्या-18 पर समय से श्रम विभाग के सहायक निदेशक, कारखाना, लखनऊ क्षेत्र व निदेशक, कारखाना, उ0 प्र0, कानपुर को नहीं भेजी गई । इस दुर्घटना की सूचना नियमानुसार स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक नहीं है दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को कारखाने की डिसपेन्सरी में प्राथमिक उपचार के बाद "नीरा नर्सिग होम", अलीगंज, लखनऊ में भर्ती कराकर उपचार कराया गया । किसी प्राइवेट नर्सिग होम में उपचार कराया जाना नियमों के प्रतिकूल नहीं है ।

जी हां ।

कार्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण, बरेली में लम्बित विधवा एवं विकलांग पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

96—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विधवा पेन्शन तथा विकलांग पेन्शन हेतु कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र क्रमशः तीन महीने, छह महीने एवं एक साल से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के बावजूद आश्रितों को पेन्शन न देने का क्या कारण है ? इन प्रार्थियों को कब तक पेन्शन भुगतान प्रारम्भ करा दिया जाएगा ?

श्रीमती दीपा—

बरेली जनपद में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली के कार्यालय में विधवा एवं विकलांग के प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार लम्बित हैं :—

	तीन माह	छः माह	एक साल से अधिक	योग
1	2	3	4	5
1—विधवा				
अनुदान	435	724	714	1873
2—विकलांग				
अनुदान	54	100	159	313

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लम्बित पत्रों का निस्तारण नहीं हो सका था लेकिन वित्तीय वर्ष 1989-90 में जनपद बरेली की विधवाओं को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जा चुका है जिससे विधवा अनुदान के लम्बित पत्रों का निस्तारण हो सकेगा । विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि के आवंटन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । निर्णयोपरान्त लम्बित पत्रों के निस्तारण पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में अनुरेखक (ट्रेसर) को सम्मिलित किए जाने की जानकारी

97—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की व्यवसायिक वृत्ति परीक्षा में नक्शानवीस (ड्राफ्टमैन) सिविल, यांत्रिक में किसी विभाग में कार्यरत अनुरेखक (ट्रेसर) को सम्मिलित किया जा सकता है ? यदि वह सम्मिलित किया जा सकता है, तो उसकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी ?

श्री सय्यद सईदुल हसन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 श्रम विभाग के कर्मचारियों की अपीलों के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश के पत्र पर कार्यवाही

98—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश का श्रमायुक्त, उ0 प्र0 को सम्बोधित दिनांक 21 जनवरी, 1989 का पत्र

जिसमें वर्ष 1981 से 84 के बीच की ग्रेचुटी की 8 अपीलें लम्बित होने के कारण सम्बन्धित मजदूर परिवारों के सम्मुख भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है अंकित है, मिल गया है ? यदि हां, तो उन अपीलों की सुनवाई शीघ्र ही वाराणसी में करके उन्हें तुरन्त निस्तारित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

सैय्यद सईदुल हसन--

श्री विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष के पत्र की प्रति संलग्न है । इसमें अंकित विवाद संख्या 15/81 तथा 13/81 के सम्बन्ध में दायर अपीलों का विवरण नहीं दिया गया है और कार्यालय रिकार्ड से इनमें अपीलें दायर होना प्रतीत नहीं होता । शेष 6 मामलों में से अपील संख्या 42/84 में निर्णय हो चुका है, अन्य अपीलों की सुनवाई वाराणसी में हो रही है ।

*(देखिए 'तत्थी छ' आगे पृष्ठ 191 पर)

खीरी जनपद के निघासन तहसील में ग्राम विक्रमवान के निवासी सरदार केवल सिंह द्वारा पट्टे की भूमि पर कब्जा करने की जांच

99--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विक्रमवान, पर0 पलिया, तहसील निघासन, जनपद खीरी के निवासी सरदार केवल सिंह के पास 300 एकड़ नाजायज जमीन है, जिसमें 71 एकड़ कोलोनाइजेशन तथा 31 एकड़ सीलिंग से प्रभावित जमीन है, जो कागज में चारागाह दिखायी गई है ? क्या यह सच है कि उक्त जमीन पर 7 वर्ष पूर्व पात्रता सूची के आधार पर पट्टा कर दिया गया था जिन्हें अब तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

100--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि करीब 17 एकड़ जमीन पर भी कब्जा दिखलाकर 229-बी के आधार पर उसे खारिज कर दिया गया ? क्या यह सच है कि इसमें से अधिकांश, जमीन के मुकदमें चलते ही दूसरे आदमी को दे दी गई ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

101--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त गांव में 170 एकड़ भूमि के एलाटी 15 लोगों को उक्त श्री सरदार केवल सिंह ने भगाकर नाजायज कब्जा कर लिया जहां पर आज इब्राहिमपुरी कालोनी बसी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

102--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[उरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद गोण्डा के करनैलगंज तहसील में बरासत के दाखिल-खारिज की लम्बित वादों की जानकारी

103--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्ना खां--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा में फरवरी, 1988 तक बरासत के दाखिल-खारिज की कितनी फाइलें पेंडिंग थी ? पेंडिंग होने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा में फरवरी, 1988 तक बरासत के दाखिल-खारिज के 424 वाद लंबित थे। वादों के लंबित होने का मुख्य कारण वादों का काफी विवादग्रस्त होना, अधिवक्ताओं का अधिकतर हड़ताल पर रहना और सुनवाई में वांछित सहयोग न देना था।

बस्ती जनपद के रामनगर ब्लाक के ग्राम भीवापार में चकरोड की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

104--श्री बालेश्वर--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज के ब्लाक राम नगर के ग्राम भीवापार में चक संख्या-424 के उत्तर दिशा में चकरोड है जिस पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपने-अपने खेतों में मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चकरोड की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

मौके पर पैमाइश कराकर बगल के जिन पांच काश्तकारों ने चकरोड की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, उनके विरुद्ध उ0 वि0 अधिनियम की धारा-122-बी के अन्तर्गत वाद कायम कर दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले की तहसील बूढ़नपुर के ग्राम खजुरी में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री शर्मा जांच रिपोर्ट एवं दोषी जनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

105--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम खजुरी परगना अतरौलिया तहसील (अब बूढ़नपुर) की चकबन्दी में हुई अनियमितताओं की शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक हेडक्वार्टर (चकबन्दी) श्री तिलक राज शर्मा ने की और अपनी जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी, आजमगढ़ को पत्र संख्या 870 एस 14, दिनांक 4-2-88 द्वारा दे दी है ? यदि हां, तो श्री शर्मा की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

श्री तिलकराज शर्मा संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा ग्राम खजुरी धनेश पट्टी की जांच की गयी जिसमें निम्नलिखित अनियमितताये प्रकाश में आयी ।

1—जो0 च0 आ0 पत्र-45 का उद्धरण न दिया जाना ।

2—जो0 च0 अ0 की धारा 42 (क) में चकों एवं सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि परिवर्तन करना ।

3—फर्जी अमलदरामद करना ।

4—ग्राम समाज की भूमि पर स्वत्व का अधिकार दिया जाना ।

5- विक्रय के आधार पर जो0 च0 अ0 की धारा 12 में हरिजन आबादी से खारिज करके क्रेताओं का नाम अंकित करना ।

6—सार्वजनिक आबादी मे सुरक्षित गाटे को खारिज करके बचत की भूमि को सार्वजनिक आबादी में अंकित करना ।

7—होलिका दहन के लिये सुरक्षित गाटे को सड़क में तथा बचत से होलिका दहन में सुरक्षित करना ।

8—बंजर व ग्राम समाज की भूमि पर अधिकार क्षेत्र से बाहर नाम अंकित करना ।

9—ग्राम समाज से संबंधित जो0 च0 अ0 पत्र 23 भाग 3 न बनाया जाना ।

10—अन्तिम अभिलेखों की सही जांच न किया जाना ।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिये सर्वश्री सत्य नरायन लाल, चकबन्दी अधिकारी, दीपचन्द्र राव सहायक चकबन्दी अधिकारी, विभूति नरायन, सहायक चकबन्दी अधिकारी, लाल जी राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सर्वश्री शम्भू सिंह, काशीराम, राजकिशोर, परमात्मा पाठक, रमाकान्त सिंह, चकबन्दीकर्ता तथा जवाहर लाल, लेखपाल चकबन्दी तथा देव नरायन चतुर्वेदी, लिपिक एवं कतवारू पान्डे चपरासी दोषी पाये गये हैं। श्री सत्य नरायन लाल, चकबन्दी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

(1) सर्वश्री काशीराम, चकबन्दीकर्ता, राजकिशोर, चकबन्दीकर्ता व विभूति नरायन, सहायक चकबन्दी अधिकारी को निन्दनीय प्रविष्टि दी गयी है ।

(2) श्री जवाहर लाल, लाल बिहारी राय एवं हरिश्चन्द्र राय, लेखपाल चकबन्दी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है ।

(3) श्री शम्भू सिंह, चकबन्दीकर्त्ता को आरोपित किया गया है।

(4) श्री सन्तराम पाठक, लेखपाल चकबन्दी का निधन हो गया है ।

(5) श्री लाल जी राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है ।

(6) श्री देवनरायन चतुर्वेदी, पेशकार, कतवारू पाण्डेय, चपरासी का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

(7) श्री दीपचन्द्र राम तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी वर्तमान चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की गयी । अन्तिम आदेश सं0 13238/ई0-29/87, दिनांक 7-11-88 द्वारा दो वेतन वृद्धियां रोकी गयी तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका गया ।

ग्राम में पायी गयी अनियमितताओं को दुरुस्त करने हेतु पत्र संख्या 87/प0स0 14 87, दिनांक 4-2-88 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को निदश भेजे जा चुके हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में मीरगंज तहसील स्थापित करने का निर्णय

106--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मीरगंज तहसील निर्माण एवं विकास संघर्ष समिति के एक शिष्ट मंडल ने उन्हें 2 अथवा 3 दिसम्बर, 1988 को उनके बरेली आगमन पर त्रिशूल हवाई अड्डे पर जिला बरेली में मीरगंज तहसील निर्माण हेतु एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मांगे क्या थीं तथा मुख्य मंत्री जी ने उक्त विषयों में आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

उक्त ज्ञापन में मीरगंज में नई तहसील स्थापित करने की मांग प्रमुख है । मीरगंज में नई तहसील स्थापित करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है ।

उपसंचालक चकबन्दी, वाराणसी द्वारा जी0 एस0 को भूमि को व्यक्तिगत चकदार को आवंटित करने के आरोप में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

107--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के उपसंचालक चकबन्दी श्री बी0 के0 श्रीवास्तव ने अपने आदेश दिनांक 23-2-87 में प्रिन्सिपल की जी0 एस0 की जमीन को व्यक्तिगत चकदार को आवंटित करने के आरोप में वाराणसी में कार्यरत चकबंदी विभाग के एक अधिकारी तथा पेशकार, कानूनगो, लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी वाराणसी को निर्देश दिया है ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

संबंधित चकबन्दी अधिकारी को चेतावनी दे दी गयी है । दोषी पाये गये संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा चकबन्दीकर्ता की मृत्यु हो चुकी है ।

मऊ जनपद के ग्राम दुबारी में चकबन्दी का कार्य शीघ्र पूरा करने की कार्यवाही

108--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के ग्राम दुबारी की चकबन्दी का कार्य 12-23 वर्षों से चल रहा है परन्तु चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अब तक चकबन्दी का कार्य पूरा न हो सका है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम दुबारी की चकबन्दी का कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा कराने के लिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

ग्राम दुबारी का चक सृजन कार्य समाप्त हो चुका है । धारा 20 के अन्तर्गत चक आपत्तियों की सुनवायी भी पूरी हो चुकी है । शेष चकबन्दी कार्य को सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर शीघ्रता से पूरा करने के निदेश चकबन्दी आयुक्त को भेज दिये गये हैं ।

बरेली जिले में डाक्टर भीम राव अम्बेदकर विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु आवन्टित धनराशि का विवरण

109--श्री नत्थू लाल विकल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला कंजाचकरपुर, कीरतपुर धौरी तथा छात्रावास, फरीदपुर, बरेली हेतु वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, बरेली मण्डल बरेली द्वारा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कितनी-कितनी धनराशि भुगतान की गयी ? प्रश्नगत मामले में क्या स्वीकृत मदों के अतिरिक्त भी भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय तथा छात्रावास में कितना-कितना भुगतान हुआ ? टाट पट्टी, पुस्तकें आदि हेतु किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी और उस धनराशि से क्या-क्या क्रय किया गया ?

श्रीमती दीपा--

वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक बरेली मण्डल बरेली से आवंटित धनराशि तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली द्वारा की गयी भुगतान की धनराशि का विवरण परिशिष्ट क्रमशः "अ" तथा "ब" पर संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित धनराशि टाट पट्टी पुस्तकें आदि के लिए दी गयी :--

	रु0
1--डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्रा0 पा0, कीरतपुर धौरी	3,000
2--डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्रा0 पा0, कंजाचकरपुर	10,000
3--डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर छात्रावास, फरीदपुर, बरेली	21,000

प्रबन्ध तन्त्र द्वारा जो टाट पट्टी, पुस्तकें क्रय किये गये हैं उसकी सूची प्रस्तुत की गयी है किन्तु बार-बार लिखने के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः क्रय किये गये सामान की पुष्टि नहीं हो सकी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 193 पर)।

जनपद फैजाबाद के तहसील अकबरपुर के ग्राम फतेहपुर में जोत से अतिरिक्त भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा

110--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम मिलन कुर्मी, निवासी ग्राम औसानी बुजुर्ग, परगना बूढ़ापार, तहसील मनकापुर (जो पहले उतरौला थी) जिला गोंडा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1984 को श्री लाल देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री आद्या बक्स सिंह, निवासी ग्राम व पो० फतेहपुर, परगना सुरहुरपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की ग्राम औसानी बुजुर्ग, जिला गोंडा में 1.37 एकड़ भूमि का बनामा अपने पुत्र श्री सुबासचन्द्र व श्री ध्रुव कुमार के नाम कराया गया था तथा उस पर अभी तक खेती करते आ रहे थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कानूनगो, लेखपाल एवं ग्राम प्रधान द्वारा उनको उस भूमि पर खड़ी फसल को काटने से मार्च, 1989 में रोक दिया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

जी नहीं। फसली की कटाई तो सुभाष चन्द्र आदि ने ही किया किन्तु सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नियत अधिकारी के आदेश, दिनांक 30 जुलाई, 1979 द्वारा प्रश्नगत भूमि लाल देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अद्या बक्स सिंह, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की जोत से अतिरिक्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार की ओर से भूमि का कब्जा लिया गया और सुभाष चन्द्र आदि को कब्जे से रोक दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये दवाओं का विवरण एवं व्यय धन

111—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, राज्य बीमा योजना को सरकार ने दवाओं के खरीदने के अधिकार भी दिये हैं ? यदि हां, तो किस सीमा तक दवायें खरीदने के अधिकार दिये गये हैं। यदि नहीं, तो किन अधिकारों से वर्तमान निदेशक दवायें खरीद रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 और 1987-88, में वर्तमान निदेशक ने कितनी तरह की दवायें किस-किस कम्पनी से कितनी-कितनी कीमत में खरीदी तथा दोनों वर्षों में अलग-अलग कितना खर्चा हुआ है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत संबन्धित चिकित्सालयों में क्रय की जाने वाली दवाओं के लिये व्यवस्था

से सम्बन्धित शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 427/36-7-1007/71-1988, दिनांक 6 फरवरी, 1988 को प्रति संलग्न हैं । वर्ष 1986-87 और 1987-88 में कुल 134 प्रकार की दवायें क्रय की गयी, जिनके क्रय पर क्रमशः 2,19,51,605 रु0 तथा 46,32,236.64 रु0 व्यय हुआ । जिन कम्पनियों से दवाय क्रय की गयी उनके नाम और मल्य भी संलग्न† हैं ।

सरकार द्वारा ई0 एस0 आई0 निदेशक को दिये गये वाहनों का दुरुपयोग

112--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ई0 एस0 आई0 निदेशक को सरकार ने कितन सरकारी वाहन दिये हैं ? क्या यह सही है कि आगरा की तीन एम्बुलेंस वाहन के स्थान पर वर्तमान निदेशक ने मारुति, जिप्सी और मारुति बैन क्रय की और जिनका उपयोग भी वे स्वयं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त निदेशक के अधीन कानपुर में कार्यरत वाहन किस-किस अस्पताल के हैं ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

बांदा जनपद में ग्राम जारी के कतिपय व्यक्तियों को हरिजन आबादी के भूमि का पट्टा देने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

113--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की तहसील बांदा के ग्राम जारी के भगवानदीन, झंडू, शिवचरण, रामलखन बदलुवा, राजाराम, बुधुवा आदि कई हरिजनों ने विगत 16 जून व उसके पूर्व भी प्रार्थना-पत्र देकर ग्राम प्रधान द्वारा हरिजनों के मकान गिराये जाने, हरिजन आबादी की जमीनों के पट्टे दिये जाने आदि की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र की सभी शिकायतों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी और हरिजनों को पट्टे व कब्जे दिलाये जायेंगे ? क्या ग्राम प्रधान के विरुद्ध अनियमितताओं के मामलों में कड़ी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां । प्रार्थना-पत्र के आधार पर तहसीलदार ने मौके की जांच की जिसमें यह पाया गया कि किसी भी हरिजन का मकान नहीं गिराया गया बल्कि दादू पुत्र रतना कुम्हार व खेलावन पुत्र मन्नू ने सड़क के किनारे एक नया बाड़ा तैयार किया था जो ग्राम वासियों ने सड़क की भूमि में पाकर 16 अप्रैल, 1988 को गिरा दिया था तथा शिवबरन के बाड़ को दीवाल मात्र ही गिराई गई थी, जिसे उसने पुनः बना लिया है । ग्रामवासियों एवं मकान स्वामियों के मध्य कोई तनाव नहीं है ।

इस ग्राम में 117 व्यक्तियों को गांव सभा कृषि भूमि तथा दो व्यक्तियों को सीलिंग भूमि के पट्टे दिये गये हैं और सभी को भूमि पर कब्जा दखल दिया जा चुका है ।

वर्तमान प्रधान द्वारा इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गयी ।

फैजाबाद की तहसील टांडा के ग्राम खासपुर में चकबन्दी के अभिलेख की पूर्ति

114--श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खासपुर, ब्लाक व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद की भूमि की चकबन्दी समाप्त की जा चुकी है ? यदि हां, तो जुलाई, 1969 से आज तक अन्तिम अभिलेख पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

ग्राम खासपुर का सभी कार्य पूर्ण कराकर अन्तिम अभिलेख (जिल्द चकबन्दी) माल अभिलेखागार में तथा दूसरी प्रति तहसील में जमा की जा चुकी है ।

सचिव कार्मिक के आदेशानुसार जनपद फैजाबाद में लिपक वर्गीय एवं समूह "घ" के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

115--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिश्चन्द्र गुप्त, सचिव, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा आदेश संख्या 20/7/1986, कार्मिक अनुभाग 2, दिनांक 30 जून, 1987 निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय तथा समूह घ के समस्त पदों पर भर्ती हेतु समस्त सचिव/विशेष सचिव, उ0 प्र0 तथा समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0 तथा विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उ0 प्र0 को भेजा गया है ? क्या जिलाधिकारी, फैजाबाद को उक्त आदेश प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त उक्त आदेश का पालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जिला कार्यालय में 30 जून, 1986 के पूर्व लिपिक का केवल एक ही पद रिक्त था जिस पर जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई थी । जनपद के अन्य विभागों में रिक्तियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च में तीन रिट याचिकायें विचाराधीन हैं, जिनमें से दो में स्थगन आदेश दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप मामले में फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

मऊ जनपेद के घोसी तहसील में ग्राम सुग्गी चौरी किशनपुर में चकबन्दी प्रकिया प्रारम्भ करने की मांग

116--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम सुग्गीचौरी, किशनपुरा में शासन ने चकबन्दी करने का निर्णय कब किया, कब गजट हुआ तथा अब तक चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद---

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम किशनपुर उर्फ सुग्गीचौरी का दिनांक 26 दिसम्बर, 1987 को धारा 4(2) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन होकर चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराने का निश्चय किया गया, परन्तु उक्त ग्राम में सर्वे एवं अभिलेख क्रियायें चल रही थी, इसलिए चकबन्दी कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका ।

उक्त ग्राम को सर्वे एवं अभिलेख क्रियाओं से पृथक् करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव सचिव, राजस्व परिषद् को भेजा जा चुका है, जिसके गजट में प्रकाशन के उपरान्त ही उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराना सम्भव हो सकेगा ।

मऊ जनपद की घोसी तहसील के चकबन्दी विभाग में सी0 ओ0 न्यायालय में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु निर्देश

117--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ की तहसील घोसी के चकबन्दी विभाग में सी0 ओ0 के न्यायालय में 10-15 वर्षों तक के मुकदमें लम्बित है उनका निस्तारण नहीं हो रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त सी0 ओ0 का न्यायालय कई माह तक नहीं लगता है जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है और मुकदमो के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था सुनिश्चित कराने में शासन को आपत्ति है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

चकबन्दी अधिकारी के अस्वस्थ हो जाने के कारण कुछ समय तक स्थान रिक्त रहा।

सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आवश्यकतानुसार दूसरे चकबन्दी अधिकारी को भी इस क्षेत्र के पुराने वादों के निस्तारण हेतु लगाया जाय ।

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या एवं बेरोजगारी दूर करने के उपाय

118--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की जिला रोजगार कार्यालयों के आंकड़े के अनुसार कुल संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार बेरोजगार नौजवनों को रोजी व रोटी देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

वर्ष 1988 (दिसम्बर तक) में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में रोजगारी के लिए पंजीकृत शिक्षितों की संख्या निम्नवत् है :

हाई स्कूल	..	647262
इण्टरमीडिएट	..	753126
स्नातक	..	370233
स्नातकोत्तर	..	75528
योग	..	1846149

उपरोक्त आंकड़ों में नगर सेवायोजन कार्यालय, कानपुर एवं विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, लखनऊ के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

विभिन्न विभागों तथा अन्य से मांगे जाने पर श्रम विभाग के अधीन कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों में रोजगारी के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के नामों के सम्प्रेषण की कार्यवाही की जाती है। विभाग के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर उनकी सेवायोजकता बढ़ाई जाती है तथा कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत कक्षा-8 से इण्टरमीडिएट तक उत्तीर्ण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देकर उनकी सेवायोजकता बढ़ाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए स्वतः रोजगार योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत युवकों/युवतियों को उद्योग, सेवा व व्यवसायों के माध्यम से स्वतः रोजगार में लगाया जाता है तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी रोजगार योजनायें चलाई जाती हैं।

शासनादेश के अनुसार बस्ती एवं गोरखपुर में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित प्रतिकरों का भुगतान

119--श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा शासनादेश समस्त शासकीय विभागों को गया है जिसमें कहा गया है कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सभी प्रतिकर सम्बन्धित जिलाधिकारी को 30 जून, 1987 तक अवश्य उपलब्ध करा दें ? यदि हां, तो वह पूरा शासनादेश क्या है तथा बस्ती और गोरखपुर जिलों के ऐसे कितने और कौन मामले हैं जिनके प्रतिकर की धनराशि 30 जून, 1987 तक सम्बन्धित जिला अधिकारी के पास जमा कर दी गई ? इसमें से कितने मामलों का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है तथा शेष का कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 7 मार्च, 1987 को प्रति संलग्न है।

जनपद बस्ती में सिंचाई विभाग के 66 मामलों में प्रतिकर धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। जिसकी सूची संलग्न है। इनमें से 27 मामलों में प्रतिकर की धनराशि वितरित की जा चुकी है। शेष 39 मामलों में प्रतिकर शीघ्र वितरित कर दिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग के 38 मामलों में प्रतिकर धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। जिसकी सूची संलग्न है। सभी को प्रतिकर की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

हरदोई जनपद के संडीला तहसील में ग्राम खजोहना से चकरोड मुख्य सड़क तक बनवाने की कार्यवाही

120--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला ब्लाक कछौना, ग्राम सभा खजोहना के मौजा दिलावर नगर, जो कि मुख्य मार्ग (सण्डीला-गोसगंज

†छापी नहीं गयी।

से 1 कि0 मी0 से कम दूरी पर हैं, में चकरोड सड़क के विपरीत दिशा में हैं जिससे वहां के निवासियों को मुख्य सड़क पर बैलगाड़ी आदि लाने में 3 कि0 मी0 का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त गांव में आने-जाने के लिए सड़क से अति निकटतम दूरी जो कि गांव से पुरब दिशा में पड़ती है, चकरोड निकालने के लिए चकबन्दी अभिलेखों में संशोधन कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

ग्राम दिलावर नगर मजरा खजोहना में विनिमय अनुपात निर्धारण की कार्यवाही चल रही है । सिद्धान्तों का विवरण-पत्र जी0 च0 आ0 पत्र-21 तैयार करते समय ग्रामवासियों तथा चकबन्दी समिति द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव/मांग रखने पर सम्बन्धित अधिकारी यथावश्यक कार्यवाही स्वतः करेंगे ।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में सेल्हूमऊ के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध ग्रामवासियों के पत्र पर कार्यवाही

121--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश्वर पाण्डेय एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के साथ संलग्न श्री पुत्तीलाल पासी हरिजन तथा अन्य ग्रामवासी ग्राम सभा सेल्हूमऊ, परगना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 जो ग्राम प्रधान श्री राम कृपाल सिंह द्वारा ग्राम समाज की जमीन को अपनी माता श्रीमती फुल दुलारी के नाम पट्टा किये जाने के संबन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जांच आख्या के अनुसार ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है । चकबन्दी अभिलेखों के अनुसार श्रीमती फुलदुलारी विधवा रामऔतार जो श्री राम कृपाल सिंह, प्रधान की मां हैं, के नाम च0 अ0 गोसाईगंज के आदेश वाद संख्या 934, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 द्वारा खसरा सं0 495/1-0-0, 442/2-0-2, 212/0-5-0, 2स/6-15-0, कुल 4 किता रकबा 10-0-0 स्थित ग्राम सेल्हूमऊ, परगना मोहनलालगंज पर असक्रमणीय भूमिधर सर्ज होने का आदेश हुआ है । इस आदेश के विरुद्ध गांव सभा द्वारा दिनांक 2 जून, 1988 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में अपील दाखिल की गई है । जो विचाराधीन हैं । अपील में बैंक को पक्ष बनाने पर श्रीमती फुलदुलारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी भी विचाराधीन है । इनके निर्णय के पश्चात् ही कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़, तहसील के कतिपय ग्रामों में हुए अवैध पट्टों का निरस्तीकरण एवं दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही

122---श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील में ग्राम बुर्जनपुर, पटनी जंगल, देउराजंगल धौरी कुइयां इत्यादि गांवों में पट्टों को स्वीकृत

परगनाधिकारी, नौगढ़ द्वारा की गई है ? क्या यह सही है कि पट्टों का प्रस्ताव पुराने प्रधानों द्वारा किया गया है एवं पट्टों मे दी गई भूमि गांव की सड़क (मार्ग) लोगों के मकान एवं कृषि योग्य भूमि है और अपात्र व्यक्तियों को पट्टा किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे अवैधानिक पट्टों की जांच जिलाधिकारी सिद्धार्थ-नगर से कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जी हां ।

अपात्र पट्टेदारों के विरुद्ध न्यायालय में ज0 वि0 अ0 की धारा 198(4) के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

निर्णयोपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना में हथकरघा निदेशालय द्वारा क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना

123--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर ग्रामोद्योग ने हथकरघा निदेशालय, कानपुर को स्याना जनपद बुलन्दशहर में क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना करने हेतु अपना प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनपद बुलन्दशहर के बुनकरों की सुरक्षा हेतु हथकरघा निदेशालय द्वारा क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना स्याना में तत्काल करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनोबाई--

जनपद बुलन्दशहर के स्याना कस्बे में मई, 1989 से क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है ।

हथकरघा निदेशालय, कानपुर द्वारा जिला बुलन्दशहर के कतिपत ग्रामों में बुनकर परिवारों के निर्धारित योजनान्तर्गत अनुदान दिया जाना

124--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्याना, बैराफिरोजपुर, बिहटा, हाजीपुर, बुगरासी बसी भड़कौर, दौलतपुर, कला, परवाना, खानपुर, अमरगढ़, सूरजपुर टीकरी, मंगलपुर, विखखरा, नवीनगर, जाडौल, कमलपुर, करियारी, खदानां, जलीलपुर, जहांगीराबाद, बागवाला आदि, जनपद बुलन्दशहर में हथकरघा निदेशालय, कानपुर द्वारा संचालित बुनकर कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत कितने बुनकर परिवारों को वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1988-89 में शादी अनुदान स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्षेत्र के परिवारों को शादी अनुदान स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

वर्ष 1985, 1986, 1987 व 1988-89 में हथकरघा निदेशालय, कानपुर द्वारा संचालित बुनकर कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के प्रश्नगत ग्रामो के किसी बुनकर परिवार को शादी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अनुदान पात्र व्यक्तियों को दिया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

125--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि श्रम विभाग ने प्रधान मंत्री जी के अल्प संख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कानपुर नगर में नहीं की है ? क्या कानपुर नगर में अल्प संख्यक वर्ग की तकनीकी शिक्षा हेतु एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तत्काल करेंगे ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

कानपुर नगर में पहले से ही एक महिला एवं एक पुरुष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनमें सभी सम्प्रदाय के अभ्यर्थी शिक्षण हेतु लिये जाते हैं ।

126--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

"यूपिका" कानपुर में किये जा रहे अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेता विरोधी दल के शिकायती-पत्र पर जांच

127--श्री सुन्दर लाल तथा श्री हाजी मोहम्मद हयात--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या 8895/नेविद/विस/89, दिनांक 12-4-89 को "यूपिका" कानपुर के अधिष्ठान अधीक्षक द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्यों, व्याप्त भ्रष्टाचार व क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ की अवैध नीति के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी हां ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

हरदोई जनपद के तहसील सण्डीला के ग्राम नलंया में हो रही चकबन्दी में अनियमितता

128--श्री राम पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नलंया, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में की जा रही चकबन्दी में लगभग 50,000 रु0 (रुपया पचास हजार)

घूसखोरी की शिकायत पर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारी से निष्पक्ष विस्तृत जांच कराके दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराने से सम्बन्धित विधायक, श्री भागीरथ चौधरी का पत्र दि0 13-1-1989 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां ।

जी हां ।

जांच में कथित शिकायत निराधार पाई गई इसलिए किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद की तहसील रसड़ा में कतिपय क्षेत्रों में ग्राम समाज की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही

129---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे की बलिया जनपद के तहसील रसड़ा अन्तर्गत नायब तहसीलदार क्षेत्र सीयर चिलकहर नगरा में ग्राम समाज की जमीन हड़पे जाने के कितने मामले तहसील स्तर पर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? क्या सरकार ग्राम समाज की जमीन हड़पे जाने से रोकने के लिए कोई निर्णय लेने जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

बलिया जनपद की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत नायब तहसीलदार क्षेत्र सीयर, चिलकहर, नगरा में ग्राम समाज की जमीन पर अंकित कब्जे के कुल 445 मामले तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन हैं । गांव सभा की भूमि से सम्बन्धित मामलों की पैरवी के लिए गांव सभा के वकील की नियुक्ति की गई है और अतिक्रमण करने वालों को यथाशीघ्र बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है । ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा और उस पर हुए अतिक्रमण को प्रभावी रूप से हटाने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर कड़े निर्देश जारी किये गये हैं ।

जनपद जौनपुर के मछली शहर के ग्राम शेखपुरा की असंक्रमणीय भूमि की जांच

130---श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय लाल सरोज साकिन मौजा-शेखपुर, परगना-गढ़वारा तहसील-मछली शहर जनपद जौनपुर का पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988 आराजी नम्बरान 84 व 85 जो मौके पर हरिजन आबादी हैं और कागजात सरकारी में आबादी दर्ज होने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद---

जी नहीं, श्री जयलाल सरोज का तथा कथित पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988, का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । प्रश्नगत ग्राम की आराजी सं0 84/0-36 बहादेव आदि पुत्रगण राजाराम के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं और स्थल की

जांच से इसके किसी भाग पर आबादी नहीं है, अतएव इसे आबादी दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं हैं। गाटा संख्या-85/0-0-3 जय लाल सरोज के नाम ही संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और इस पर उसका ही कब्जा दखल है। यह भूमि भी स्थल पर आबादी के रूप में नहीं है।

राजकीय संरक्षण गृह अल्मोड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में विषमता

131--श्री राज किशोर सिंह--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय संरक्षण गृह, अल्मोड़ा तथा प्रदेश के अन्य संरक्षण गृहों में प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनों में विषमता क्यों है ? क्या इस विषमता को दूर करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रीमती वीपा--

राजकीय संरक्षण गृह अल्मोड़ा से सम्बद्ध प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र शासकीय नियंत्रण में होने तथा अन्य केन्द्र, बोर्डक मण्डल नामक अशासकीय समितियों के नियंत्रण में होने एवं राज्य कर्मचारी न होने के कारण, इन केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारियों के वेतनों में विषमता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के ग्राम दशरथपुर की निवासिनी श्रीमती रामरती की भूमि पर लेखपाल द्वारा जाल-साजी किये जाने के आरोप के सम्बन्ध में कार्यवाही

132--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रामवती उर्फ रामरती, निवासिनी ग्राम दशरथपुर, तहसील टाण्डा, फैजाबाद की भूमि को लेखपाल द्वारा जालसाजी से किसी अन्य के नाम कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 9 जनवरी, 1989 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति की सूचना राजस्व मंत्री ने अपने पत्र संख्या 136/वी0 आई0 पी0/एम0 आर0/89 को प्रश्नकर्ता को भेजी है ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

प्रश्नगत मामला कलेक्टर, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री राम कुबेर निवासी आसोपुर तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

133--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मंगल पुत्र श्री राम कुबेर, निवासी ग्राम व पो0 आसोपुर, थाना टाण्डा, तहसील टाण्डा-जनपद फैजाबाद को आवंटित भूमि पर

कब्जा दिलाने जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 5 अगस्त, 88 का संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आवंटित भूमि पर सम्बन्धित सदस्य को कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं । श्री मंगल पुत्र राम कुबेर के उक्त पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । उन्हें आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में धारा 198(4) ज0 वि0 अ0 के अन्तर्गत वाद अपर कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

उन्नाव जनपद में हसनगंज तहसील के ग्राम देवीपुर में चकरोड एवं नाली पर किया गया अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

134—श्री राम पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकरोड के नाजायज कब्जे पर ग्रामवासी देबीपुर, परगना गोरिन्दा परनन्दन, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के शिकायती-पत्र पर नायब तहसीलदार, अजगैन ने जांच वर्ष, 1988 में की थी ? क्या यह सही है कि जांच में नायब तहसीलदार, अजगैन ने भूमि की नाप करके नाजायज कब्जा पाया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और क्या उक्त नाजायज कब्जा हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । जांच आख्या के अनुसार भूमि संख्या 60 व 61 जो क्रमशः चकरोड व नाली है, पर श्री कमलाशंकर, हनुमान प्रसाद व चुन्नू को अवैध रूप से काबिज पाया गया था जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115-सी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गई परन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादीगणों का प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जा न मानते हुये कार्यवाही समाप्त कर दी थी । पुनः दिनांक 11 जनवरी, 1989, 1 फरवरी, 1989 व 2 फरवरी, 1989 को शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिस पर वर्तमान भूलेख निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई जिसके आधार पर नाली व चकरोड की उपरोक्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज पाये गये चार व्यक्तियों के विरुद्ध नियम 115-सी के अन्तर्गत बाद दर्ज किया गया है जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

बस्ती जनपद में विधवाओं एवं विकलांगों के आवेदन पत्रों का निस्तारण

135—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों के कितने आवेदन-पत्र कितने दिनों से अनिस्तारित पड़े हुए हैं ? इसका कारण क्या है तथा वह आवेदन-पत्र कब तक निस्तारित कर दिए जायेंगे ?

श्रीमती बोपा—

बस्ती जिले में निराश्रित विधवाओं के नवीन स्वीकृति हेतु प्राप्त 3720 तथा निराश्रित विकलांगों के 660 आवेदन-पत्र 1 अप्रैल, 1985 से अब तक अनिस्तारित हैं । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अभी

तक सम्भव नहीं हो सका था लेकिन वित्तीय वर्ष 1989-90 में निराश्रित विधवा अनुदान को योजनान्तर्गत जनपद बस्ती के लिए 22,50,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है । जिससे 3000 अतिरिक्त विधवा लाभार्थियों को लाभ दिया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त निराश्रित विकलांगों के लिए भी धनराशि का आवंटन बढ़ाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । निर्णयोपरान्त इस सम्बन्ध प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में अधीनस्थ विशेषज्ञ महिला कार्यक्रम के रिक्त पद की पूर्ति की मांग

136--श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में अधीनस्थ विशेषज्ञ महिला कार्यक्रम का पद वेतनमान 1000-1900 एक जून, 1985 से रिक्त क्यों है ? इस पद को भरने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

प्रश्नगत पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद रिक्त है ।

यह प्रोन्नति पद है और इस पद से निचले पद पर नियुक्ति कर दी गई है ।

जनपद वाराणसी में चकिया, तहसील के ग्राम मभंरा में चकबन्दी प्रक्रिया का निस्तारण

137--श्री राजित प्रसाद यादव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के मौजा मभंरा, तहसील चकिया से सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी वाराणसी (पूर्वी) अपील नं0 122, 123, 124 धारा 24(2) ता0 फैसला 8 फरवरी, 1972 तथा उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी (पूर्वी) निगरानी नं0 1689, धारा 48 ता0 फैसला दि0 13 मार्च, 1987 द्वारा चकरोड बरकरार एवं मान्य की गयी है किन्तु नये नक्शे में इस चकरोड को अंकित नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि उ0 स0 च0 वाराणसी के रिवीजन नं0 17 ता0 फैसला 23 जुलाई, 1974 बाबत सामान्य आबादी नं0 324 तथा उन्हीं के रिवीजन सं0 1704 ता0 फैसला बाबत चक नं0 160 (323) के विपरीत नये नक्शे में नं0 324, 323 को गलत ढंग से पुराने नम्बरों का कर अंकित किया गया है तथा 323 का रकबा गलत ढंग से बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन के पत्र वी0 276/1-2-86, 6 वी0 आई0 पी0/1-2-86, दिनांक 28 जुलाई, 1986 के अनुपालन में तहसीलदार, चकिया के पत्रांक 641 दिनांक 18 अप्रैल, 1987 द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी जिला भूमि सुधार अधिकारी तथा ब0 अ0 च0 वाराणसी को प्रेषित आख्यानुसार अमलदरामद एवं नक्शा संशोधन कर दिया गया है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

उप-संचालक चकबंदी, वाराणसी का आदेश दिनांक 13 मार्च, 1987 नहीं, बल्कि दिनांक 13 मार्च, 1973 का है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

निगरानी संख्या 17, तारीख फैसला 23 जुलाई, 1974 नहीं, बल्कि निगरानी संख्या 1704, तारीख फैसला 23 जुलाई, 1974 है ।

जी हां ।

निगरानी संख्या 1704 तारीख फैसला 23 जुलाई, 1974 के संशोधन तालिका में 0·70 आना मूल्य कन अधिक प्रविष्ट होने, सामान्य आबादी में प्रविष्ट नम्बरान के अनुसार गाटा संख्या 324 भूचित्र में न बनाने, गाटा संख्या 323 की प्रविष्टि के अनुसार नक्शा न बनाने व चकरोड को नक्शे में न दिखाने के कारण उक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुए पुनः संशोधन तालिका उप-संचालक, चकबन्दी के न्यायालय में प्रेषित की गयी थी जिसका निस्तारण उप-संचालक, चकबन्दी, वाराणसी द्वारा सन्दर्भ संख्या 1415/87-हुबलाल बनाम रामवृक्ष अन्तर्गत धारा 48(3), दिनांक 20 जनवरी, 1988 को हो चुका है । आदेश का अमलदरामद दिनांक 25 जनवरी, 1988 को सम्बन्धित अभिलेखों तथा भू-चित्र के संशोधित करने हेतु कर दिया गया है । तहसीलदार को आज्ञानुसार नये नक्शे में भी संशोधन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद में बीकापुर तहसील के ग्राम ऊंचगांव में तालाब के फर्जी पट्टे की जांच

138--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ऊंचगांव, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद की भूमि सं0 442 तालाब के फर्जी पट्टे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1988 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति की सूचना संख्या 795/बी0 आई0 पी0/एम0 आर0/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को प्रश्नकर्ता को भेजी गई है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र व संलग्न प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जांच से यह पाया गया कि गाटा सं0 442 कागजात में तालाब दर्ज है जिसके सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति, ऊंचगांव ने अपने प्रस्ताव दिनांक 12 जून, 1984 के तहत पट्टे पर न उठाने का प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि प्रश्नगत तालाब ग्राम से सटा हुआ है जिसके आबटन होने पर झगड़ा उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

139--श्री राम सागर राव--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वाराणसी इंडस्ट्रियल स्टेट में सरकार द्वारा उद्योगों की यूनिट लगाने की योजना का क्रियान्वयन

140—श्री शारदा प्रताप—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी इन्डस्ट्रियल स्टेट में सरकार ने नये उद्योगों की यूनिट लगाने के लिए अथवा वहां के उद्योगों के विकास/विस्तार के लिये भूमि अधिगृहीत कर प्लाटिंग भी की गई थी जिसे अनुसूचित जातियों को देने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब और कितना समय लगेगा तथा उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां । औद्योगिक आस्थान के दस प्रतिशत शेड्स/भूखण्ड अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के पक्ष में इस प्रतिबन्ध के साथ आरक्षित करने की व्यवस्था है कि यदि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित शेड/भूखण्ड को सामान्य जाति के व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा ।

इच्छुक उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर उन्हें यथाशीघ्र आवंटित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद की टाण्डा तहसील के ग्राम नैपुरा के कतिपय व्यक्तियों को आबंटित भूमि भूलेख में अंकित करने की मांग

141—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री पारस नाथ पुत्र श्री राम लाल आदि, निवासी ग्राम नैपुरा, परगना व तहसील टाण्डा, फैजाबाद को आवंटित भूमि को सरकारी रिकार्ड में दर्ज किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1989 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति सूचना राजस्व मन्त्री ने अपने पत्रांक-137/वी0 आई0 पी0/एम0 ए0/89, दिनांक 18 जनवरी, 1989 द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजी है ? यदि हां, तो आवंटित भूमि नियमानुसार सरकारी अभिलेख में अंकित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवंटित भूमि भूलेख में अंकित कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद की टाण्डा तहसील के ग्राम महुवारी के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित आवासीय भूमि के पट्टे का विवरण

142—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा तहसील के अंतर्गत स्थित ग्राम महुवारी के अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा

तत्कालीन परगनाधिकारी श्री गिरधारी लाल द्वारा 8 जून, 1976 में दिया गया है जिसकी स्वीकृति नियमानुसार हो चुकी ह ? यदि हां, तो कुल पट्टदारों की संख्या क्या है और क्रमवार नाम-वल्दियत, पता व भूमि नम्बर, रकबा क्या है ? क्या दिये गये पट्टदार अभी भी आवटित भूमि पर काबिज हैं ? यदि नहीं, तो उक्त आवंटित भूमि पर अवध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही पश्चात् कब्जा हटाकर पुनः भूमि पट्टेदार को कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां ।

कुल 124 पट्टेदारों को आवंटन किया गया है जिनका विस्तृत विवरण राजस्व मन्त्री कार्यालय मे किसी कार्य-दिवस में माननीय विधायक अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं । कुल 124 आवटियो में से 123 को स्थल पर कब्जा दे दिया गया है । सभी काबिज हैं । एक व्यक्ति को कब्जा नहीं दिया गया है । अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम गौरी में ग्राम सभा की भूमि जालसाजी कर हड़पने की जांच एवं कार्यवाही

143---श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम गौरी के ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र तथा तद्विषयक जनप्रतिनिधियों के पत्र, जो उक्त ग्राम के ग्राम सभा तथा किसानों की पचीसों एकड़ भूमि जालसाजी कर हड़पे जाने के सम्बन्ध में ह, पंजीकृत डाक संख्या 1376, दिनांक 1 अगस्त, 1987 ई0 तथा 922, दिनांक 24 अगस्त, 1987 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां ।

मामले की जांच सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा कराई गई थी एवं तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा-9 एवं धारा 42-ए के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रधान ग्राम सभा तथा परगनाधिकारी को अपील एवं निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था। मानचित्र की त्रुटियों के निराकरण के लिए लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत डाक दिनांक 22 अगस्त, 1987, 24 अगस्त, 1987 द्वारा प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच चकबन्दी अधिकारी द्वारा कराई गई वस्तुस्थिति स्पष्ट न होने के कारण पुनः सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

141---श्री हर्ष वर्धन---

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बुलन्दशहर जनपद में कतिपय स्थानों पर हथकरघा निगम द्वारा जनता साड़ी योजना का संचालन

145--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्याना, बेरा, बिहटा, हाजीपुर, बुगरासी, जलालपुर, बसी, भड़कौर, दौलतपुर कला, परवाना, खानपुर, अमरगढ़, सूरजपुर टीकरी, मंगलपुर बिलखरा, नवीनगर, जाडौल, कमालपुर, करियारी, खदाना, जलीलपुर, जहांगीराबाद, बागताला आदि स्थानों पर जनपद बुलन्दशहर में हथकरघा निगम द्वारा जनता साड़ी की योजना संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र के बुनकर परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु उक्त क्षेत्र में जनता साड़ी योजना लागू करने के लिए हथकरघा निगम, कानपुर को निर्देशित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थानों में जनता साड़ी योजना लागू करने के लिए हथकरघा निगम को सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्देशित किया गया है ।

फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील के दशरथपुर ग्राम की निवासी की श्रीमती राममती की भूमि के बैनामे को अनियमित ढंग से दाखिल खारिज करने की जांच

146--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती राममती उर्फ रामरती विधवा स्व0 श्री राम प्रसाद, ग्राम दशरथपुर, पो0 एनवा, तहसील टाण्डा, फैजाबाद द्वारा बैनामे को अनियमित ढंग से तहसील टांडा के कर्मचारियों द्वारा दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26-11-1988 को (यू0 पी0 सी0 द्वारा) तहसीलदार, टांडा दिनांक 26-11-1988 को (यू0 पी0 सी0 द्वारा) जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा 26-11-1988 को (यू0 पी0 सी0) द्वारा परगनाधिकारी, टांडा, फैजाबाद को कोई शिकायती-पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की जांच कराई गई ? जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की जांच कराई गई । वर्तमान में यह मामला कलेक्टर, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णय के पश्चात् यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नैनीताल जनपद की किच्छा एवं खटीमा तहसीलों में चकबन्दी प्रक्रिया लागू किया जाना

147--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल की किच्छा, खटीमा तहसील क्षेत्रों में जोत चकबन्दी कार्यवाही की घोषणा का गजट हो गया है किन्तु

चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में रुकावट का क्या कारण है ? कब तक चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद--

तहसील, तिच्छा के 33 गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । तहसील खटीमा के प्रख्यापित 115 ग्रामों में राजकीय आस्थान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे एवं अवैध हस्तान्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के कारण चकबन्दी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है । इस समस्याओं के निराकरण के उपरान्त ही तहसील खटीमा में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी ।

श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की पदोन्नति हेतु पद का सृजन

148--श्री विष्णु देव--

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि चिकित्सा निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के पद सृजित किये गये हैं परन्तु श्रम विभाग के अधीन चल रहे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के पद अभी तक सृजित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है तथा कब तक श्रम विभाग के अधीन चल रहे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति के पद सृजित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होता है ।

जिलाधिकारी देवरिया द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भवन आवंटन में अनुसूचित जाति के कोटे का आरक्षण

149--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भवन आवंटन में, अनुसूचित जाति के कोटे को आरक्षण सम्बन्धी नीति शासनादेश संख्या 502-अ/चालीस-15/116/75-राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, लखनऊ दिनांक 3 फरवरी, 1978 का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवासीय भवन का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो इन आवंटन में अनुसूचित जाति का आरक्षण नीति के आधार पर कोटा पूरा किया गया है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जी हां ।

अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधार पर "डी टाईप" के 6 भवनों में से एक भवन अनुसूचित जाति के कर्मचारी को आवंटित किया गया है । इस प्रकार आरक्षण 17 प्रतिशत है ।

150--श्री शारदा नन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील सदर, लखनऊ के लेखपालों को वेतन-आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देय बकाये के भुगतान में विलम्ब

151—श्री हृदय नरायन दीक्षित--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के पहले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील लखनऊ के शेष लेखपालों का उनके बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं ।

तहसील सदर, लखनऊ में लेखपालों का बकाया वेतन बिल प्रीआडिट हेतु राजस्व परिषद् को भेजा गया है, जिसके प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

152--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[दिनांक 27-9-1989 को अता० प्र० सं० 167-170 द्वारा उत्तरित]

153--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[1 ले बुधवार में अता० प्र० सं० 168 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

154--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[1 ले बुधवार में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

155--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[1 ले बुधवार में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

156-157--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[3 रे बुधवार में अता० प्र० सं० 177-178 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

158--श्री विष्णु देव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुसम्मात जनाका पुत्री हुब लाल बेवा हरदेव, निवासिनी वाजितपुर, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली की भूमि हड़पने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

159—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 3रे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री गोपी नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 161 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में जो आरोप-पत्र दिया गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और सहायक चकबन्दी अधिकारी को जिस कार्य के लिए निर्देशित किया गया था, क्या वह कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद की टाण्डा तहसील के ग्राम गौरा गुंजर में बन्दोबस्त की कार्यवाही

160—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरा गुंजर, परगना व तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद में 1972 में चकबन्दी कार्य समाप्त किया गया ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का बन्दोबस्त (धारा-52) की कार्यवाही पूर्ण की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बन्दोबस्त की कार्यवाही समाप्त की जायेगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धारा 23 के अन्तर्गत चकों के पुष्टीकरण के पश्चात् नये चकों पर कब्जा परिवर्तन करा दिया गया था । किन्तु रज्जीपुर माइनर नहर निकलने के कारण अभिलेखों में पुनः संशोधन करना पड़ा । तदोपरान्त अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य किया गया, जो लगभग समाप्ति पर है । अन्तिम अभिलेखों के तैयार हो जाने के उपरान्त ही जो चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के प्रकाशन की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला फैजाबाद (टा0डा) के परगनाधिकारी द्वारा सीजनल संग्रह अमीनों की वरिष्ठता एवं नियमानुसार नियुक्ति

161—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद (टा0डा) के परगना अधिकारी द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1980, को कोई सूची सीजनल संग्रह अमीनों की बनाई गयी थी ? क्या परगना अधिकारी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 को एक आदेश जारी करके श्री भगत सिंह, तिलक देव को सीजनल संग्रह अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु लिखा था तथा नियुक्ति भी की जा चुकी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 को बनाई गयी संग्रह अमीनों की सूची में

से वरिष्ठता के आधार पर उक्त नियुक्ति आदेश किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या परगना अधिकारी के आदेश को निरस्त करके वरिष्ठता व नियमानुसार नियुक्ति हेतु आदेश किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं, परनाधिकारी, टाण्डा द्वारा कोई सूची नहीं बनाई गयी थी, बल्कि तहसीलदार, टाण्डा द्वारा मौलिक पद पर प्रथम नियुक्ति के दिनांक के आधार पर दिनांक 20 दिसम्बर, 198) को सीजनल संग्रह अमीनों की एक कोटिक्रम सूचा बना कर प्रभारी अधिकारी संग्रह को भेजी गयी थी, और प्रभारी अधिकारी संग्रह ने उक्त सूची को प्रकाशन अपने पत्र सं0 मेमो/मु0 रा0 ले0-2-का0 क्र0 स0, दिनांक 28 मई, 1981 द्वारा कराया था। परगनाधिकारी टाण्डा के आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 के अन्तर्गत सर्वश्री भगत सिंह एवं तिलक देव सीजनल संग्रह अमीनों की नियुक्ति पूर्ण वर्ष-कालिक अमीन के पद पर की गयी है। उक्त नियुक्ति प्रकाशित कोटिक्रम सूची में से वरिष्ठता क्रम में क्रमांक 3 पर अंकित श्री नृपत वर्मा को छोड़ कर की गयी है, क्योंकि तत्कालीन परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 26 अगस्त, 1976 के अन्तर्गत श्री वर्मा की सेवायें कम वसूली में समाप्त की जा चुकी थी। इस प्रकार 20 दिसम्बर, 1980 को बनाई गयी सूची के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 को निरस्त करके कोटिक्रम सूची दिनांक 28 मई, 1981 के अनुसार पुनः विचार करने हेतु आदेश दिया गया है।

162--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[1 ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप-श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में अनुसूचित जाति तथा जनगणना से छटनी शुदा कर्मचारी की सेवाएं आरक्षण नीति के अनुसार पुनः समायोजित किये जाने की मांग

163--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे शुक्रवार को श्री दीपचन्द सोनकर द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 सं0 27 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में लिपिकों के स्थान रिक्त हैं जिनका विज्ञापन भी दि0 6 अप्रैल, 1989 को समाचार पत्रों के माध्यम से निकाला गया है ? यदि हां, तो प्रश्न में उल्लिखित जनगणना के छटनी शुदा एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी को उसमें अब तक खपाये न जाने का क्या कारण है ? उसे कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

जी हां। कथित समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त को निर्देशित कर दिया गया है।

बाल विकास परियोजना, काकोरी, लखनऊ के नाम कतिपय मुख्य सेविकाओं द्वारा दिये गए प्रत्यावेदनों पर कृत-कार्यवाही का विवरण

164--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री अवगत हैं कि बाल विकास परियोजना, काकोरी, लखनऊ की कतिपय मुख्य सेविकाओं को अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण कुछ

अवधि तक कार्यालय कार्य से पृथक् रहना पड़ा तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य सेविकाओं ने बाल विकास परियोजना अधिकारी काकोरी, लखनऊ के पत्र सं0-226/बी0 वि0 परि0/स्था0/86-87, दिनांक 30 सितम्बर, 1986 के सन्दर्भ में निदेशालय को विचारार्थ अपना प्रत्यावेदन दि0 6 अक्टूबर, 1986 प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उक्त प्रत्यावेदन में किन-किन तथ्यों के आधार पर क्या प्रार्थनायें की गई और उन पर अब तक अलग-अलग क्या-क्या निर्णय लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रत्यावेदन इतने अधिक समय तक लम्बित रखने का क्या कारण है तथा इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या-क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती दीपा- .

बाल विकास परियोजना, काकोरी, लखनऊ में कार्यरत मुख्य सेविकाओं में से केवल श्रीमती बीना श्रीवास्तव, मुख्य सेविका दिनांक 1 मार्च, 1984 से 3 अक्टूबर, 1985 तक स्वेच्छापूर्वक अपने कार्य से अनुपस्थित रहीं । श्रीमती बीना श्रीवास्तव, मुख्य सेविका ने अपना प्रत्यावेदन दिनांक 6 अक्टूबर, 1986 प्रस्तुत किया था । जिसमें की गयी प्रार्थनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :--

(1) दिनांक 1 मार्च, 1984 से 3 अक्टूबर, 1985 तक बाध्यतावश बैठने हेतु ड्यूटी पर मानते हुए समस्त वेतन भत्तों एवं बोनस आदि देयकों का यथाशीघ्र भुगतान करना ।

(2) उपरोक्त धन पर देय तिथि से अनुमन्य ब्याज का भुगतान ।

(3) श्रीमती कमलेश सक्सेना से सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में रु0 एक लाख की क्षतिपूर्ति दिलाने अथवा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की अनुमति ।

(4) श्रीमती कमलेश सक्सेना के विरुद्ध समय से वेतन भुगतान न कर अस्थाई गबन करने हेतु विभागीय कार्यवाही करने हेतु ।

(5) कोई अन्य रिलीफ जो देय हो । इस प्रत्यावेदन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ से प्रारम्भिक जांच कराई गयी जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्रीमती बीना श्रीवास्तव, मुख्य सेविका दि0 1 मार्च, 1984 से 3 अक्टूबर, 1985 तक लगातार 582 दिवस तक स्वेच्छा पूर्वक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रही हैं । इनका 16 दिवसों का अर्जित अवकाश बकाया था जो स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है । लम्बी अवधि तक ड्यूटी से स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहने पर उन्हें आरोप पत्र दिया गया है जिस पर जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर तदनुसार निर्णय लिया जा सकेगा ।

इसके लिए श्रीमती बीना श्रीवास्तव स्वतः दोषी हैं, अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थ नगर में औद्योगिक आस्थान हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं प्लाटों का आवंटन

165--श्री धनराज यादव--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर (पूर्व बस्ती जनपद में) बृहद् औद्योगिक आस्थान के लिए सनई चौराहा के निकट भूमि अधिग्रहीत की गयी ?

यदि हां, तो औद्योगिक आस्थान के तहत प्लाट का एलाटमेन्ट कब से किया जायेगा ? यदि नहीं, तो भूमि अधिगृहीत करने के बाद लोगों को प्लाट एलाट न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

औद्योगिक आस्थान के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है व भूमि का कब्जा प्राप्त कर आस्थान को विकसित किया जायेगा । तत्पश्चात् प्लाट आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यालय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ का स्थानान्तरण

166—श्री गजराज सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ को कैसरबाग से हटाकर बी-1226, इन्दिरा नगर, लखनऊ में ले जाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उक्त कार्यालय को जिला कलेक्ट्रेट के समीप लाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट के समीप कोई उपयुक्त भवन निर्धारित किराया सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनु/उपसचिव स्तर के अधिकारियों को मानदेय/पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाना

167—श्री गजराज सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अनु/उपसचिव स्तर के अधिकारी को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए मानदेय/पारिश्रमिक/पारितोषिक के रूप में कुछ धनराशि उपलब्ध करायी गई है ? यदि हां, तो क्या सचिवालय के अनु/उप सचिव स्तर के अधिकारी मानदेय/पारिश्रमिक/पारितोषिक आदि के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो शासन इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

मानदेय/पारिश्रमिक/पारितोषिक प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नारी शिक्षा निकेतन इंटर/डिग्री कालेजों की अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण

168—श्री जगवीर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन इंटर कालेज, लखनऊ एवं नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कालेज, लखनऊ की हरिजन छात्राओं की शिक्षा सत्र 1988-89 की छात्रवृत्ति का वितरण अभी तक नहीं किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 1989-90 के भी लगभग 4 माह व्यतीत हो चुके हैं ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर छात्रवृत्ति के शीघ्र वितरण की व्यवस्था मन्त्री जी करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

नारी शिक्षा निकेतन इंटर/डिग्री कालेज से शिक्षा सत्र 1988-89 के लिये क्रमशः कुल 30 तथा 54 छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से क्रमशः 28 तथा 54 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत कर छात्रवृत्तियों की धनराशि सम्बन्धित छात्राओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है । अवशेष इंटर के 2 आवेदन-पत्रों का कमियों/त्रुटियों के निराकरणार्थ सम्बन्धित संस्था को वापस भेज दिया गया है, जो उक्त संस्था से वापस नहीं प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा० आर० एन० सिंह द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में घोषली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 59 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और वह सभी स्वीकार हुयी हैं । ये सभी पढ़ी हुई मानी जाय ?

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

श्री यदुनाथ सिंह—

[माध्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है । सन् 1984-86 के मध्य बरेली में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा० आर० एन० सिंह ने अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती मे अनियमिततायें बरती चयन के मानक का उल्लंघन किया ।

बरेली जनपद में चिकित्साधिकारी द्वारा एक शपन को प्रेषित किया गया था उस पर जांच की कार्यवाही की गई थी । जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने से जनता में रोष व्याप्त है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाय ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में रिक्त मुख्य अभियन्ता के पदों पर आरक्षण पूरा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुस्तमन्द अली खां--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियन्ता के 11 पद हैं जिसमें एक भी मुख्य अभियन्ता आरक्षित वर्ग का नहीं रहा है जबकि अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता रखते हैं । इस समय मुख्य अभियन्ता के 5 पद रिक्त हैं जिन पर पदोन्नतियां की जानी हैं । दिनांक 28 अगस्त, 1989 को 21 अधीक्षण अभियन्ता एवं 5 अधिशासी अभियन्ता स्थायी किये गये हैं परन्तु द्वेषवश 6 वर्ष से अधिक की सेवा के अधीक्षण अभियन्ता को अनुसूचित जाति का होने के कारण स्थायी नहीं किया गया है जबकि सामान्य वर्ग के 1 से 2 वर्ष की सेवाकाल के ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं को जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें, जांच प्रचलित होने व भर्त्सना (सेंसर) प्रविष्ट होने के बावजूद, स्थायी कर दिया गया है ।

अतः शासन से अनुरोध करूंगा कि आरक्षण पूरा करने हेतु अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति मुख्य अभियन्ता के पद पर की जाय तथा जांच कराकर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

जनपद बहराइच के चकबन्दी विभाग में कार्यरत स्व0 श्री राम सुखलाल के आश्रित को तथा अन्य आश्रितों को भी सेवा में लिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हर्षवर्धन--

[मान्यवर, निवेदन है कि आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान चकबन्दी विभाग में सेवाकाल में मृतक राज्य कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान न करने एवं उसके आश्रित को नियमानुसार नियुक्ति न देने के इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

इसी प्रकार का एक प्रकरण स्व0 श्री राम सुखलाल का है जो जनपद बहराइच में चकबन्दीकर्त्ता के पद पर कार्यरत थे । उनका देहान्त सेवाकाल में हो। दिनांक 20 फरवरी, 1980 को हो गया था । उनकी विधवा को भविष्य निधि तथा अन्य देयों का भुगतान एवं उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अनुसार उनके पुत्र श्री रवीन्द्र किशोर गौड़, जो इण्टरमीडियट उत्तीर्ण (18 वर्ष की आयु) हैं, को उपयुक्त पद पर सेवायोजन अभी तक नहीं किया गया है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अन्य मामलों के साथ ही साथ मृतक स्व0 श्री राम सुखपाल के आश्रित को भविष्य निधि तथा अन्य देयों के भुगतान एवं उनके पुत्र को उपयुक्त पद पर नियुक्त करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ के निदेशक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा—

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं ।

सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में निदेशक द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं जैसे वित्तीय कुप्रबन्ध, अनियमित नियुक्तियां, फर्जी माल बिल भुगतान, संस्थान की संचित निधि को निकालकर निजी लाभवश अन्यत्र बैंकों में स्थानान्तरित करना सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त स्वयं अतिथि वक्ता के रूप में एक मोटी रकम आहरित करना तथा प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही न सम्पन्न करना अनेक मनमाने आचरण का परिचायक है । इतना ही नहीं उक्त निर्देश द्वारा संस्थान के पुस्तकालय में कमीशन खोरी के कारण ऐसी पुस्तकों को खरीदवाया गया है जिनका संस्थान के विषय से कोई लेना देना नहीं है ।

अतः मान्यवर, मेरी स्पष्ट मंशा है कि उक्त संस्थान के कुप्रबन्ध की उच्च शासकीय समिति द्वारा जांच करायी जाय और उससे माननीय सदन को भी अवगत कराया जाय ।]

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कार्यक्रम में राज्य सचिवालय कर्मियों द्वारा गति अवरोध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

[मान्यवर, अनुसूचित जातियों के विकासार्थ राज्य सरकार का सर्वाधिक व्यय कार्यक्रम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का संचालन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण सचिवालय के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक के कर्मचारियों से पूर्णतः नियन्त्रित होकर गतिशून्य हो गया है । इन कर्मचारियों के षड्यन्त्रपूर्ण एवं जनविरोधी रवैये से डेढ़ वर्ष बीतने पर भी प्लान के विभागाध्यक्ष को कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि इस वर्ष उनका कार्यालय व्यय का प्राविधान भी समाप्त कर दिया गया है । अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के स्टाफ नहीं दिया गया, जिससे आधा वर्ष बीतने पर 10 प्रतिशत मात्राकृत व्यय भी नहीं हो पाया है । फील्ड में भारी रिक्तियां होने पर भी कतिपय ए0 डी0 ओ0 को सचिवालय से सम्बद्ध कर लिया गया, जिन्हें सभी वित्तीय नियमों को ताख पर रखकर सचिवालय बजट से वेतन दिया जा रहा है । इन कर्मचारियों ने अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 1989 से 18 सितम्बर, 1989 के बीच सचिवालय मैनुअल के विपरीत और बिना कोई रिकार्ड रखे योजनाओं व अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी सैकड़ों महत्वपूर्ण पत्रावलियां भी नष्ट कर दी है ।

उपरोक्त कार्यकलापों से प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है । अतः मैं आपसे उपरोक्त की प्रभावी जांच कराकर उक्त समस्या का तत्काल निराकरण करने, सचिवालय से सम्बद्ध ए0 डी0 ओ0 को फील्ड में तैनात करने तथा उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के एम० बी० ए० प्रवेश में आरक्षण पूर्ण किय जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपचन्द्र सोनकर--

[मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एम० बी० ए० की डिग्री हासिल करने के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों तथा व्यक्तित्व परीक्षा के फलस्वरूप एम० बी० ए० में अध्ययन करने के लिए योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है । पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी एम० बी० ए० की परीक्षा हेतु नवम्बर, 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई है । एम० बी० ए० की कुल 60 सीटें निर्धारित हैं ।

प्रवेश प्रतियोगात्मक परीक्षा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो शासन की वर्तमान नीति के सर्वथा विपरीत है । अब जब कि प्रधान मन्त्री जी के आदेशों से राजकीय सेवाओं तथा संस्थाओं में आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए सीमित विशेष चयन आयोजित किये जा रहे हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि एम० बी० ए० में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाय ।

अतएव आदरणीय सदन के माध्यम से अनुरोध है कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करके आदेश देने का कष्ट करें कि सी० पी० एम० टी०, इंजीनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की भांति एम० बी० ए० की प्रवेश परीक्षा में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की सुविधा इसी सत्र में प्रदान की जाय ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, तथा आरक्षण सुनिश्चित होने तक प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही पर शासन रोक लगाए, विभाग के सिलेबस/प्रास्पेक्टस की फोटो प्रति सूचनार्थ संलग्न है ।]

जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के ग्राम मानपुर राह में अनधिकृत कब्जों से मार्ग अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान बीन कुशवाहा--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ग्राम मानपुर राह, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में खसरा सं० 101 रास्ते के रूप में छोड़ा गया था जिस पर चन्द सवर्ण लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है जिससे सारे गांव के लोगों को भीषण परेशानी हो रही है एवं उनमें रोष व्याप्त है । इस रास्ते पर गांव वाले खसरा सं० 83, 84, 99 से होकर जाते थे । इस भूमि पर भी लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर लिए हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि उक्त रास्ते को खुलवाया जाय तथा उस रास्ते पर जाने के लिए खसरा संख्या 83, 84 तथा 99 पर के अनधिकृत कब्जे हटवाये जायें और खसरा संख्या 83, 84, 99 तथा 101 को मिलाकर एक मार्ग कायम किया जाय जिससे हजारों ग्रामवासी इस रास्ते का प्रयोग कर सकें और उनको असुविधा न हो ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा की किरावली तहसील में अति वृष्टि से हुई क्षति हेतु किसानों के मुआवजा दिलाए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[माध्यवर, आगरा जनपद की तहसील किरावली में 1/2 सितम्बर, 1989 को अतिवृष्टि हुई है जिसके कारण ग्राम साहई सकतपुर नागर, लोहकरेरा, खडवई अटूस, पनवारी, कीटम, रेपुरा, अहीर, अगनपुरा, सीर्धना, कासौटी, कुवथला, भिलाव असेना गांवों की पूरी खरीफ की फसल जल भराव से नष्ट हो गयी है और सभी की फसल के लिए अभी जल भराव है। वह बोई नहीं जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त गांव में तीन मनुष्यों की मौत और बर्जनों पशुओं की मौते हो गयी हैं। हजारों कच्चे मकान गिरकर ध्वस्त हो गये हैं और सैकड़ों पक्के मकान फटकर बर्बाद हो चुके हैं। हजारों कुंतल गल्ला इन गांवों का सड़ गया है और सबसे बड़ी हानि वहां के किसानों के निजी नलकूप हजारों की संख्या में नष्ट होने से हुई है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि मनुष्य व पशुओं की मौतों का, किसानों की नष्ट हुई फसलों का और किसानों को रबी फसल बोने के लिए तथा ट्यूबवेल बनवाने के लिए विशेष अनुदान दिए जायं।]

जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में कासना औद्योगिक केन्द्र खोलने हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भाटी—

[माननीय, मान्य सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

माननीय, सन् 1986 में कासना तहसील—सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर की 403 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कासना को औद्योगिक क्षेत्र बनाने लिए उ0 प्र0 औद्योगिक विकास निगम ने अधिग्रहण किया था। निगम ने समस्त भूमि का विकास करके विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को आवंटित कर दिया और उन्होंने निर्माण कराके उत्पादन भी शुरू कर दिया है। किसानों को दिए जाने वाला प्रतिकर का भुगतान आज तीन वर्ष पश्चात् भी नहीं किया गया है। दिनांक 21 सितम्बर, 1989 को एक भारी जन सभा हुई थी, जिसमें निर्माणाधीन इकाईयों को रोकने का फैसला लिया गया है। यदि 60 दिन के अन्दर प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

अतः माननीय सदन से मेरा निवेदन है कि कासना एवं सम्बन्धित ग्रामों के किसानों के प्रतिकर का भुगतान कराने की कृपा करें।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के आई0 टी0 आई0 कालेज के प्रशिक्षणार्थियों के चयन में धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा—

[मान्यवर, आई0 टी0 आई0 कालेज, आगरा में कुल 910 प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश वर्तमान शिक्षासत्र में होना था जिसमें 651 सीट मेरिट सूची पर और 269 सीटों पर सुपर न्यूमरीज के आधार पर प्रविष्ट होनी थी। सुपर न्यूमरीज की सूची परामर्शदात्री समिति को देनी थी जिसमें समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने आपस में बांट लिया। यह बटवारा लाखों नवयुवकों के भविष्य पर कुठाराघात है। कालेज के प्राचार्य ने समिति को धता बताकर अपने स्तर से सुपर न्युमरीज की सूची पर प्रति व्यक्ति एक हजार रु0 लेकर प्रवेश ले लिया केवल 40 सीटें बकाया छोड़ी हैं।

यह अत्यधिक लोक महत्व का ऐसा मामला है कि जिससे हमारे नवजवानों का भविष्य जुड़ा है अतः सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की एक उच्चस्तरीय समिति से जांच कराके न्याय पूर्ण व्यवस्था करें।]

लखनऊ शहर की कानपुर रोड स्थित इन्द्रलोक कालोनी तथा कृष्णा नगर थाने की सड़क को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानपुर रोड स्थित इन्द्रलोक कालोनी, आशुतोषनगर, मानस नगर आदि की ओर दिलाना चाहती हूं। कृष्णानगर थाने से अन्दर को जाने वाली सड़क गत वर्ष पक्की की गई थी लेकिन उसके किनारे नालियां न बनने से सड़क जगह-जगह टूटने लगी है तथा सड़क का लेवल नीचा होने से उसमें पानी भर जाता है जिससे मच्छर तथा गन्दगी रहती है और तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती है। सड़क जगह-जगह टूटने से सरकारी धन का अपव्यय होता है अतः इस सड़क को ऊंचा कराना तथा नालियां बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

इसके अलावा जहां एक ओर द्रुत गति से शहर का विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर कानपुर रोड में विकास की गति धीमी है क्योंकि वहां पर सरकारी अस्पताल तथा स्कूल नहीं है। अतः जनहित में उपरोक्त सड़क को ठीक करने तथा विकास का संतुलन बनाये रखने हेतु ध्यान आकर्षित करती हूं।]

जनपद उन्नाव की नगर पालिका शुक्लागंज में जल निकासी व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल—

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में टाउन एरिया से नगर पालिका बन जाने के बाद चुनाव हो जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक शुक्लागंज की जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे वहां के नागरिकों का जीना दूभर है। बीमारियां

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैल रही हैं। सभी गलियों में चारो ओर कीचड़ भरा है। मकानों का टैक्स बढ़ने के बाद भी कहीं भी नालियों की व्यवस्था नहीं है। शासन द्वारा आज तक जल निकासी हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये है।

अतः मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए शुक्लागंज की जल निकासी हेतु सरकार से धन की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में कार्यालय एवं आवासों के निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किए जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लोक महत्व की महती समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के निर्माण पर जनपदीय कार्यालयों और उनमें सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास के नाम पर काश्तकारों की कृषि योग्य सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे गरीब असहाय लघु सीमान्त काश्तकारों में भारी हड़कम्प पैदा हो गया है? और वह डांवा-डोल स्थिति में पहुंच गया है तथा आन्दोलित है।

मान्यवर, मेरा माननीय सदन से आग्रह है कि वह सरकार को आदेश दे कि सरकारी कार्यालयों और आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि (कृषि) का अधिग्रहण न किया जाय, इस प्रयोजन के लिए सर्वप्रथम ऊसर बंजर बीहड़ भूमि ही अर्जित करने में प्राथमिकता दी जाये जबकि ऐसी भूमि फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में उपलब्ध है।

सनसनी खेज दुर्घटना यह भी है कि सरकारी अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए काश्तकारों की भूमि पर जाल झाड़ियां गड़वाकर उनमें भय पैदा करते हैं कि अमुक भूमि अधिग्रहित होने को है। तथा कोलोनाइंजर से सांठगांठ करके भूमि अधिग्रहीत करने के नाम पर गरीब किसानों का दोहन हो रहा है जो कि सरकार के लिए लज्जा-जनक पहलू है।

अस्तु मांग करता हूं कि किसी भी दशा में कृषि भूमि का अधिग्रहण सरकारी आवासों और कार्यालयों को नहीं हो तथा कोलोनाईजरों के पंजे से भी कृषि भूमि की रक्षा हो तथा किसानों का दोहन और भय समाप्त किया जाये। इस प्रकार के दोहन और शोषण के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करें।]

जिला बिजनौर की तहसील शेरकोट के कक्ष परिसीमन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महमूदुल हसन अंसारी—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक हित के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

नगरपालिका शेरकोट के कक्ष परिसीमन में अनेक अनियमितताएं बरती गई हैं जो निम्न हैं।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1--उक्त परिसीमन में वर्ष 1981 की जनगणना के आधार मोहल्ला फतेहनगर में हरिजनों की जनसंख्या 4 तथा कुल 159 दर्शायी गयी हैं, जबकि 1971 की जनसंख्या के अनुसार हरिजनों जनसंख्या 424 तथा कुल 1262 थी। इसी प्रकार मोहल्ला कार्य-स्थान में 600 हरिजन मोहल्ला कोट में 135 हरिजन पनिहारान में 350 हरिजन, काजी सराय मे 488 हरिजन दर्शाये गये हैं, जबकि उक्त मोहल्ले में एक भी हरिजन नहीं रहता है। मोहल्ला चपना सराय में 84 हरिजन दर्शाये गये हैं, जबकि यहां 500 हरिजन हैं। मोहल्ला फतेहपुर नगर या रमनासरा को आरक्षित घोषित किया जाय क्योंकि इन मोहल्लों में हरिजनों की भारी तादाद है। इस प्रकार नगरपालिका शेरकोट के सभी वार्डों की सूची बनाने में केवल औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। नियमों का पालन नहीं किया गया है।

कृपया जनहित में उक्त परिसीमन में हुई अनियमितताओं की तुरन्त जांच कराई जाय तथा उन्हें ठीक कराया जाय। इस बीच परिसीमन गजट होने से रोका जाय जनगणना निदेशालय से सही आकड़े एकत्रित कर पुनः कक्षों का परिसीमन किया जाय।]

जनपद आजमगढ़ में भंवरनाथ मन्दिर से तहबरपुर मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में भंवरनाथ मन्दिर से तहबरपुर मार्ग जो लगभग 10 कि0 मी0 है, उस पर काफी यातायात है। आजमगढ़ शहर में मुख्यालय को ब्लाक से मिलती है। जहां पर लोगों को आने-जाने की काफी परेशानी होती है। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की है परन्तु केवल 2 कि0 मी0 सड़क बनी है। बकिया अत्यन्त खराब है, जिससे रोज व रोज नाना प्रकार की सड़क दुर्घटनायें होती हैं। रोगी सही उपचार के पहले पक्की सड़क पर आना उनका सम्भव नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को ध्यान दिलाने पर अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। इधर कुछ घटनाये भी हुई है जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि भंवरनाथ मन्दिर से तहबरपुर मार्ग को निर्माण कराने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि जनता को राहत मिल सके।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील सदर, थाना निजामाबाद के ग्राम मूरीपुर में साम्प्रदायिक तनाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ संवेदनाशील जनपद है। शासन व प्रशासन की गफलत से बड़ी गम्भीर घटनायें हो जाती हैं। ग्राम मूरीपुर थाना निजामाबाद तहसील सदर के पास एक मन्दिर था जिसका पुजारी उसके मालिक से भी लड़ता था बगल में ग्राम समाज की जमीन थी जिसको वह जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था प्रधान मुसलमान था इस लिए उसने थानेदार व तहसीलदार को खबर की जिस पर वह लोग मौके पर गए और

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम समाज की जमीन व कटी हुई कब्रिस्तान व मन्दिर को लेकर जबरदस्ती प्रधान से दस्तखत करा लिए पुजारी कुछ दिनों के बाद कब्रिस्तान को खोदकर मुर्दों की हड्डियां निकाल कर जलाने और फेंकने लगा । मुसलमान, थानेदार व तहसीलदार हाकिम परगना व कलेक्टर व एस0 एस0 पी0 के यहां दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दिया परन्तु काफी दिनों तक कोई नहीं गया । काफी दिन के बाद पुजारी ने जब सब काम कर लिया तब तहसीलदार व थानेदार मौके पर गए और मुसलमानों को मुर्दा गाड़ने से रोक दिया। जिसकी इत्तिला शासन व प्रशासन को दी गई ग्राम लाहरा थाना मुबारकपुर में मुसलमान जमाना कदीमसे कानूनी जबोहा करते आये हैं । और उसमें उन्होंने बपर्दा फाटक के साथ बूचर खाना मजबाह खाना भी बनवाया मुबारकपुर के थानेदार ने कुछ सरपसन्थों को मिला कर जबाह खाना बन्द करा दिया ओर दीवार गिरा दी । जिसकी भी इत्तिला प्रशासन व शासन को दी गयी ।

जनपद आजमगढ़ व जौनपुर के कुछ लोग विदेश में रहते हैं जब वे वहां लौटते हैं तो रास्ते में पुलिस के लोग उनको काफी परेशान करते हैं व सामान वगैरह लूट लेते हैं खास कर शाहगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस बाहर खड़ी रहती है उनको काफी उत्पीड़ित करके सामान वगैरह ले लेती है ।

मामला काफी विस्फोटक है जम्हूरियत पसन्द लोग काफी भयभीत हैं। यदि शासन प्रशासन को तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश नहीं देता तो खतरा है कि कोई गम्भीर घटना न घट जाये । अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार फौरन इन मामलों को देखें और गाफिल अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे और समस्या का उचित हल निकाले ।]

वाराणसी जिलान्तर्गत ब्लाक पिन्डरा में रसूलपुर टिकरी मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह--

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के खण्ड विकास क्षेत्र पिण्डरा अन्तर्गत पांचें शिवाला रसूलपुर टिकरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण सार्वजनिक विभाग वाराणसी द्वारा 3–4 वर्ष से किया जा रहा है किन्तु आज तक यह मार्ग अधूरा पड़ा है । जगह–जगह की गयी मिट्टी की सोलिंग उड़ गयी है और मार्ग का बहुत बड़ा भाग गिट्टी सोलिंग के कार्य से इतने लम्बे अर्से के बाद भी वंचित है । सम्पर्क मार्ग पर कई स्थानों पर प्रस्तावित पुलिया निर्माण का कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है । सम्पर्क मार्ग का कार्य अधूरा रह जाने से जो कार्य हुआ भी है, उसमें लगी हुई धनराशि व्यर्थ साबित हो रही है ।

प्रश्नगत मार्ग की मिट्टी सोलिंग व पिच करने की परियोजना बहुत पहले से स्वीकृत है किन्तु पूरा न होने से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है । आवागमन व यातायात के लिये कष्ट है । क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त सम्पर्क मार्ग के अधूरे कार्य को तत्काल पूरा करा कर पिच (पक्का) रोड करने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर की पुलिस के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद आकिल--

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर के अन्तर्गत मु0 अ0 सं0 355 धारा 364/366/376/88 जो मो0 शफी चौकीदार निवासी अल्लापुर भौकन ने दर्ज कराया था जिसमें इन व्यक्तियों ने उसकी नाबालिग पुत्री ललिया का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। चार व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रपट दर्ज कराई गयी थी। विवेचना अधिकारी एवं हल्का पुलिस मुल्जिमान से हमसाज हो गयी हैं और घटना पर पर्दा डाले हुए हैं जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी गुहार की गयी थी। ललिया ने न्यायालय में अपने ऊपर ढाये गये कहर की दुखभरी दास्तान सुनाई है। फिर भी पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अविलम्ब कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के कतिपय गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

[मान्यवर, वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में सन् 1971 की जनगणना को आधार मानकर सभी 1,500 से अधिक जनसंख्या के ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की राष्ट्रीय नीति है। अलीगढ़ जनपद में इस श्रेणी के तीन मार्गों को छोड़ कर सभी ग्राम पक्के मार्गों से जुड़ गये हैं अथवा किसी योजना में इनका निर्माण स्वीकृत है परन्तु तीन ग्राम क्रमशः सौरथाईशपुर, गिनौली, किशनपुर व अगरानाजरारा अभी तक किसी भी मार्ग से नहीं जुड़े पाये हैं और न किसी योजना में इसका निर्माण प्रस्तावित है। यह तीनों ग्राम बड़ी आबादी के जनपद के महत्वपूर्ण ग्राम हैं। मार्ग निर्मित न होने के कारण जनता को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क न बनने से इन ग्रामों की जनता में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है इन ग्रामों में जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारियों को जनता द्वारा प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का भी निर्णय ले लिया गया है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सीनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाये जाने हेतु गिरफ्तारियां दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल--

[मान्यवर, इस सदन का ध्यान, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 26 सितम्बर, 1989 को माननीय मुख्य मन्त्री के आवास पर प्रदर्शन करके गिरफ्तारियां दी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी निश्चित जानकारी है कि करीब 500 शिक्षक अध्यापकों को गिरफ्तार भी किया गया है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि इन शिक्षकों को 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिलता है। यह मुझे यह भी कहना है कि सीनियर बेसिक जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त है और इस समय प्रदेश में लगभग 2000 स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त जू0 हा0 चल रहे हैं। जिनके शिक्षकों को 100 से लेकर 300 रुपये तक मिलता है यह शिक्षक संघ इस बात की मांग कर रहा है कि अनुदान सूची में इन्हें शामिल किया जाय और उन्हें भी माध्यमिक शिक्षक संघ की तरह सुविधा दिलायी जाय इसी सम्बन्ध में 26 सितम्बर, 1989 को सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने मुख्य मन्त्री के आवास पर प्रदर्शन न करके गिरफतारियां दी हैं उनकी मांगों को न मानने पर लाखों के भविष्य का प्रश्न है इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सदन इस निर्णय पर चर्चा करें और शासन को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत गाजीपुर चोचकपुर मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमल किशन पा०डेय--

[मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से जनहित एवं लोक महत्व की ओर आपका ध्यान जनपद गाजीपुर में शहरी ग्रामों का राईडिंग क्वालिटी से निर्माण एवं सुधार के अन्तर्गत स्वीकृत गाजीपुर चोचकपुर मार्ग एवं डिग्री कालेज बाई पास के निर्माण बी0 एफ0 एस0 डी0 सी0 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1988-89 की राज्य सेक्टर के अन्तर्गत लगभग 76·00 में की गयी है। इस मार्ग निर्माण एवं सुधार में प्रयुक्त गिट्टी की क्वालिटी बहुत ही खराब है मार्ग के दोनों तरफ पटरी मार्जिन को डामर किया गया है। जबकि स्वीकृत प्राक्कलन में मार्जिन को डामर कराय जाने का प्राविधान नहीं है। इस प्रकार इन मार्गों पर दूसरे मार्गों पर स्वीकृत धनराशि लगायी गयी है और आगणन द्वारा स्वीकृत धनराशि से ज्यादा खर्च किया गया है। जिससे दूसरे मार्ग के न बनने से जनता में ज्यादा आक्रोश है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एकं सहायक अभियन्ताओं ने शासनादेश के विरुद्ध कार्य कर वित्तीय अनियमिताएं की है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक हित के प्रश्न पर आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया शासन को यह निदेश दें कि पूरे प्रकरण की टेक्निकल सेल द्वारा जांच करवा कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत जखनिया ब्लाक में रायपुर घोटना मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजुंन सिंह यादव--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व जनपद गाजीपूर के विकास खण्ड जखनिया सदात में सा0 नि0 वि0 द्वारा कराये गये मार्ग रूपपुर से छोटना लम्बाई 7 किमी0 के निर्माण की गयी अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस मार्ग पर मिट्टी का कार्य बहुत ही खराब हुआ है इसमें जो गिट्टी डाली गयी है उसकी साइज विशिष्टियों के अनुरूप नहीं तथा उसकी मात्रा भी कम है। उसकी

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुटाई भी विभाग द्वारा नहीं करायी गयी है इसके पूरे क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। जिससे हजारों जनता ने धरना व प्रदर्शन किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उच्च स्तरीय टेक्निकल सेल से जांच कराकर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें इसके उपरान्त सही ढंग से कार्य कर कर मार्ग को पक्का कराया जाय, जिससे क्षेत्र की जनता को उचित लाभ व आवागमन का साधन सुचारु रूप से हो सके।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत ब्लाक कासिमाबाद के कतिपय मार्गों का अधूरा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व से जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड कासिमाबाद में ग्रामी0 अभि0 से0 विभाग द्वारा बनाई गयी मार्ग-1, महेशपुर-मुसलहा-अलावलपुर मार्ग-2 बरार शम्भूनपुर-गौरा मार्ग पर कम मात्रा में डाली गई मिट्टी कम मात्रा में कंकड़ दिया गया, क्योंकि इस मार्ग की मोटाई कम से कम है 9" की होनी चाहिए थी परन्तु कंकड़ की मोटाई 2" से भी कम है। मार्ग के बगल से कंकड़ मिट्टी को निकाल कर सड़क पर दिया गया है। मार्गों पर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया इस मार्ग के आस-पास के गांवों के ग्रामीण खेतिहर व अन्य मजदूर नहीं लगाये गये, इस मार्ग का कार्य ठेकेदार से कराया गया और फर्जी मस्टररोल विभाग द्वारा फर्जी मानव दिवस बना कर दिया गया है। रोष एवं क्षोभ के साथ जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया। अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों के लिए ठेकेदार के साथ अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता दोषी हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मार्गों की जांच उच्चस्तरीय टेक्निकल सेल से शीघ्र करा कर दोषी ठेकेदार एवं अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाय और मार्ग को अच्छी तरह से निर्माण कराने की कृपा करें जिससे स्थानीय जनता को सुविधा मिल सके।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों में ट्रान्सफार्मरों की खराबी से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निहाला सिंह--

[मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद, बारा चवर मरदह, रिनों मुहम्मदाबाद के खराब एवं जले हुये उप केन्द्रों की ओर आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि इन उप केन्द्रों के ट्रान्सफार्मर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे कृषकों एवं उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र में त्राहि त्राहि मची हुई है हजारों कृषकों द्वारा उप केन्द्रों पर धरना एवं प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये हैं। यदि कोई ट्रान्सफार्मर लगाये भी गये तो वे घूस लेकर या किसानों को परेशान करके वो भी दो एक

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महीने में पुनः जले जा रहे हैं सम्बन्धित अभियन्ताओं को अनवरत सूचना देने पर भी विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रही हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर मैं महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया शासन को यह निर्देश दें कि जले एवं खराब ट्रान्सफार्मर को तुरन्त बदला जाय जिससे कृषकों को राहत मिल सके और रबी की फसल की तैयारी सुनिश्चित की जा सके ।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर कासिमाबाद आदि में ट्रान्सफार्मरों के जले होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रतन स्वरूप राही—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर कासिमाबाद, भदहरी रिनो तथा अन्य भी विकास खण्डों के जैसे बाराचवर में, करीमुद्दीनपुर उपकेन्द्र कासिमाबाद मरदहविरो, मोहम्मदाबाद तथा अन्धऊ व अन्य उपकेन्द्रों पर 100 के0 वी0 व 63 के0 वी0 तथा 25 के0 वी0 का ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं । किसी-किसी क्षेत्रों में दो तीन महीनों से ट्रान्सफार्मर जले हुये हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही हैं । यदि कभी हुई भी तो नहीं के बराबर जिससे कृषकों एवं उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल सकी। कृषकों के प्रतिनिधियों ने सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी, सहायक एवं अवर अभियन्ता को लिखित एवं मौखिक सूचित किया । लेकिन प्रस्तावित क्षेत्रों में अभी तक पर्याप्त संख्या में ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये हैं, यदि किसी में लगे भी तो कृषकों से घूस लेकर ट्रान्सफार्मर लगाये गये लगने के कारण उपरोक्त विकास खण्डों एवं इस जनपद में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । कई उपकेन्द्रों पर हजारों जनता ने धरना एवं प्रदर्शन किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त केन्द्रों में ट्रान्सफार्मर जल्द से जल्द लगाया जाय जिससे खरीफ की फसल को बचाया जा सके जिससे कृषकों को लाभ मिल सके । तथा आने वाली रबी की फसल की सुचारू रूप से तैयारी हो सके ।]

जनपद मथुरा में माँट क्षेत्र के कतिपय गांवों की यमुना नदी के कटान से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने का मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह—

[मान्यवर, माँट क्षेत्र जनपद मथुरा के रामपुर व फिरोजपुर अड्डा, फिरोजपुर ओना गांवों की हजारों एकड़ जमीन यमुना नदी की बाढ़ से कट गई हैं । अभी जमीन का कटाव जारी है रामपुर गांव के करीब 50 आबादी के मकान भी कट कर यमुना नदी में स्वाहा हो गये हैं । गरीब सैकड़ों किसान बेघरबार हो गये हैं । इस गांव की हजारों एकड़ भूमि भी यमुना नदी से कट गई है सैकड़ों जानवर बाढ़ से बह गये हैं । पीड़ित परिवार खुले आकाश में पड़े हैं तथा रहने व खाने की कोई व्यवस्था नहीं है । पीड़ित जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्य व सहायता नहीं दी है । जिससे जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए बाढ़ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने तथा सम्बन्धित गांवों की आबादी व जमीन के कटाव को रोकने हेतु ठोकर निर्माण कराने की मांग शासन से करता हूं ।]

जनपद बांदा के अतर्रा तहसील में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय का निजी भवन न होने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[मान्यवर, बांदा के अतर्रा तहसील में राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, अतर्रा में विद्यालय का निजी भवन न होने के कारण बालिकाओं के शिक्षण कार्य में लगातार कठिनाई हो रही है । किराये के भवन में समुचित जगह न होने से सैकड़ों बालिकायें प्रवेश से वंचित रह जाती हैं तथा किराये के विद्यालय भवन की किराये की इमारत बरसात मे टपकने के कारण किसी भी समय ढह जाने से सैकड़ों बालिकाओं की जानें जा सकती हैं इस समस्या को लेकर कई बार बालिकाओं द्वारा नगर में राजकीय भवन बनवाने की मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन किया गया तथा महिला मंच द्वारा घेराव भी किया जा चुका है एवं अधिवक्ता संघ के भी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है । कस्बे तथा क्षेत्र के लोगों में भीषण आक्रोष एवं तनाव व्याप्त है । सात वर्ष से विद्यालय भवन का किराया न मिलने से भवन स्वामी भवन खाली करा रहा है ।

अतः मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा का भवन-निर्माण कराया जाय ।]

जनपद उन्नाव के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[मान्यवर, उन्नाव जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु स्वीकृत धन का भारी दुरुपयोग हो रहा है और निर्माण कार्यों में धांधली हो रही है ।

एम0 एम0 यू0 मार्ग को रिपेयरिंग में वर्तमान स्थानों पर हुए लेपन व पत्थर कुटाई में वर्ष 1988-89 व 1989-90 मे प्रयुक्त सामग्री मानक से कम लगाई गई है । कालूखेड़ा काथा मुसन्ना मार्ग की रिपेयरिंग में तो उक्त अवधि में केवल कागजी कार्यवाही हुई है परिणाम है कि मार्ग बेकार हो गया है ।

पुरवार भूपतिपुर मार्ग में खड़ंजे के ठसते माल में ईंटों की मात्रा कम लगाई गई है हयूम पाइप घटिया इस्तेमाल हुए हैं । इसलिए अस्तु मार्ग की सभी पुलिया अल्पसमय में ही टूट गई है । इस मार्ग के निर्माण में मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है मजदूर पीड़ित हैं । इसी तरह पुरवा पाटन से मदनांग लिंक मार्ग के निर्माण में सहायक अभियन्ता ने भारी घपला किया है और स्वीकृत धनराशि से आधा भी कम नहीं हुआ है । सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता ने तमाम अनियमितताओं की शिकायतें उच्च अधिकारियों को प्रेषित की हैं, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की अविलम्बनीय लोकमहत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।].

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के पुष्टाहार एवं बाल विकास परियोजना के निदेशक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना लाने की अनुमति चाहता हूं ।

प्रदेश की बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भारी लूट और गम्भीर भ्रष्टाचार किया जा रहा है । प्रदेश की कतिपय फर्मों की वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर शासकीय आदेशों और वित्तीय अनुशासन की खुली अवहेलना कर निजी हित में लाखों रुपये की चोरी की जा रही है जिसमें भ्रष्टाचार के कतिपय गम्भीर प्रकरण इस प्रकार है ।

1—क्लासिक इंटीरियर्स, लखनऊ 1,97,000 रुपया ।

2—स्वेता इण्टर प्राइजेज, लखनऊ 1,64,000 रुपया ।

3—यूनिवर्सल ऐजेंसी कलकत्ता, अग्रिम 8 लाख रुपया ढुलाई ।

4—केयर लखनऊ, अग्रिम 7 लाख रुपया ।

5—राजाराम इण्डस्ट्रीज लखनऊ से आपूर्ति बन्द कर दी गई जबकि 77 लाख रुपये का सरकारी गेहूं पड़ा हुआ है ।

6—खन्ना इलेक्ट्रिक लखनऊ को 50 हजार रुपया ।

7— बेनी माधव राम शंकर लखनऊ, 22 हजार रुपया भुगतान कर और कुछ मदों में अग्रिम देकर के बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी की गई है । उपरोक्त लाखों रुपये के गंभीर घोटाले में निदेशक, उप निदेशक, अपर परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर आदि सम्मिलित हैं । यह सभी भुगतान बगैर शासन की अनुमति के निजी लाभ कमाने के हित में जानबूझकर किये गये हैं ।

अतएव मैं सदन के माध्यम से स्पष्ट मांग करता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की अविलम्ब समयबद्ध जांच कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा की जाय ।]

जनपद बस्ती में किसान इण्टर कालेज के बगल से जाने वाली सड़क के निर्माण में विलम्ब तथा धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कर्नल केशरी सिंह—

[मान्यवर, सड़क निर्माण के नाम पर हो रहे अपव्यय की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए निम्न तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बस्ती में किसान इण्टर कालेज के बगल से होकर गोविन्द नगर जाने वाली सड़क, जो उक्त कालेज से ग्राम सभा डिडोला तक का मध्य का भाग है, बीच रोड बनाने का कार्य गत 10 वर्षों से चल रहा है और हजारों रुपये ठेकेदारों ने हड़प लिया है किन्तु रोड अभी कच्ची ही है ।

अतः इस प्रकार हो रहे विलम्ब तथा सरकारी धन के अपव्यय के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं ।]

जिला बलिया मे माल गोदाम स्थित हरिजन कालोनी एवं जगदीशपुर स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवनों का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

[मान्यवर, नगर बलिया में जगदीशपुर स्थित हरिजन कालोनी में रह रहे लगभग 100 हरिजन परिवार भवन के गिर जाने से कभी भी काल कवलित हो सकते हैं । पुरानी कालोनी जीर्ण-शीर्ण ही नहीं, बल्कि शौचालय आदि के नष्ट होने से नर्क बन गई है । हरिजन समाज कल्याण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । माल गोदाम स्थित हरिजन बस्ती इसके निर्माण के लिए सन् 1976 में शिलान्यास किया गया अभी तक नहीं बन पाया है । लगभग 100 परिवार गन्दे पानी में मचान जैसा घर बना कर रह रहे हैं । रोग व्याप्त है । भावी पीढ़ी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । यहां से हरिजनों को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर आपके अनुज्ञा से सदन में रखते हुए अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दें कि वे जीर्ण-शीर्ण कालोनी का पुनः निर्माण करें और वर्ष 1976 में लगे पत्थर की जगह हरिजन कालोनी का निर्माण करें ।]

उत्तर प्रदेश के असहायता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों व कर्मचारियों की न्यायोचित मांग को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[मान्यवर, टीचर्स एसोशियेसन मदारिस अरबिया, उत्तर प्रदेश की रहनुमाई में पिछले 25 सितम्बर, 1989 से विधान सभा के सामने सूबे के कोने-कोने से सैकड़ों अध्यापक धरने पर बैठे हैं तथा आज शाम को खामोश जुलूस भी निकालेंगे ।

अध्यापकों की मांगें न्याय संगत और उचित हैं । इस सम्बन्ध में 23 फरवरी, 1989 को अनशनकारी अध्यापकों का अनशन तुड़वाने के लिये प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने आश्वासन भी दिया था, किन्तु खेद है कि उसे पूरा नहीं किया गया । मेरी निजी जानकारी है कि धरना और जुलूस के बाद इन अध्यापकों का अगला कदम ज्यादा उग्र व इन्कलाबी होगा क्योंकि इन स्कूलों में अक्सरियत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए एक साम्प्रदायिक तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा के विद्युतीकरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नंद अंचल---

[मान्यवर, बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र के विकास खंड सीयर व नगरा के पिछड़ापन की ओर माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, सीयर क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण से अधिकांश गांव वंचित हैं । जिन गांवों का विद्युतीकरण दिखलाया गया है उनका विद्युतीकरण प्राक्कलन के अनुसार न करके सामग्रियों को चुरा लिया गया है जो मौके की जांच सत्यापन से स्पष्ट हो जायगा । 1980 से अब तक के इस क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण में विभागीय स्वीकृत सामानों, खम्भों और तारों आदि की चोरी इंजीनियरो द्वारा की गयी है तथा पूर्ण सामग्री नहीं लगाई गई है । दोनों विकास खंडों के क्रमवार दस ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण के सत्यापन से ही चोरी पकड़ में आ जायगी । राष्ट्रीय क्षति व विकास के साथ धोखा हुआ है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों के वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियय 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी---

[मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत हैं । इन ग्राम पंचायत अधिकारियों से ग्राम विकास अधिकारी के बराबर ही कार्य लिया जाता है लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के बराबर इन ग्राम पंचायत अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता है जबकि इन उक्त दोनों अधिकारियों को जब प्रोन्नति कर सहायक विकास अधिकारी बना दिया जाता है तो वेतन समान हो जाता है । इस प्रकार से ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम विकास अधिकारी के समान वेतन व सुविधायें न दिये जाने के कारण काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करती हूं कि वह ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम विकास अधिकारी के बराबर वेतन दिलाने हेतु तत्काल निर्देश जारी करें ।]

जनपद मऊ की घोसी तहसील में घाघरा नदी की कटान से कतिपय गांवों की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मऊ की तहसील घोसी में ग्राम परसिया जैराम गिरि, चौहानपुर, नुरुल्लाहपुर आदि में भीषण कटाव से उत्पन्न विषम स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ग्राम परसिया, जैराम गिरि, चौहानपुर में इस वर्ष भीषण कटाव से हजारों एकड़ लहलहाती फसल कटकर घाघरा नदी की धारा में विलीन

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हो गई है। इस भीषण कटाव से सूरजपुर, दुबारी, परसिया, जैरामगिरि बांध पर परसिया, जैरामगिरि के सामने कटाव से सुरक्षा बांध तथा हा हा नाले पर निर्मित रेगुलेटर के कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। यदि तत्काल पक्का ठोकर बनाकर कटाव नहीं रोका गया तो बांध रेगुलेटर बचाने में करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ेगा।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त कटाव रोकने हेतु तत्काल पक्की ठोकर बनाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के प्लाईवुड उद्योग में लगे श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[महोदय, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार प्रति 5 वर्ष बाद कामगारों का वेतन पुनरीक्षित होना चाहिए। प्लाईवुड (परतदार लकड़ी) उद्योग में कार्यरत श्रमिकों हेतु 6 अगस्त, 1984 को राजाज्ञा निर्गत हुई थी। 5 वर्ष पूर्ण हो गये, अभी तक शासन ने अधिनियमानुसार वेतन पुनरीक्षित नहीं किया। श्रेणी विभाजन नहीं हुआ: प्रदेश के प्लाईवुड उद्योगों मुख्य रूप से सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री के मजदूरों में घोर असंतोष है। सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री में नियोजित कर्मचारियों को प्रति छमाही देय परिवर्तनीय भत्ते की पिछली किश्त अभी तक नहीं मिली। ई0 एस0 आई0 प्रावीडेन्ट फंड तथा ग्रेच्युटी के खाते में कर्मचारियों का अंश जमा है परन्तु सेवायोजकों का अंश नहीं जमा किया जाता। इसी प्रकार बीमा के प्रीमियम की दशा है। फलतः रिटायर होने पर ग्रेच्युटी समय पर नहीं मिलती। मालिकों तथा श्रमिकों के बीच हुये विगत समझौते के अनुसार मृतक आश्रितों को नौकरी, रिटायर होने वाले को सभी देयों का तुरन्त भुगतान का पालन नहीं होता। इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि वेतन पुनरीक्षित, राजाज्ञा श्रेणी विभाजन सहित तुरन्त निर्गत हो तो मालिकान अपना अंश जमा करें। डा0 ए स0 सी0 लखनऊ के यहां वर्षों से लम्बित वाद आलम्बित ट्रिब्यूनल को संदर्भित हो।]

जनपद सहारनपुर जो नकुड़ तहसील पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास--

[मान्यवर, सरकार ने निर्णय ले रखा है कि जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए सभी प्रदेश की तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे परन्तु सहारनपुर जनपद की तहसील नकुड़ पर अभी तक मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं खुला है। वहां की जनता की वर्षों से लगातार मांग चली आ रही है कि नकुड़ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाय क्योंकि जनता को अपने मामलों के लिए सहारनपुर 50-50 कि0मी0 चल कर जाना पड़ता है। जनता को इसी कारण सस्ता न्याय सुलभ नहीं हो पा रहा है। वहां की जनता में भारी रोष है। जनता और तहसील के वकील धरना दिये बैठे रहते हैं। इलाके की जनता आन्दोलित है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करता हूं कि तहसील नकुड़ के मुख्यालय पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाए।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के अंशकालिक नलकूप चालकों की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्सर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंशकालीन नलकूप चालक पूरे प्रदेश में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आन्दोलित हैं और उनके कुछ नेता विधान सभा के सामने 26 फरवरी, 1989 से आमरण अनशन कर रहे हैं, कल प्रदेश भर के राजकीय नलकूप चालकों (अंशकालिक) ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन करके अपनी उन्हीं मांगों के समर्थन में लखनऊ में गिरफ्तारी दिया।

अतः लोक महत्व के उक्त विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मानवीय आधार पर अविलम्ब कायवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से हुई तबाही से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव--

[मान्यवर, गत जुलाई, अगस्त की बाढ़ से सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ तहसील की दो तिहाई क्षेत्र बरबाद हो गया है। राप्ती, बूढ़ी राप्ती के अधूरे बन्धों के कारण खड़िया, हरनी, गायघाट के क्षत्र में तथा खखरा मेजौली, परसौना इत्यादि के क्षेत्र में पचासों गांव में बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो गयी। मधुरी, सेखइया, महुआ, महुरिया इत्यादि गांव में अधिक से अधिक घर ध्वस्त हो गये। लोगों के पास न खाने को अनाज है और न रहने को घर, न पशुओं के लिये चारा। रबी की बुवाई के लिए बीज भी नहीं है। इसलिये भविष्य के अन्धकार होन से लोग भयभीत हैं।

अतः एक अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि नदियों से कट रहे गांव झुनकी, माहखर्गकला, गायघाट, हथबढ़ताल, बुलहा, दरिमियानी, (कुछ लोगों को) अन्यत्र बसाना, गृह अनुदान देना, लगान, छात्रों की फीस माफ करना, रबी के बीज वितरण करना, गिरे हुए घरों के पुनः निर्माण के लिये तकाबी देना और बंधों के गैपों को पूरा करना सुनिश्चित करें।]

जिला जालौन के हरिजनों को उनकी भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद जालौन के राजस्व अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा शासनादेश संख्या 164/12(23)/86-रा-1, दिनांक 19-12-86 का स्पष्टतः उल्लंघन कर 30 जून, 1985 के पूर्व से काबिज जनपद के तमाम हरिजनों को ग्राम समाज की परती भूमि से बलात बेदखल कर अन्य कुपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ--ग्राम गढ़गवां तहसील व जनपद जालौन के हरिजनगण सर्वश्री घनश्याम पुत्र अंगनू, पंचम लाल गंगाराम,

---

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरेलाल व तिजौले को क्रमशः ग्राम समाज की परती भूमि गाटा संख्या 275, 293, 353, 519 व 499 जिस पर 30 जून, 1985 के पूर्व से काबिज हैं, से बेदखल किये जा रहे ह । उक्त राजस्व अधिकारी/कर्मचारी की अनियमितता एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही से जनपद के तमाम हरिजनों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि जनपद के उन तमाम हरिजनों, जो ग्राम समाज की परती भूमि पर 30 जून, 1985 के पूर्व से काबिज हैं, की बेदखल न किया जाय तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं शासनादेश के अंतर्गत विनियमित कर उन्हें असंक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार प्रदान किया जाय ।]

लखनऊ स्थित उप निबन्धक कार्यालय में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान राजधानी लखनऊ में स्थित उप निबन्धक कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस कार्यालय में एक पद निबन्धन लिपिक, श्री बलवन्त राम (अनु0 जाति) की प्रोन्नति के पश्चात् रिक्त हुआ था। तत्कालीन ए0 डी0 एम0 (एफ0 एण्ड आर0), लखनऊ में सेवायोजन अधिकारी की सांठ-गांठ से उक्त पद की पूर्ति हेतु एक पत्र दिनांक 12-7-89 को सेवायोजन अधिकारी को दिया । सेवायोजन अधिकारी की सहमति लेकर दिनांक 24-7-89 को साक्षात्कार कराकर अपने करीबी रिश्तेदार, श्री बल्देव सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह की नियुक्ति कर ली जिसकी जानकारी किसी कर्मचारी/अधिकारी को नहीं होने दी । इस कार्यालय में निबन्धन लिपिक के पद पर वर्ष 1983 से दैनिक वेतन पर कुछ कर्मचारी लगातार वर्ष 1989 तक समय-समय पर कार्य कर रहे हैं, जिनका हक था उनको अनभिज्ञ रखा गया । श्रीमान्, जैसा कि भारत के प्रधान मन्त्री एवं प्रदेश के मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति के पदों की पूर्ति के लिए निर्देश दे रहे हैं श्री सिंह ने उसकी परवाह नहीं की है ।

अतः लोक महत्व के इस मामले की अविलम्ब जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करें तथा उक्त नियुक्ति को रद्द करके अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाय एवं वर्ष 1983 से 1989 तक समय-समय पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को नियमित करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।]

लखनऊ के आलमनगर स्थित आवामी कब्रिस्तानों को आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा क्षति पहुंचाय जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकहित के अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । लखनऊ शहर के ग्राम आलमनगर तहसील लखनऊ के खसरा नं0 36 पर एक प्राचीन आवामी कब्रिस्तान है, और आज भी कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और बराबर जनाजे दफनाये जा रहे हैं सभी बन्दोबस्त में इन्द्राज है । सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है । कब्रिस्तान वक्फ कमेटी के कब्जे में है ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त कब्रिस्तान पर आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा नाजायज कब्जा किया जा रहा है। कब्रिस्तान के अन्दर से कब्रों को रौदते हुए ट्रक-ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं तथा भवन सामग्री ढेर की जा रही है। कब्रिस्तान के पश्चिम-दक्षिण की भूमि पर मकान बनाये जा रहे हैं। इससे कब्रिस्तान की पवित्रता नष्ट हो रही है तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इससे राजाजीपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में काफी रोष है तथा स्थिति तनावपूर्ण है।

अतः कब्रिस्तान वाटर, सीवर लाइन, बिजली के पोल तथा बनाये जा रहे मकान तुरन्त हटाये जांय। कब्रिस्तान की बाउन्ड्री बनवाई जाय तथा दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों को दण्डित किया जाय।]

जनपद प्रतापगढ़ के उप निबन्धक, कार्यालय में हुयी अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फूल सिंह सौदाई—

[माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के उपनिबन्धन कार्यालय सदर में निबन्धन लिपिक के एक अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित वर्ष 1982 से रिक्त पद पर श्री हीरामणि सिंह यादव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने अपने भतीजे राम जनम सिंह यादव को नियुक्ति, दिनांक 1 फरवरी, 1989 को कर ली जबकि शासन के कड़े निर्देश हैं कि आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति के ही अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाये। उक्त नियुक्ति में रोजगार कार्यालय से उपयुक्त व्यक्तियों के नाम भी नहीं मांगे गये और न ही चयन में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी गयी उक्त नियुक्त कर्मचारी को 6 मास के अन्दर ही दिनांक 1 सितम्बर, 1989 को स्थायी भी कर दिया गया जब कि 2 वर्ष तक परिवीक्षण पर रखा जाना आवश्यक था।

अतः आपसे निवेदन है कि इस अनियमित मामले की जांच शासन स्तर से करायी जाय और उपरोक्त तथ्य सत्य पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

जनपद अलीगढ़ के कतिपय गांवों में भारी पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ जनपद की खैर व सिकन्द्राऊ तहसील क्षेत्रों में पेयजल का गम्भीर संकट है। खैर तहसील टप्पल ब्लाक में यमुना नदी की तलहटी में स्थित ग्राम विशेष रूप से पेयजल संकट से प्रभावित है। इस क्षेत्र के ग्राम जेंदपुरा, जरूव टी सीराला, बबुशाका, कोजुशाका, हरसुख की नगलिया, जरलियाखटतल-पुर, ताहरपुर, कुपालगढ़ी, बिजनगलिया, जिजुना, सिगुना, डसरंह, रसूलपुर, सोतीपुरा, प्रेमपुर आदि टप्पल ब्लाक के इन ग्राम में गम्भीर पेयजल संकट है। विकास खंड खैर में सजना, अहरौला, दमकोल, कोला, सिरिया की गढ़ी बलावसन, कूमरा, मानपुर, मयना, गढ़ो, इयोरान, दवा मंड़ा भानाली, नगाला मुकटपुर, दोहरा बलीपुर, पीपलगांव, महगौरा आदि तथा पड़ोस ब्लाक के दाऊपुरा, जलाखरी, धरमपुर, डेटा, बलरामपुर, कर्मपुर (चौहान)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चड़ास, पिसावां, पोस्ती का शेरपुर, जलालपुर, सवलपुर, ऐलमपुरा, सुदेशपुर जट बगला आदि मे विशेष पेयजल संकट हैं ।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

सहकारिता विभाग के संग्रह योजना कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[महोदय, उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की संग्रह योजना में लिपिक, ड्राइवर, सहयोगी, कार्यालय स्टाफ भारी संख्या में नियुक्त हैं । सन् 1956 से उक्त कर्मचारियों को पेन्शन सुविधाओं को छोड़कर राजकीय कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधाय दी जा रही हैं परन्तु संग्रह योजना स्थायी न होने के कारण इन कर्मचारियों को पदोन्नति, सेलेक्शन स्केल, पेंशन आदि सुविधाओं से वंचित हैं तथा ये कर्मचारी 30 वर्ष तक विभाग की सेवा उपरान्त पेंशन न पाने के कारण बन्धुवा मजदूरों की भांति कार्यरत हैं जब कि संग्रह कर्मचारियों के लिपिक वर्गीय संघ द्वारा विभागीय अधिकारियों, मन्त्री जी को अनेकों बार ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया हैं । संग्रह कोष पर शासन का कोई नियन्त्रण न होने के कारण विभाग को फन्ड के दुरुपयोग की कोई जानकारी नहीं होती हैं । इस प्रकार करोड़ों रुपये के फंड का दुरुपयोग हो रहा है और न ही इस संग्रह योजना को 30 वर्षों के उपरान्त भी शासन द्वारा नियमितीकरण किया गया हैं ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सहकारिता विभाग के संग्रह योजना का नियमितीकरण कर इस योजना में कार्यरत संग्रह कर्मचारियों को शीघ्र राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय ।]

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर तथा जनपद फिरोजाबाद के विकास खंड टूंडला तथा नारखी के ग्रामीण अंचलों के मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र भान मौर्य—

[मान्यवर, आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील तथा फिरोजाबाद जनपद की विकास खंड, टूंडला तथा नारखी के ग्रामीण अंचलों के मार्गों को 42 साल के स्वतन्त्र भारत में जर्जरता तथा दुर्दशा से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हैं ।

खंदौली से गिजौली मार्ग खदौली से खंडा मार्ग वाया सैमरापैसई खंदौली से सौरई मार्ग सोलिंग तथा मिट्टी स्तर तक भी नहीं बने हैं । इसी तरह से ऐत्मादपुर से जलेसर वाया देवखेड़ा-जिहारगढ़, बरहन से श्रीनगर वाया खेड़ी-कुरगांवा-बुर्जनत्थू मार्ग बहरन से खंडा वाया नगला बेल मार्ग, बरहन से चावली मार्ग वाया मुखबार वास बादाम से जलेसर मार्ग व टूंडला रेलवे क्रासिंग से रुधई मार्ग एत्मादपुर से कोटला वाया सराय नूरमहल चौधरी मार्ग, तारखी से कयछा, औखरा कालिकी मांगनी, नगला बीच से तारखी वाया कायथा से एटा टूंडला मार्ग माइनर मार्ग व पचोखरा से उसाय आगरा टूंडला

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मांग से न्याहलपुर व टूंडला से रसूलाबाद आदि मार्ग पक्का तो बहुत दूर वर्षों की मरम्मत न होने के कारण आवागमन की परेशानी के कारण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से उपरोक्त मार्गों को युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाकर पक्का डामर रोड बनाने की मांग करता हूं ।]

जनपद मुजफ्फरनगर की चीनी मिल मंसूरपुर द्वारा किसानों तथा गन्ना समिति मंसूरपुर के बकायों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह--

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन एवं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर की चीनी मिल मंसूरपुर पर किसानों तथा समिति का लगभग 90 लाख रु0 बकाया है इसके संबंध में अगस्त, 1988 में परगनाधिकारी, जिला गन्नाधिकारी, किसानों, किसान प्रतिनिधियों जिनमें मैं भी उपस्थित था एवं मिल प्रबन्धकों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, परन्तु अभी तक मिल मालिक द्वारा उस समझौते का पालन नहीं किया गया बल्कि अपने धन के प्रभाव का प्रयोग करते हुये समिति के किसानों को धोखा दिया जा रहा है जिससे स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी है ।

मैं इस महत्वपूर्ण विषय को सम्मानीय सदन के संज्ञान में लाकर अगस्त, 1988 में हुये त्रिपक्षीय उक्त समझौते के पालन की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा की करवी तहसील में ग्राम समाज की भूमि की अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन--

[महोदय, बांदा जिले की करवी तहसील के अन्तर्गत पचासों गांवों के ग्राम सभा की करोड़ों रुपयों की कीमत की हजारों बीघा जमीनें तहसील करवी के अधिकारियों द्वारा बेची जा रही हैं । उसमें परगनाधिकारी व जिलाधिकारी का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है । सरकारी रिकार्ड में फर्जी इन्दराज फाइलों में गोलमाल व धांधली पट्टों के आवंटन में मनमानी व अनियमितताएं 229 बी0 के मुकदमें घूसखोरी भ्रष्टाचार आदि हथकंडों के द्वारा जोरों पर है । जिला स्तर पर उनकी रोकथाम असंभव है । तहसीलदार श्री बनवारी लाल निगम केवल लेखपाल के पद पर स्थायी हैं और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के आधार पर तहसीलदार बने बैठे हैं । इसी प्रकार लेखपाल श्री महादेव प्रसाद त्रिपाठी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कानूनगो के पद पर आसीन हैं । सरकारी वकीलों ने इनके मामलों में कोई खास पैरवी नहीं की है और उनसे सांठ-गांठ कर रखी है । इसीलिये यह अधिकारी पदोन्नति नहीं हो रहे हैं । उन सरकारी वकीलों की असफलता को देखते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की महत्ती आवश्यकता है । उक्त तहसील अधिकारियों के हौसले बड़े हैं । जिससे ग्राम

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समाज की जमीनों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है भूमिहीन हरिजनों खेत मजदूर आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और उनको जमीन नहीं मिल रही है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या के निदान हेतु कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं,]

जिला मुरादाबाद में तिगरी तथा सुनपुरा खुर्द ग्रामों के बीच फीडर चैनल पर पीपे का पुल अविलम्ब बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर--

[माननीय अध्यक्ष जी, कालागढ़ के निकाले गये फीडर चेनल को मुरादाबाद जनपद की तहसील हसनपुर के ग्राम तिगरी के पास गंगा नदी में डाला गया है। फीडर चैनल तथा गंगा नदी के बीच में ग्राम तिगरी स्यालीमेव लठीरा ऐतमाली, पपसरा खादर, घासीपुरा, सूनपुरा खुर्द आदि के काश्तकारों को अपने खेतों पर जाने के लिये फीडर चैनल को पार करके जाना पड़ता है। जिसके कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकास तथा काश्तकारों की सुविधा के लिये एक पीपे के पुल का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः श्रीमन्, मैं तिगरी तथा सुनपुरा खुर्द ग्रामों के बीच फीडर चैनल पर पीपे का पुल अविलम्ब बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जिला फतेहपुर के सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक द्वारा सरकारी धन व संसाधनों का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश कुमार पाठक--

[महोदय, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि जनपद फतेहपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक श्री राम सिंह द्वारा बैंक का लाखों रुपया स्टेशनरी आदि के फर्जी वाउचर के आधार पर हड़प लिया गया है, बैंक की गाड़ी यू0 पी0 डब्लू0 6856 व यू0 पी0 डब्लू0 7114 का खुलकर दुरुपयोग किया गया है। बैंक के नियमों को बलायताख रखकर अफसर गाड़ी जिले के बाहर अपने व्यक्तिगत कार्यों से ले जाते रहे हैं। इतना ही नहीं सहकारी सम्मेलन के नाम पर बैंक के पैसे से 82 हजार के गेहूं का बीज तत्कालीन सहकारिता मंत्री

[× × ×]

के हाथों किसानों को वितरण दिखाकर स्वयं बाजार में बेच लिया। उक्त बीज के वितरण का कोई रिकार्ड बैंक में उपलब्ध नहीं है कि किन-किन किसानों को बीज दिया गया। इन सबकी शिकायत होने पर विभाग में उनके विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 68 की कार्यवाही हेतु जांच के आदेश दिये हैं और दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को संचालक मंडल में श्री राम सिंह से 82 हजार रुपये वसूल करने का प्रस्ताव पास किया। पिछले

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वर्ष के आडिट रिपोर्ट भी उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है और उस पर कार्यवाही हेतु लिखा गया है। परन्तु श्री राम सिंह अपने प्रभाव व पैसे के बल पर इस सम्पूर्ण मामले को दबाने में लगे हैं।

अतः मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुय सदन से मांग करता हूं कि उक्त प्रशासक के विरुद्ध अविलम्ब सहकारी अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय और सम्पूर्ण धन की वसूली की जाय।]

जिला फतेहपुर में बिन्दकी रोड पर स्थित फैक्ट्रियों से अत्यधिक प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह—

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये अनुरोध करना चाहूंगा कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा के अन्तर्गत बहुत ही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां लगी हैं जिनमें आर0 ए0 सीमेन्ट फक्ट्री व मधु चन्द्रा टैक्नो केन कमीका फैक्ट्री बोडाग्रह प्रमुख हैं। आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिक ने प्रदूषण बोर्ड से सीमेन्ट उत्पादन हेतु 33 मैट्रिक टन क्षमता का प्लान्ट लगाने व लाइसेंस प्राप्त किया परन्तु फैक्ट्री में 33 के स्थान पर 50 मैट्रिक टन क्षमता उत्पादन वाला लगवाकर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया है।

मैंने सदन में इसका सवाल उठाया तो बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था न होने के कारण उक्त फैक्ट्री के उत्पादन कार्य पर रोक लगा दी तब जाकर फैक्ट्री मालिक ने 33 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला प्रदूषण नियंत्रण वाला यंत्र लगवाया जिसे कभी-कभी चलाया जाता है ताकि वह जल्दी बदलना न पड़े : उक्त यंत्र केवल दिखाने के लिये ही लगा है जिस अचानक मुआयना करने पर देखा जा सकता है।

इसी के साथ-साथ फैक्ट्री मालिक ने 33 मैट्रिकटन क्षमता के स्थान पर 50 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला प्लान्ट लगाकर 50 मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा है और जबसे उत्पादन कार्य शुरू हुआ बराबर 17 मैट्रिक टन उत्पादन शुल्क व सेल्सटैक्स की चोरी हो रही है और सीमेण्ट को चोरबाजारी में बेचा जा रहा है। फैक्ट्री मालिक ने प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का खुला उल्लंघन कर 50 मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा है।

अतः इस फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करा कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

हरिद्वार जिलान्तर्गत लक्सर क्षेत्र के कतिपय गांवों में वर्षा से जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर नरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 421—लक्सर जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम जैनपुर मुबारकपुर, मुख्याली खुर्द लादपुर वाला व लादपुर खुर्द का करीब एक सौ एकड़ का क्षेत्र अत्यधिक वर्षा के दौरान जलमग्न रहता है। इससे किसानों को लगभग 5 लाख रुपये की गन्ने की फसल की हानि हो जाती है। यहां पर पानी रेलवे के बांध के कारण

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुक जाता हूं। मेरे अनुरोध पर पानी निकासी हेतु वहां पाइप जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये थे परन्तु अभी तक नहीं लगाये जा सके। गरीब किसानों की क्षतिपूर्ति कराने तथा जिलाधिकारी हरिद्वार को अविलम्ब पाइप लगाये जाने हेतु निर्देशित करने की मांग करता हूं।

मौके की फोटो आपके पास भेज रहा हूं।]

प्रदेश में हो रही चीनी की चोर बाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद—

[मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में चीनी की चोर बाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रदेश में चीनी का भाव 13/14 रुपया किलो हो गया है। मेरे जनपद फैजाबाद में भी चीनी की चोर बाजारी बड़े जोरों पर है। लोगों में व्यापक असंतोष है। मेरे क्षेत्र सुहावल में विकास खंड, सोहावल, मसोधा और पूरा में तीन महीने से उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल पायी है। जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी जिले के और क्षेत्र के कोटेदारों से मिल कर कोटे की समस्त चीनी मुक्तालय पर बिकवा लेते हैं। अभी हाल में ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार, बड़ा इतवार, नागपंचमी का त्योहार आया चीनी से लोग वंचित हो गये। विकास क्षेत्र सोहावल में हरिबंधनपुर, रघुपुर, इस्माईलनगर, सिहोरा, शिवार, रामनगर, धौराहरा, महोली, हाजीपुर, अंबरपुर, बरसेडी, रौनाही, शेखपुर जाफर, सोहावल, देवराकोट, पिलखाबा, बड़ागांव तथा पूरा ब्लाक के ग्राम गंगौली के हजारों लोग आम और उन्होंने बहुत असंतोष व क्षोभ व्यक्त किया।

मान्यवर, यह गंभीर एवं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाय और दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाय और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाय।

उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा की सेवा सुविधाओं में अनियमितता एवं लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयदीप सिंह बरार—

[मान्यवर, नियमानुसार उत्तर प्रदेश की नर्सिंग सेवा में राजकीय अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्सों व सिस्टरों की दक्षता रोक पांच वर्ष बाद पार करा दी जानी चाहिए परन्तु स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण 15 वर्षों से यह कार्यवाही ठप्प पड़ी है। फलस्वरूप इन कर्मचारियों के वेतन तथा पदोन्नति पर शासन की लापरवाही से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बारे में कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और इन महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी है। इस अवैध उत्पीड़न की कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदेश की लगभग 10,000 तथा बरेली मण्डल की लगभग 1200 महिला स्टाफ नर्सें पीड़ित हैं शासन की लापरवाही के फलस्वरूप यह सभी आर्थिक हानि के अतिरिक्त पदोन्नति से भी वंचित की जा रही हैं।

अतः सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि शासन इन महिला कर्मचारियों की दक्षता रोक पार कराने सम्बन्धी कार्यवाही दो महीने के अन्दर पूर्ण करें।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला सहकारी बैंक के सचिव द्वारा फर्जी आदेशों से अवैध धन कमाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

[माध्यवर, मैं सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सहकारी बैंक के सचिव ने दिनांक 28 जुलाई, 1989 को एक आदेश कर, गुजरात से आये कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके उनसे अवैध धन लेकर फर्जी किताबों की खरीद कराकर लाखों रुपया हड़प लिया है। दिनांक 8 अगस्त, 1989 को दूसरा आदेश किया कि मैंने कोई आदेश खरीद हेतु नहीं किया जब कि दोनों आदेश बैंक में मौजूद हैं।

इस तरह से बैंक सचिव ने फर्जी आदेश कर बैंक का रुपया हड़प लिया है। अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट कर।]

जनपद फैजाबाद के थाना इब्राहीमपुर की पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

[माध्यवर, जनपद फैजाबाद के थाना इब्राहीमपुर में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा 16 सितम्बर को छात्र ज्ञानेन्द्र कुमार व लाल बहादुर वर्मा को अकारण पिटाई के विरोध में 18 सितम्बर को छात्रों का शांति पूर्ण प्रदर्शन हुआ उसके बाद क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस के इशारे पर जनता दल से संबंधित 16 लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके पी0ए0सी0 के साथ गांव-गांव छापा डलवाकर गयादीन वर्मा, संतराम, बाबूराम गुप्ता, शिवशंकर तिवारी, राम जियावन को पिटाई करके चालान किया गया जिससे क्षेत्र में आक्रोश की लहर फैल गयी और विरोध स्वरूप 22 सितम्बर से थाना इब्राहीमपुर के सामने हजारों हजार की संख्या में प्रदर्शन करके क्षेत्रीय लोगों ने सभा की और धरना आरंभ कर दिया। 24 सितम्बर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर पहुंच कर धरना दे रहे क्षेत्रीय लोगों से जन-प्रतिनिधियों एवं प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में यह समझौता किया कि दोषी पुलिस कर्मी निलम्बित करके लाइन हाजिर किये जा रहे हैं तथा 16 लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लिया जाये।

धरना समाप्त हो जाने और प्रश्नकर्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के विधान सभा सत्र में भाग लेने के लिए लखनऊ चले आने के बाद क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस की साजिश और अन्य पुलिस कर्मियों की मिली भगत से बदले की भावना से पुनः तमाम लोगों के घर पर छापा डाला जा रहा है, लोगों को आतंकित किया जा रहा है जिससे पुनः पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है और स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाते हुये तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं और पुलिस उत्पीड़न रोकने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह--

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहती हूं । मान्यवर, मेरे जनपद गाजियाबाद विशेष रूप से विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के विकास खंड धोलाना और भोजपुर में वृष्टि के अभाव से अपार सूखा का सामना करना पड़ रहा है । सभी फसल नष्ट हो गयी है । परिणामस्वरूप जनमानस में हाहाकार मचा हुआ है और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं । जानवरों के लिये अभी चारा नहीं है तो आगे के लिये विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा । मानव जीवन सम्भव नहीं हो पायेगा, यदि सरकार की तरफ से जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करके पर्याप्त राहत की व्यवस्था न की गयी, किसी भी भयावह स्थति की सम्भावना है ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए मांग करती हूं कि जनपद गाजियाबाद को सूखाग्रस्त घोषित कर पर्याप्त सरकारी राहत देने की सुनिश्चित व्यवस्था करें ।]

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र की लखनऊ विकास प्राधिकरण की हिन्दनगर कालोनी के भूतल आबंटितों को प्रथम तल भी आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

प्रधान प्रभु दयाल--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं । लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी आलमबाग हिन्दनगर के "एफ" ब्लाक में प्राधिकरण ने दो मंजिले भवनों का निर्माण कराया है । इस भवनों के प्रथम तल में वैधानिक रूप से आबंटित लोग निवास कर रहे हैं तथा प्रथम तल में अवैध कब्जों की भरमार है । उक्त भवनों में अराजकतत्वों का जमावड़ा हो गया है । जिनसे संभ्रान्त नागरिकों को अत्यन्त विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । इसकी सूचना शासन को समय-समय पर दी जाती रही है ।

अतः मेरी आपके माध्यम से शासन से स्पष्ट मांग है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की हिन्दनगर कालोनी के "एफ" ब्लाक के भूतल आबंटियों को ही प्रथम तल के भवन में भी आबंटित करने का कष्ट करें ।]

ग्राम सभा डिडोहा जिला बस्ती तहसील सदर की ग्राम समाज की भूमि व चकरोडों पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[मान्यवर, आपके माध्यम से जनपद बस्ती के सदर ब्लाक के ग्राम सभा डिडौहा में सभापति की निष्क्रियता तथा कुछ ग्रामवासियों द्वारा आबादी व आमद रफत तथा चकरोडों पर अनाधिकृत उपयोग से अन्य ग्रामवासियों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त ग्राम सभा के कुछ लोग चकरोडों को काटकर अपने खेत में मिला लिए हैं अनाधिकृत रूप से रास्तों पर बेड़ा लगाये हैं तथा गलियों व रास्तों पर गन्दे पानी की नालियां निकाले हुए हैं। सम्बन्धित ग्राम सभापति उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं बल्कि किसी एक पक्ष की ओर से होकर आप जनता की कठिनाइयों के निवारण को ताख पर रख देते हैं।

अतः इस माननीय सदन के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर मैं माननीय मंत्री जी सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 के अन्तर्गत आज 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो बदायूं की घटना के बारे में है, उसके लिए दो घन्टे की चर्चा कल के लिए स्वीकार की गई और बाकी सभी को अस्वीकार किया गया है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनएं प्राप्त हुई हैं, वह सभी अस्वीकार हुई हैं।

नियमों को शिथिल करते हुए उ0 प्र0 राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 तथा उ0 प्र0 विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 को आज ही लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियमों को शिथिल करते हुये निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उनके पारण के प्रस्ताव विधान सभा में आज दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को प्रस्तुत किये जायं :

1--उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक।

2--उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मंत्री-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिए जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, मैंने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, उस पर आपने क्या निर्णय लिए हैं ?

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष—

आपकी ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उसको मैंने कल के लिए स्वीकार किया है। वह कल लिया जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करें, सदन को व्यवस्थित करायें और वोटिंग करायें। आप अविश्वास के प्रस्ताव को आज ही लें।

श्री अध्यक्ष—

बदायूं के बारे में जो सूचना दी गई है, उस पर दो घन्टे की चर्चा ली गई है, वह कल होगी और अविश्वास का प्रस्ताव भी कल लिया जायेगा।

(श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन आदि सदस्य हाथों में पोस्टर लिए व नारे लगाते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट और बढ़ा दिया है।

2 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विधान सभा वर्ष 1989 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण एवं शुद्धि पत्र †

(भारतीय जनता पार्टी के धरने पर बैठे हुये सदस्यों द्वारा काला विधेयक वापस लो के नारे लगाये जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

उर्दू विधेयक पास करो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के मद संख्या 3 लगायत 6 में उल्लिखित विवरण, प्रतिवेदनों एवं नियमावली को सदन के पटल पर रखता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी कारण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1989 के प्रथम सत्र (दिनांक 8 फरवरी, 1989 से 6 अप्रैल, 1989 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की विवरण एवं शुद्धि पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या 1, उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4316 बी/33-2-90-जी-88 यू0 पी0 एस0-33-1961 नियम 1963 संशोधन (4) 1988, दिनांक 1 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1984 में संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु गठित एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा 1984 में संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु माननीय श्री पी0 एन0 हरकौली, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग के प्रतिवेदन को ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित जांच आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

विशेष कार्याधिकारी, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 †

विशेष कार्याधिकारी, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989†

विशेष कार्याधिकारी, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989†

विशेष कार्याधिकारी, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989†

विशेष कार्याधिकारी, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित सदस्यों के सामने अंकित सूचनाओं पर श्री उपाध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निर्देश दिया कि कृत कार्यवाही से सदन को भी अवगत करायें तथा शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया :—

1—श्री जयदीप सिंह बरार दिनांक 6 सितम्बर को हल्द्वानी, नैनीताल में हुए नरसंहार के सम्बन्ध में ।

---

†छापा नहीं गया ।

2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरेन्द्र सिंह — आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य की घोषणा न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध म ।

3--श्री हृदय नरायन दीक्षित — उत्तर प्रदेश में लाखों रुपये की विद्युत् चोरी के सम्बन्ध में ।

4--श्री गोपी नाथ वर्मा — फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।

5--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्ष वर्धन, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री शारदानंद अंचल — असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर न लिये जाने, राजकीय शिक्षकों की हड़ताल एवं मान्यता प्राप्त असहायिक पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन एवं धरने के सम्बन्ध में ।

6--श्री राम शरण दास — जमुना नदी में आई भयंकर बाढ़ से हुई करोड़ों रुपये की क्षति के सम्बन्ध में ।

7--श्री नरेन्द्र सिंह, प्रधान प्रभुदयाल तथा श्री अब्दुल वहीद कुरैशी — पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

8--कुंवर रेवती रमण सिंह — अपराधियों की सुरक्षा हेतु दिये गये सुरक्षा गार्ड वापस लेने के सम्बन्ध में ।

9--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह — समस्त बुन्देल खण्ड में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

10--श्री राम सजीवन — बांदा जिले में रैपुरा थाने की पुलिस द्वारा श्री [illegible] पुत्र श्री कल्लू की की गई हत्या के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने हेतु खड़े न होने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन) के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत हेतु खड़े न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड 1,
प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1889 कहा जायेगा ।

(2) यह 21 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(क) नियत दिनांक, का तात्पर्य अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में 3 जुलाई, 1971 से है और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में 28 अक्टूबर, 1984 से है और अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में 24 अप्रैल, 1989 से है" ।

(ख) खण्ड (ज) में, शब्द "अनुसूची एक या अनुसूची दो में" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम की किसी अनुसूची में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार, यथास्थिति, अनुसूची एक या अनुसूची दो के स्तम्भ 2 में" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची के स्तम्भ 2 में" रख दिये जायेंगे; और शब्द "जो उससे सामने यथास्थिति, अनुसूची एक या अनुसूची दो के स्तम्भ 3 में" के स्थान पर शब्द "जो उसके सामने उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 16 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में—

(क) शब्द "31 मार्च, 1970 या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970, अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में इकतीस मार्च, 1983 और अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक से है जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे (ऐसे दिनांकों को आगे विनिर्दिष्ट दिनांक कहा गया है)" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "जो निगम की राय में 31 मार्च, 1970 या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में हूं, के पूर्व" के स्थान पर शब्द "जो निगम की राय मे विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व" रख दिये जायेंगे ।

5--मूल अधिनियम की अनुसूची दो के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची तीन अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, [अर्थात्-- नयी अनुसूची तीन का बढ़ाया जाना

अनुसूची--तीन

[धारा 2 (ज) और 7 (5) देखिये]

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
क्रम-संख्या	फैक्ट्री जिस नाम से फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहां पंजीकृत है और उसका पता (नोट-- जहां फैक्ट्री उस कम्पनी या फर्म के नाम में पंजीकृत है जिसका फैक्ट्री पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्ट्री को पट्टे पर धारण किये है तो यथा पंजीकृत नाम ही इस स्तम्भ में लिखा है, किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि धारा 3 के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है)	प्रतिकर की धनराशि (रुपयों में)
1	श्री सीताराम शुगर मिल्स लिमिटेड, बैतालपुर, देवरिया	(अड़सठ लाख अड़तालीस हजार एक सौ उन्सठ रुपये) (68,48,159)
2	देवरिया शुगर मिल, देवरिया	(बासठ लाख तिरासी हजार इक्यावन रुपये) (62,83,051)
3	रत्ना शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, शाहगंज, जौनपुर	(अठासी लाख इक्तीस हजार छः सौ चौसठ रुपये) (88,31,664)
4	नवाबगंज शुगर मिल्स लिमिटेड, गोंण्डा	(सत्ताइस लाख सत्तर हजार रुपये) (27,70,000)

6--निरसन और अपवाद--(1) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सदन के फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे नारे लगाये जाने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य) ।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य सर्वश्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संकल्प प्रस्तुत न करने पर) ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने तथा संशोधन न प्रस्तुत करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

यदि आप उर्दू विधेयक सदन में पास ही करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस विधेयक को आज से ही लागू करें ।

(शोर)

खंड 2 व 3 खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 11 मई, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 में नयी धारा 32—क का बढ़ाया जाना

2—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित दस्तावेजों की सही फोटोस्टेट प्रतियों का दिया जाना

"32-क (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात होते हुए भी, ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें, हर दस्तावेज या दस्तावेज की धारा 19 में निर्दिष्ट किसी अनुवाद के साथ, जिसे रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जाय, उसकी उतनी सही फोटोस्टेट प्रतियां होंगी जितनी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जायं ।

(2) (क)—फोटोस्टेट प्रति स्वच्छ और सुपाठ्य होगी और ऐसे प्रकार के कागज पर तैयार की जायगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय;

(ख) फोटोस्टेट प्रति में ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, यह घोषणा होगी कि यह रजिस्ट्री किये जाने वाले दस्तावेज की एक सही प्रति है;

(ग) फोटोस्टेट प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदाधारी द्वारा किया जायगा जैसा रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर द्वारा निदेश दिया जाय;

(घ) फोटोस्टेट प्रति की अलग-अलग जिल्दबन्दी की जायगी और उसे ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, स्थायी रूप से रखा जायगा ।

(3) जहां इस धारा के उपबन्ध लागू होते हैं, वहां नीचे उल्लिखित धारायें निम्न प्रकार से उपान्तरित समझी जायेंगी :--

(क) धारा 52 में, उपधारा (1) में,--

(एक) खंड (क) में, शब्द "ऐसे हर दस्तावेज" के पश्चात शब्द "और उसके साथ उसकी फोटोस्टेट प्रति" रख दिये जायेंगे;

(दो) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) धारा 62 म अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, हर फोटोस्टेट प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज से अनावश्यक विलम्ब के बिना, सत्यापित की जायगी और उसे रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज के वास्ते विनियोजित पुस्तक में उसके ग्रहण के क्रमानुसार उसकी नकल के लिये समुचित पुस्तक में रखा जायगा ।"

(ख) धारा 60 में, उपधारा (1) में, शब्द "उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित, जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है" के स्थान पर शब्द "फोटोस्टेट प्रति की क्रम-संख्या के निर्देश और उस पुस्तक के संख्यांक के सहित, जिसमें वह रखी गयी है" रख दिये जायेंगे;

(ग) धारा 69 में, खंड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

(जज-1) उतनी संख्या का जितनी और उस रीति का जिसमें दस्तावेजों और धारा 19 के अधीन अनुवादों की फोटोस्टेट प्रतियां तैयार की जायेंगी और पुस्तकें जिनमें उन्हें अभिलेख के लिये रखा जायगा, विनियमित करने वाले,

(जज-2) धारा 32-क की उपधारा (2) के अधीन घोषणा का प्ररूप और अभिलेखों को रखने की रीति विनियमित करने वाले;" ।

निरसन और अपवाद

3--(1) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर वृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्यपाल सिंह--

(व्यवधान के मध्य)

मैं उर्दू विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि इस विधेयक को वह आज ही के दिन से लागू करे अन्यथा अदालत में जाकर इसके विरोध में स्टे ले आयेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विरोध पक्ष की ओर से काला विधेयक वापस लें के नारे लगाये जाते रहे)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य सर्वश्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी आदि का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने तक उनके द्वारा संशोधन न प्रस्तुत करने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(शोर)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 8 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(11) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से दो सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिक निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(उर्दू का काला विधेयक वापस ले के नारे लगाये जाते रहे ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन के प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री सूर्य प्रताप शाही आदि का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संशोधन प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

(घोर व्यवधान के मध्य)...आप यह परम्परा गलत डाल रहे हैं कि सदन व्यवस्थित नहीं है और विधेयक पास कराते चले जा रहे हैं ।

(शोर)

खण्ड 2 से 7 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) धारा 2, 3 और 4 चौबीस अप्रैल, 1989 को प्रवृत हुई समझी जायेंगी, धारा 5 आठ अगस्त, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 6 दो सितम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन नयी धारा 72-ख का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में उपधारा (1) में शब्द "गढ़वाल विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "जिसे 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहा जायेगा" बढ़ा दिये जायेंगे ।

3--मूल अधिनियम की धारा 72-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्--

गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

"72-ख--दिनांक 25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

अनुसूची का संशोधन

4--मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 8 के सामने स्तम्भ 2 में, शब्द "गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

5--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द "राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय" के पश्चात् शब्द "चिकित्सा शिक्षा देने वाला कोई महाविद्यालय" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 31-ख का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 31-ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2-क) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

(कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयो को दूर करना) आदेश, 1983 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में निर्दिष्ट किसी रिक्ति में तदर्थ आधार पर ऐसे आदेश के उपबन्धों के अनुसार 3 जनवरी, 1984 को या उसके पूर्व सीधे नियुक्त हुआ है और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से 2 सितम्बर, 1989 तक महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा है और जो सम्बन्धित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता है या जिसे उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि--

(क) उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी को कोई मौलिक रिक्ति 2 सितम्बर, 1989 को उपलब्ध हो; और

(ख) अध्यापक का कार्य और आचरण संतोषप्रद पाया जाय ।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1989, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1989 और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1989
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1989
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित अधिनियमों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 7 तक, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सदन के फ्लोर पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाते रहे ।)

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य सर्वश्री रामगोविन्द चौधरी, गौरी शंकर मध्या तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संकल्प प्रस्ताव न किये जाने पर ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पर विचार किया जाए ।

(इस प्रस्ताव में संशोधन के प्रस्तावकों श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि के नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 43 तक खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की स्थापना की और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

चूंकि स्वर्गीय डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के स्मारक के रूप में लखनऊ में एक ऐकिक शिक्षण और शोध आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करना समीचीन है :

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधि- प्रारम्भ। सूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2--इस अधिनियम में,--

(क) "विद्या परिषद्" "सभा" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद्, सभा और कार्य परिषद् से है ;

(ख) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(ग) "छात्र निवास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रों के निवास की इकाई से है जिसमें पाठन और अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो ;

(घ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रों के निवास की इकाई से है ;

(ङ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(च) विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विश्व-विद्यालय द्वारा बनाये गये किसी विनियम से है ;

(छ) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम से है ;

(ज) "परिनियमों," "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है ;

(झ) "अध्यापक" के अन्तर्गत आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या विश्वविद्यालय में शिक्षण या शोध कार्य के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(ञ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय से है ।

अध्याय--दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3--(1) लखनऊ में डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के नाम से एक ऐकिक, शिक्षण और शोध आवासिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्यों और ऐसे सभी व्यक्तियों को जो एतत्पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जायं, और ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किये रहें, एतद्द्वारा डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है ।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

4—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हो, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में अध्यादेशों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5—विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण और शोध द्वारा और अपने सामुदायिक जीवन के उदाहरण और प्रभाव द्वारा ज्ञान, प्रज्ञान और बोध का प्रसारण करना और उन सिद्धान्तों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना होगा जिनके लिये भीमराव अम्बेदकर ने अपने जीवन पर्यन्त कार्य किया, अर्थात् राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय, जीवन की लोकतंत्रात्मक पद्धति, विश्व के संविधानों का इतिहास, उच्च प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

6—विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्ति और कर्तव्य होंगे अर्थात्—

(क) ऐसे विषयों की ऐसी विधाओं में जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था करना ;

(ख) शिक्षा की नयी प्रणाली का प्रयोग करना जिससे कि ऐसी शिक्षा का सन्तोषजनक मानक प्राप्त किया जा सके ;

(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना ;

(घ) स्नातकोत्तर शिक्षा की परीक्षा का आयोजन करना और ऐसी रीति से ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और पदवी प्रदान करना जसी परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित की जाय ;

(ङ) ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जैसी परिनियमों में निर्धारित की जाय सम्मानित (आनरेरी) उपाधि या अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना ;

(च) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य या सहयोग करना ;

(छ) ऐसी छात्रवृत्तियां, अधि छात्रवृत्तियां और पारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना जैसा परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय ;

(ज) छात्र निवासों और छात्रावासों को संस्थित और पोषित करना ;

(झ) छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना ;

(ज) यथास्थिति, दानी व्यक्तियों, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ता या अन्तरक से अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अन्तरण स्वीकार करना ;

(ट) जो सम्पत्ति विश्वविद्यालय की है या उसमें निहित है, उनकी व्यवस्था ऐसी रीति से करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की समुन्नति के लिये आवश्यक समझी जाय;

(ठ) ऐसी फीस की अपेक्षा करना और उसे स्वीकार करना जैसी अध्यादेशों में निर्धारित की जाय;

(ड) विश्वविद्यालय के प्रशासन और उसकी कार्य प्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना;

(ढ) ऐसे पद सृजित करना और उन पर ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालयों के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ;

(ण) ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे--

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति;

(ग) वित्त अधिकारी;

(घ) कुल सचिव;

(ङ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(च) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलाधिपति

8--(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे । कुलाधिपति अपने पदाधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान और सभा के सभापति होंगे और जब वे उपस्थित हों तब सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे ।

(2) सम्मानिक उपाधि या अन्य सम्मानित शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्यक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा ।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे प्रस्तुत करे ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त की जाय ।

कुलपति

9--(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और नियमों में निर्धारित रीति से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(2) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं रह जायगा ।

(3) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे ।

(4) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो और उसे विहित उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो, वहां कुलाधिपति किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक अवधि के लिये नियुक्त कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकते हैं किन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न होगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियुक्त कुलपति (1) के अधीन नियुक्ति कुलपति द्वारा पद ग्रहण कर लेने पर पद पर न रह जायगा ।

(5) जहां कुलपति का पद रिक्त हो, वहां ज्येष्ठतम आचार्य तब तक कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कुलपति कार्यभार न सम्भाल ले ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

10--(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और--

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किय जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो ।

(2) कुलपति कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त सम्मिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा ।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, वहां कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा

की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश के द्वारा या अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कायवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय की सूचना दी जाय, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त काय परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है ।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) जहां कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति की गयी हो वहां ऐसी नियुक्ति विहित रीति से नियुक्ति की जाने पर या कुलपति के आदेश के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान पर जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी ।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जायं ।

वित्त अधिकारी

11--(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) उसे कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे--

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो ।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदा करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं ।

कुल सचिव

12.—(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) कुल सचिव नियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और उसकी सेवा की शर्तें नियमों द्वारा नियंत्रित होंगी ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधि-प्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् प्रवेश समिति और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए कुल सचिव परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) कुल सचिव को नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ।

अन्य अधिकारी

13.—कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय अधिकारियों की शक्ति वही होगी जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाय ।

अध्याय--चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

14--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :

(क) कार्य परिषद् ;

(ख) सभा ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) संकायों के बोर्ड ;

(च) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें ।

कार्य परिषद् का गठन

15--(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगे --

(क) कुलपति-पदेन जो उसका अध्यक्ष भी होगा ;

(ख) दो संकायों के संकायाध्यक्ष निहित रीति में चक्रानुक्रम में--पदेन

(ग) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किये गये चार व्यक्तियों जो विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामावलीगत न हों या उसकी सेवा में न हों ;

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायगा ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायगा जब तक कि वह स्नातकोत्तर उपाधिकारी न हो ।

(5) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में या उसके निमित्त, किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक या विश्वविद्यालय को माल प्रदान करने के लिये या उसके निमित्त किसी सत्कर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में

किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये या किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन या प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये या विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा और भतीजी से है ।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

16—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उसको निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियन्त्रण रखना ;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना ;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(छः) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना और उनके पदों की अस्थायी, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना ;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) छात्र निवास, छात्रावास और छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना ;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग प्रशासनिक वर्ग और अन्य कर्मचारि वर्ग के पदस्थों में परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना ;

(बारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना ;

(सोलह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ;

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद् बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में भासानुभास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और नहीं, उसकी प्रतिभूति पर सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से, कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई भी पद सृजित नहीं किया जायगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी के वेतन और अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें ।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी ।

(6) विद्या परिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों की सलाह पर विचार किये बिना कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों की देय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

(7) कार्य परिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी ।

(8) कार्य परिषद् परिनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी ऐसी कोई शक्ति जैसी वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है ।

सभा

17--सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

वर्ग एक--पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कार्य परिषद् के सदस्य ;

(तीन) वित्त अधिकारी ;

वर्ग दो--अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(चार) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष ;

(पांच) विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(छः) विश्वविद्यालय के छात्रावासों और छात्र निवासों के प्रोवोस्टों और वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जायगा ;

(सात) पांच अध्यापक जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जायगा ;

वर्ग तीन--छात्रों के प्रतिनिधि

(आठ) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जिसका चयन विहित रीति से किया जायगा ;

वर्ग चार--राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(नौ) विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ;

(दस) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, उनके नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्ष होगी ।

सभा की शक्तियां और कर्तव्य

18--सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्---

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय सुझाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा और उनकी लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाये ।

सभा की बैठक

19--(1) सभा की बैठक वर्ष में एक बार उस दिनांक को होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय और ऐसी बैठक सभा की वार्षिक बैठक कही जायेगी ।

(2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा की विशेष बैठक बुला सकता है और सभा की तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा की विशेष बैठक बुलायेगा ।

विद्या परिषद्

20--(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए---

(क) विश्वविद्यालय का नियन्त्रण और साधारण विनियम करेगी और उसमें दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले शोध कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी सभी विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी;

(ग) उसकी ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर आरोपित किये जायं ।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्---

(एक) कुलपति;

(दो) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष ;

(चार) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) पांच अध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जायगा ;

(छः) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(सात) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(आठ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात तीन व्यक्ति जिन्हें विहित रीति से सहयोजित किया जायगा ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी जो विहित की जाय ।

वित्त समिति

21--(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) कुलपति;

(ख) कुल सचिव ;

(ग) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का सदस्य न हो या विश्व-विद्यालय की सेवा में न हो;

(घ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा ।

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी । वह विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी ।

(3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायं या उस पर आरोपित किये जायं ।

संकाय

22--(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसे विहित किये जायं ।

(2) प्रत्येक संकाय में शिक्षण के ऐसे विभाग होंगे जैसे विहित किये जायं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जैसे उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जायं ।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) और शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायं ।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठाक्रम में चुना जायगा और तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा ।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और--

(क) संकाय के विभागों में शिक्षण और शोध कार्यों के गठन और संचालन,

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायगी ।

(7) विभागाध्यक्ष, विभाग में शिक्षण के संगठन के लिये संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसको ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायं ।

प्रवेश समिति

23--(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय ।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह उचित समझे ।

(3) विद्या परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को निर्धारित करेगी ।

परीक्षा समिति

24--(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय ।

(2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी हैं, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्--

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो, उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिये विद्या परिषद् को सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और परीक्षा परिणामों की घोषणा करना ।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे, और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति के लिये या यथा स्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है ।

25--विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायं। अन्य प्राधिकारी

अध्याय--पांच

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

26--अध्यापक और अन्य कर्मचारी कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की अर्हतायें, चयन और नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी समय-समय पर विहित की जायं।

पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि

27--विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगी जैसी राज्य सरकार उचित समझे।

अध्याय--छः

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम

28--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति, और पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों को भरना और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धि अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसके अन्तर्गत न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है), उनके द्वारा अपनी प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसके अन्तर्गत न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) और उनके उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेन्शन या भविष्य निधि का गठन या बीमा योजना की स्थापना ;

(छ) उपाधियां और डिप्लोमा संस्थित करना ;

(ज) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना ;

(झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन ;

(ट) संकायों में शिक्षण विभागों की स्थापना ;

(ठ) छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उत्सादन और पुनर्गठन ;

(ड) छात्र वृत्तियों, अधिछात्र वृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(ढ) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना ; और

(ण) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किए जाने हो, या किए जा, सकेंगे ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

29—(1) राज्य सरकार, प्रथम परिनियमावली बना सकती है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के भीतर समय-समय पर उसमें इसी प्रकार संशोधन कर सकती है और ऐसा संशोधन उस दिनांक से भूतलक्षी हो सकता है जो राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी प्रथम परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व का न हो ।

(2) कार्य परिषद् किसी समय नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकती है ।

(3) कार्य परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार दी गयी राय लिखित रूप में होगी और उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायगा ।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में संशोधन या उसका निरसन कुलधिपति को प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं या उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकते हैं ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस दिनांक से जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दे दी जाय या ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रभावी होगा ।

30—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिये उपबन्ध किये जा

सकेंगे जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायं ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश—और उनका नामावलिगत होना और इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा में प्रविष्ट दी जायेंगी और वे ऐसी उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे ;

(घ) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) छात्रों के निवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें ;

(च) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना ;

(छ) अभिभावक-शिक्षक एसोसियेशन की रचना ,

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके ,

(झ) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवास और छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाए ,

(ञ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुरीक्षकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति और कर्त्तव्य ,

(ट) परीक्षाओं का संचालन ,

(ठ) विश्वविद्यालय के कार्यों में निर्धारित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक और भत्ता जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं ।

31—(1) विश्वविद्यालय के लिए प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे :

परन्तु ऐसे किन्ही अध्यादेशों के उपबन्धों को अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा, अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन और उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेंगे जैसे कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेंगे कि अध्यादेश ऐसे दिनांक से जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

आध्यादेश किस प्रकार बनाया जाय

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों और रीति और उनके कर्त्तव्यों और किसी पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हों और जब तक कि ऐसे आध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों या विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(3) कार्य परिषद् की उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः या भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे ।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावी होंगे,] जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् को उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न किसी अध्यादेशों को अननुज्ञात करने की संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे ।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्डक (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशो से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिए निलम्बित रहेगा जब तक उन्हें अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो । इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नही रहेगा ।

विनियम

32—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा :

(क) अपनी बैठकों के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या का निर्धारण ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के उपबन्ध जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हो ;

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय के उपबन्ध जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों को बैठकों के दिनांक की ओर उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के उपबन्ध होंगे ।

(3) सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को कार्य परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा या उसमें संशोधन करेगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय किसी ऐसे निदेश से असंतुष्ट हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जो कार्य-परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेंगे, जो वह ठीक समझें ।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा विनियम का प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही विनियम बना सकेगी ।

(5) विद्या परिषद् को उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन या उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिए वापस कर सकेगी ।

अध्याय-सात

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

वार्षिक रिपो

33--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसकी वार्षिक बैठक के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस पर विचार करेगी ।

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे ।

लेखा और लेखा

34--(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से परीक्षा

विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी समस्त धनराशि, जिनका वितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखा में प्रविष्ट किया जायगा ।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी जो उनकी लेखा परीक्षा करायेगी ।

(3) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्य परिषद् द्वारा सभा और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक के पूर्व जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी ।

(5) व्यय की प्रत्येक नयी मद, जो यथाविहित धनराशि से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य-परिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी ।

(6) कार्य-परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी ,

(7) वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी और सभा उनके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसकी सूचना कार्य परिषद् को देगी ।

(8) कुलपति या कार्य परिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या जो बजट में स्वीकृत होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो ।

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध

विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का निरीक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति

35--(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय का जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां यह उसकी सूचना कुलपति के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच

के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती हैं, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने योग्य कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा ।

(5) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संप्रेक्षानुसार कार्यवाही नहीं करते, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की ओर ऐसे निदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की भी एक प्रति भेजेगी ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

36.—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्त की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्त की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान की पूर्ति वह करता है, सदस्य बना रहता ।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथा-विधि नियुक्त न हो जाये ।

कुलाधिपति को निर्देश

37---यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथा-विधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा बनाये गये या अनुमोदित परिनियमों, या अध्यादेशों या विनियमों से भिन्न किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश--

(क) उस दिनांक से, जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक समय के पश्चात् नहीं किया जायगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में--

(क) स्वतः कार्यवाही कर सकते हैं या पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई निर्देश ग्रहण कर सकते हैं ;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकते हैं जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझें ।

वाद का वर्जन

38--इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या या परिनियमों अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

39--(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन-पत्र, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा यथा विधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रतिलिपि, जो कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, ऐसी रसीद, आवेदन-पत्र, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी यदि मूलप्रति प्रस्तुत होने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई

ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी जबकि विशेष कारण से न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश न दिया जाये।

नियम बनाने की शक्ति

40—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति और अन्तरिम प्राधिकारी का गठन

41—(1) राज्य सरकार ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारी का गठन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक या उसके पूर्व के ऐसे दिनांक तक जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय पद धारण करेंगे ;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिकारियों या ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

42—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, समय-समय पर गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध कर सकती है जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन या उपान्तर, यदि कोई हो, भी है जो उसके सार पर प्रभाव न डाले, जैसा उसे कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 1989

43—(1) उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त था ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 43 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(डाक्टर भीमराव अम्बेदकर जिन्दाबाद के नारे लगाए गये।)

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989

(सम्बन्धित अध्यादेश के अनुमोदन संकल्प के प्रस्तावकों सर्वश्री हरिश्चन्द्र हरीश जी व श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी आदि के नाम पुकारे जाने किन्तु उनके द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर विचार किया जाए।

(संशोधन प्रस्तुतकर्ता समस्त सदस्यों के नाम पुकारे गये किन्तु उनमें से किसी के भी न खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश ग्राम्य जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1976 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) धारा 2 उन्तीस अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 तीन जुलाई, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 4 सोलह सितम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 म, उपधारा (1) में,

(क) शब्द और अंक "30 अप्रैल, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "28 फरवरी, 1990" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "प्रत्येक जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, एटा और मैनपुरी" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय–तीन

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 12 का संशो न

3–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 में उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(7–क) (क) जहां 3 जुलाई, 1989 को विद्यमान किसी गांव पंचायत में महिला सदस्यों की संख्या, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो, वहां गांव सभा के सदस्यगण अनुपूरक निर्वाचन में, जो ऐसे दिनांक के पश्चात् यथाशक्य होगा, अपनी महिला सदस्यों में से उतनी महिला सदस्यों को निर्वाचित करेंगे जितनी गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो और तदुपरान्त गांव पंचायत के संघटन में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अनुपूरक निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए उतने स्थान आरक्षित रखे जायेंगे जितने अनुपूरक निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासम्भव वही अनुपात होगा जो गांव सभा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से यथासम्भव वही अनुपात होगा जो गांव के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या से हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी गांव पंचायत में अनुसूचित जाति की कोई महिला सदस्य, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, नहीं है, वहां पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के

अधीन आरक्षण ऐसे किया जायगा जिससे कि क्रम से कम एक स्थान अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित हो।

(ङ) गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत के बराबर महिला सदस्याओं की गणना करने के प्रयोजनार्थ, आधे या उनसे कम को किसी भिन्न को छोड़ दिया जायगा और आधे से अधिक की भिन्न को एक गिना गया।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन तैयार की गयी सभी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी वह अनुपूरक निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक को प्रवृत्त हो, जहां तक उसका सम्बन्ध किसी गांव सभा के क्षेत्र से है, उस गांव सभा के लिए निर्वाचक नामावली समझी जायगी और धारा 9-क, 12-क, 12-ख, 12-ख ग, 12 खघ, 12-ग और 12-ङ के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक निर्वाचन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार गांव पंचायत के सदस्यों के साधारण निर्वाचन पर लागू होते हैं।

(घ) यदि इस उपधारा के अधीन के कोई अनुपूरक निर्वाचन करने में इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किसी उपबन्ध के निर्वाचन में या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में न की गयी हो, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जिसे वह उचित समझे, दे सकती है।"

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1876 की धारा 22, 23 और 24 का प्रतिस्थापन

23--उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 22, 23 और 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

चक समाओं का विघटन और परिणाम

"22--(1) दिनांक 16 सितम्बर, 1989 से उक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान क्रमशः धारा 22 और 23 के अधीन गठित सभी चक सभायें और चक समितियां विघटित हो जायगी और तदुपरान्त--

(क) कुलावा के सिक्त क्षेत्र के भूमि विकास के लिये ऐसे निमित्त समस्त निर्माण-कार्य और अन्य स्थावर सम्पत्तियां, जो चक सभा की हों, उस गांव सभा को न्यागत और उसमें निहित हो जायेंगी जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर ऐसा निर्माण-कार्य और अन्य स्थावर सम्पत्तियां स्थित हों,

(ख) किसी चक सभा की समस्त जंगम सम्पत्ति और आस्तियां और समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें, चाहे वे संविदात्मक या अन्य प्रकार की हों, ऐसी गांव सभा को

न्यागत होंगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यागमन के सम्बन्ध में कोई सन्देह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 23 और 24 में, गांव सभा का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित गांव सभा से है ।

जल प्रबन्ध समिति

23—किसी गांव सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले कुलावा के सिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के लिये निर्मित ऐसे निर्माण-कार्यों और अन्य सम्पत्तियों के, जो धारा 22 के अधीन किसी गांव सभा को न्यागत हों, प्रबन्ध और कुलावा प्रणाली के अनुरक्षण ओसराबन्दी किये जाने और भूमि विकास के वास्तविक निर्माण-कार्य के कार्यान्वयन और फसलों के आवर्तन के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत रीति से एक जल प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा ।

जल प्रबन्ध समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य

"24—(1) धारा 23 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जल प्रबन्ध समिति ऐसे होंगे जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत किये जाएं ।

(2) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और धारा 23 में निर्दिष्ट शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को उक्त अधिनियम के अधीन गांव पंचायत की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य समझा जायगा ।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5—(1) निम्नलिखित अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1989,

(एक) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1989,

(दो) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1989

(तीन) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1989 (चार) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1989 (पांच) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (सशोधन) अध्यादेश, 1989 :

(2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 198 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य, श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ..... पदेन"

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(3) धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्याय परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा ।

(4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी हैं, उपस्थित न हों ।"

धारा 23 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मंदिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 के द्वारा या अधीन हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवत्त विधियों का विस्तार करने के लिए

विधयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में,--

(क) "हरियाणा विधि" का तात्पर्य किसी हरियाणा अधि-- नियम, अध्यादेश, विनियम या परिनियत लिखतों के उस भाग से है जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त पंजाब का कोई अधिनियम, अध्यादेश विनियम या परिनियत लिखत भी है,

(ख) "राज्य विधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत के उस भाग से है जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है ।

(ग) "अन्तरित राज्य क्षेत्र" का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्द्धित राज्य क्षेत्र से है ।

राज्य विधियों का एकरूप करना

3--(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों मे अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन सभी की गयी नियुक्तियों, दिये गये आदेशों या किये गये परिनियत लिखतों का विस्तार यथावश्यक परिवर्तन सहित जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं है अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर होगा, और ऐसे उपान्तरित रूप में वह सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित किये जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) अन्य सभी राज्य विधियां जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्य क्षेत्रों मे नहीं है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्य क्षेत्रों में, यथास्थिति, विस्तारित या प्रवृत्त होंगी और सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त या संशो-- धित होने तक प्रवृत्त बनी रहेंगी ।

(3) सभी हरियाणा विधियां जिनकी प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सम्पूर्ण अन्तरित राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में है, ऐसे दिनांक से, उन राज्य क्षेत्रों मे अपने प्रवर्तन के सम्बन्ध में निरसित हो जायेंगी और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो उन विधियों का निरसन और पुनः अधिनियमन अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उपधारा (1) और (2) के आधार पर तदनुरूप विधियों द्वारा किया गया हो ।

(4) संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि--

(क) किसी राज्य विधि द्वारा यथासंशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत

जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त हैं, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार का संशोधित रूप में प्रवृत्त होगा ;

(2) किसी हरियाणा विधि द्वारा यथा संशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत जो ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त हैं, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उसी प्रकार प्रवृत्त होगा मानो किसी हरियाणा विधि द्वारा उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

वाद अपील आदि का निस्तारण

4--(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी हरियाणा विधि के अधीन लम्बित सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किये गये वाद, अपील, आवेदन पत्र या अन्य कार्यवाही समझी जायेंगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी।

(2) किसी हरियाणा विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवेदन पत्र या अन्य कार्यवाहियां जिन पर उपधारा (1) के उपबन्ध नहीं लागू होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से शमित हो जायेंगी।

विधि के लागू किये जाने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5--इस प्रयोजन के लिये कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित किसी राज्य विधि को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किये बिना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसको अनुकूलित करने के लिये आवश्यक या उचित हों ।

6--(1) यदि धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश का किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्य क्षेत्रों के परिवर्धन के दिनांक से पूर्व का न हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नहीं था या दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

अनुसूची

[धारा 3(1) देखिये]

क्रम-संख्या	उत्तर प्रदेश अधिनियम का संक्षिप्त नाम और धारा	उपान्तर की सीमा
1	2	3
	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950	
	धारा 3	धारा 3 में——
		(1) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्——
		"(8) 'आस्थान' का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य क्षेत्र के निर्देश में——
		तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है——
		(क) जिसके लिए पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन पृथक् अधिकार अभिलेख तैयार किया गया हो, या
		(ख) जिस पर पृथक् रूप से मालगुजारी का निर्धारण किया गया हो या मालगुजारी का निर्धारण इस प्रकार किया जाता यदि पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन मालगुजारी को निमुंक्त, प्रशमित या मोचित न किया जाता ; या
		(ग) जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के उपबन्धों के अधीन आस्थान घोषित किया गया हो ।"
		(2) खण्ड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्——
		"(12) 'मध्यवर्ती' का किसी आस्थान के प्रति निर्देश में तात्पर्य पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 4 के खण्ड (6) और (7) में यथा परिभाषित "लैण्डलार्ड" से है और इसके अन्तर्गत

1	2	3
		ऐसा काश्तकार भी हैं जो उस भूमि के सम्बन्ध में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों में यथावर्णित दखीलकारी अधिकार रखता हो, जिसे उसने शिकमी पर उठाई हो ;"

(3) खण्ड (26) के स्थान पर निम्न-लिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(26) 'पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र' का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तरित क्षेत्रों से है ;

(26-क) 'मौरूसी दर' का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य क्षेत्र में किसी भूमि के निर्देश में तात्पर्य पहिले के हरियाणा राज्य क्षेत्र से आसन्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित उसी प्रकार की भूमि की लगान की दरों से है ;

(26-ख) 'मालगुजारी' का अध्याय तीन और पांच के प्रयोजनों के लिए तात्पर्य पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के अधीन निर्धारित मालगुजारी से है ;

(26-ग) 'लगान' का तात्पर्य ऐसी किसी धनराशि से है जो किसी काश्तकार द्वारा भू-स्वामी को या शिकमी काश्तकार द्वारा अधिकार अभिलेख वाले किसी काश्तकार को भूमि के उपयोग या अध्यासन के लिए धन या जिन्स या सेवा में देय हो ;

(26-घ) 'काश्तकार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि रखता है किन्तु किसी विशेष संविदा के कारण उस अन्य व्यक्ति को उस भूमि के लिए लगान का देनदार है या होगा ;

(26-ङ) 'दखीलकारी अधिकार वाला काश्तकार' का तात्पर्य ऐसे काश्तकार से है जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के अध्याय-दो के उपबन्धों के अधीन दखील-कारी अधिकार हो ;

1	2	3
		(26-च) 'शामिलात देह' का तात्पर्य हरियाणा में यथा प्रयोज्य पंजाब विलेज कमान लैण्डस (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 2 के खण्ड (जी) में विनिर्दिष्ट भूमि से है ;
		(26-छ) 'महाल' का तात्पर्य किसी ऐसे भू-स्वामी की जोत से है जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित किया गया हो ।"
		(4) खण्ड (29) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--
		'(29) भाग एक में 'अधिकार अभिलेख' के किसी भी अभिदेश के अन्तर्गत पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किया गया जमाबन्दी भी है,"
धारा 4		धारा 4 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--
		"(3) इस धारा के उपबन्ध 'शामिलात देह' पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आस्थानों पर लागू होते हैं ।" ।
धारा 8		धारा 8 में, शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" के स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे ।
धारा 14		धारा 14 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--
		"(2) जहां ऐसी कोई भूमि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बन्धकी की निजी जोत में रही हो, वहां धारा 18 के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास उपर्युक्त दिनांक के दखलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के रूप में थी ।"

1	2	3
धारा 18		धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--- "18 मध्यवर्ती या संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में खेतिहरों के साथ कतिपय भूमि का बन्दोबस्त किया जाना-- ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी व्यक्ति की निजी जोत में हो और--- (क) उसके द्वारा धृत हो या धृत समझी जाय और वह खुदकाश्त मालिक के रूप में मध्यवर्ती हो; (ख) उसके द्वारा ऐसे काश्तकार के रूप में धृत हो जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन दखीलकारी अधिकार हों ; (ग) उसके द्वारा शाश्वत धारण करने वाले काश्तकार के रूप में या पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 35 में निर्दिष्ट नियत अवधि के लिए धृत हो; (घ) उसके द्वारा काश्तकार के रूप में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 41 में निर्दिष्ट वर्षानुवर्ष धृत हो; (ङ) उसके द्वारा गैर-मौरूसी काश्तकार के रूप में धृत हो; (च) उसके द्वारा पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1989 की धारा 58 के अधीन दखीलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के शिकमी काश्तकार के रूप में धृत हो; (छ) उसके द्वारा पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 5 के तृतीय परन्तुक के अधीन शामिलात देह के प्रदेशन गृहता के रूप में धृत हो; (ज) उसके द्वारा पंजाब लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के उपबन्धों के अधीन पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र में रखे गये मू-अमि-लेखों में बोलीदार या मंडेदार के रूप में किसी नाम से अभिलिखित किसी अन्य वर्ग के काश्तकार के रूप में धृत हो;

1	2	3
		(झ) पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में अध्यासी के रूप में किसी अन्य नाम में अभिलिखित हो और जहां कोई बेहतर काश्तकारी अधिकार न हो, वहां-- राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त की गयी समझी जायगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उसका कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार होगा ।"
धारा 19, 20 और 21		धारा 19, 20 और 21 निकाल दी जायेंगी ।
धारा 22, 23 और 24		धारा 22, 23 और 24 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "1 जुलाई, 1948 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे ।
धारा 32 और 33		धारा 32 और 33 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू एक्ट 1901" या "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "दि पंजाब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1987" रख दिये जायगे ।
धारा 37		धारा 37 में स्पष्टीकरण को निकाल दिया जायगा ।
धारा 39		धारा 39 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जायगा, अर्थात्-- "(2) यदि लगान जिन्स में या अंशतः नकद में अंशतः जिन्स में देय हो, तो लगान की गणना नियत रीति से की जा सकती हैं ।"
धारा 44		धारा 44 में,-- (1) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

1	2	3
		"(ख) ऐसी धनराशि जो मध्यवर्ती द्वारा पिछली कृषि वर्ष के लिये हरियाणा लैन्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट, 1973 के अधीन उद्ग्रहीत और देय जोतकर, यदि कोई हो, के निमित्त हो;
		(2) खंड (घ) के स्थान पर निम्न-लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--
		(घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निजी जोत में हो, वहां भूमि केवल ऐसे भाग के लिए जो उसकी निजी जोत में हो या खुदकाश्त के रूप में उसके पास हो, मौरूसी दरों पर संगणित धनराशि जिसमें से आगे उल्लिखित (1) से (3) कटौतियां निकाल दी जायेंगी :--
		(1) ऐसा जोत कर, यदि कोई हो जो पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा लैन्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट, 1973 के उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत और देय हो;
		(2) मालगुजारी, अबवाब और स्थानिक कर जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हो जिनका अभिनिश्चय नियत रीति से किया जायगा; और
		(3) खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों के निमित्त उपर्युक्त धनराशि का पन्द्रह प्रतिशत ।"
धारा 77		धारा 77 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी है) जहां-जहां भी शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर 1983" रख दिये जायेंगे ।
धारा 103		धारा 103 निकाल दी जायेगी ।
धारा 117		धारा 117 में, उपधारा (1) में, खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :--
		"(5) ऐसी भूमि पर जिन पर धारा 18 के उपबन्ध लागू होते हों या धारा 9 में अभिदिष्ट स्थलों और क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेला,"

1	2	3
	धारा 117-क	धारा 117-क में, उपधारा (1) में, खंड (क) और (ख) में, जहां-जहां भी शब्द "7 जुलाई, 1949" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे ।
	धारा 130	धारा 130 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्-- "(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 18 के उपबन्धों के अधीन भूमिधर हो गया हो"
2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960	धारा 4-क	धारा 4-क में, जहां-जहां शब्द और अंक "वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ऐसे वर्ष जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त अधि-सूचित करे" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 तक, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किए जाए ।

(संशोधन के प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा संशोधन न प्रस्तुत किए जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते है ।

नियम संख्या 26 नई धारा 3 का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 में धारा 2 के उत्तर प्रदेश अधिपश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"3--ऊर्दू भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के सन् 1951 में ऊर्दू का प्रयोग रूप में ऊर्दू का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जायं ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

(घोर व्यवधान के मध्य प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम-51 के अन्तर्गत मुझे सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें मैं श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री राज किशोर सिंह जी की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं एवं शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
29 सितम्बर, 1989

भोला चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

अनुबंध 'क'

(देखिए नियम 29 (4) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

संलग्नक

क्रम सं0	जनपद	सूखे से खरीफ फसलों को हुई क्षति का प्रतिशत	इन जनपदों में माह अगस्त 1989 की निर्धारित वर्षा का औसत (मि0 मी0 में)	माह अगस्त में हुई वास्तविक वर्षा (मि0 मी0 में)
1	2	3	4	5
1	बिजनौर	75 से 78%	310.0	260.8
2	एटा	15 से 65%	212.1	177.1
3	शाहजहांपुर	10 से 30%	284.1	219.8
4	मेरठ	15 से 59%	190.4	195.3
5	फतेहपुर	5 से 50%	289.6	134.9
6	उन्नाव	20 से 47%	247.3	162.6
7	अलीगढ़	40 से 60%	193.5	256.5
8	मथुरा	55 से 86%	185.0	159.9
9	मुजफ्फरनगर	15%	201.5	195.8
10	आगरा	20 से 50%	209.1	195.8
11	हरदोई	33 से 59%	245.9	123.3
12	रायबरेली	50 से 60%	277.2	61.3
13	कानपुर/नगर	35 से 55%	254.6	23.1
14	कानपुर/देहात	20 से 75%	254.6	167.3
15	इलाहाबाद	42 से 66%	300.2	108.3
16	झांसी	35 से 74%	278.6	329.5
17	बांदा	25 से 75%	389.0	158.0

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

कार्यालय परगनाधिकारी महराजगंज, गोरखपुर

दिनांक 22 जुलाई, 1988

पत्र संख्या–310/प0 अ0 म0

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

माननीय विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1986 जो माननीय राजस्व मंत्री उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित ह और जांच हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी 26/सा0भ-87 दिनांक 27 जनवरी, 1987 द्वारा प्राप्त हुआ है, की जांच की गई । शिकायती प्रार्थना-पत्र में माननीय विधायक का आरोप है कि शंकर शुगर मिल कप्तानगंज देवरिया ने सीलिंग अधिनियम से भूमि बचाने के लिए एक फर्जी सुगर केन रिसर्च सेन्टर ग्राम बढ़हरा उर्फ महावनखोर तहसील महराजगंज में स्थापित कर रखा है । वास्तविकता यह है कि उक्त संस्था फर्जी ह और इसमें कोई रिसर्च कार्य नहीं होता बल्कि इस भूमि पर शंकर इंस्टीट्यूट एप्लाइड एग्रीकल्चर रिसर्च के मालिक खुद व्यवसायिक खेती करते हैं ।

इस सम्बन्ध में महावनखोर स्थित शंकर इन्स्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च कप्तानगंज के सेक्रेटरी से जानकारी चाही गई । सेक्रेटरी शंकर इन्स्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चर रिसर्च कप्तानगंज ने लिखित कथन किया है कि बढ़हरा फार्म उक्त संस्थान के नियंत्रण में है जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में रिसर्च करता है । लिखित बयान की फोटो प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है । इसके विरोध में शिकायतकर्ता माननीय विधायक जनार्दन प्रसाद ओझा ने पुनः यह कथन किया कि सिक्रेटरी शंकर इन्स्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च कप्तानगंज द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह असत्य, निराधार और काल्पनिक है, बढ़हरा फार्म में शोध का कोई कार्य नहीं होता है केवल व्यावसायिक कृषि की जाती है । इस हेतु उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी करनी चाही ।

(1) गत तीन वर्षों में उक्त फार्मों से कितना कुन्तल गन्ना मिल को पेराई के लिए सप्लाई किया गया है तथा कितना कुन्तल गन्ना उन्नतशील बीज के लिए दूसरे गन्ना क्रेतों को दिया गया है ।

(2) अन्वेष एवं शोध के रूप में किस वेरायटी का बीज को विकास किया गया है तथा इस विकसित बीज की सप्लाई विगत तीन वर्षों में कहां–कहां की गयी है ।

(3) शोध में लगे हुये अन्वेषणकों के नाम योग्यता या पद ।

(4) शोध संस्था का वाइलाज को कांपी एवं संस्था के नाम व पता तथा इन पदाधिकारियों का चीनी मिल से सम्बन्ध ।

(5) शोध संस्थान के कार्यालय का पता ।

(6) क्या इस शोध संस्थान के लिये उत्तर प्रदेश शासन से या गन्ना विकास उत्तर प्रदेश से कोई सहायता या निर्देश प्राप्त होते रहे हैं यदि हां तो इनकी प्रतिलिपि ।

(7) गन्ना बीज को के विकास के लिए कौन-कौन से संयंत्र औषधियां या अन्य आवश्यक वस्तुयें विगत 3 वर्षों में कितने मूल्य की और कहां-कहां खरीदी गयी हैं ।

(8) सीलिंग के लिये घोषित भूमि कितनी है और विगत तीन वर्षों में कितने एकड़ में कौन-कौन सी फसलें बोयी गयी हैं ।

(9) शोध संस्थान के वाइलाज का नवीनीकरण कब-कब हुआ ।

(10) कौन उन्नत किस्म का बीज तैयार किया गया है और उसके वितरण को प्रदेश गन्ना विकास विभाग को कोई पत्र लिखा गया यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि ।

उक्त के सम्बन्ध में पुनः नोटिस दी गयी और मौके पर फार्म का निरीक्षण किया गया दिनांक 11 मई, 1988 को माननीय विधायक जनार्दन प्रसाद ओझा के साथ में बड़हरा फार्म पर गया था और मौके का निरीक्षण किया तथा शंकर इंस्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च कप्तानगंज के प्रतिनिधि श्री नित्यानन्द पाण्डेय, विधि सहायक तथा श्री देवी प्रसाद तिवारी, गन्ना विकास अधिकारी, शंकर सुगर मिल कप्तानगंज को जांच के समय मौके पर उपस्थित थे, के बयान लिये गये । बयान की फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही हैं । अपने बयान में उक्त दोनों अधिकारी माननीय विधायक जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके और बावजूद नोटिस के कोई अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहे, जिससे शंकर सुगर मिल द्वारा दिये गये उत्तर का सत्यापन अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है । उक्त दोनों अधिकारियों के बयान से स्पष्ट है कि शंकर इन्स्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च कप्तानगंज के पदाधिकारी तथा शंकर सुगर मिल कप्तानगंज के पदाधिकारी एक ही हैं । रिसर्च लब में कोई भी वैज्ञानिक आदि भी कार्यरत नहीं है, न ही इस फार्म पर पैदा की गयी किस्मे जैसा कि उक्त अधिकारियों द्वारा दावा किया गया, स्थानीय काश्तकारों में वितरित की गयीं । इन सब तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर सुगर मिल द्वारा सीलिंग अधिनियम से बचाने के लिए शंकर इंस्टीच्यूट आफ एप्लाइड एग्रीकल्चर रिसर्च, कप्तानगंज के नाम से एक फर्जी संस्था स्थापित कर शासन को धोखा देने की कोशिश की जा रही है । मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बड़हरा फार्म पर गन्ने की खेती के साथ-साथ धान की भी काश्त की जाती है । विगत वर्ष की परताल में इस फार्म पर धान के काश्त होना पाया गया और माननीय विधायक के साथ जांच के समय मौके पर भी इस फार्म पर धान के ठूठ पाये गये । "उल्लेखनीय है कि राजस्व अभिलेखों में ग्राम बड़हरा उर्फ महावनखोर के खाता खतौनी संख्या-239 तथा 108 में कुल 77-17 एकड़ भूमि शंकर सुगर मिल कप्तानगंज के नाम अंकित है उक्त मिल के विरुद्ध लम्बित सीलिंग पत्रावली में 10(2) सरकार बनाम शंकर शुगर मिल कप्तानगंज को खातेदार के प्रपत्र में शामिल कर अतिरिक्त घोषित करने हेतु प्रस्तावित है और उक्त पत्रावली वर्तमान समय में आयुक्त (प्रशासन) के न्यायालय में लम्बित है ।"

अनुसूची 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

कानपुर नगर से बाहर स्थित सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

	रु०	अंकों पर
1—राज्य वस्त्र निगम की इकाइयां	1063.13	802
2—उ० प्र० राज्य कताई मिल कम्पनी (नं० 1) की इकाइयों में—	1063.13	802
3—उ० प्र० राज्य कताई मिल कम्पनी (नं० 2) की इकाइयों में--		
(अ) बांदा तथा मेजा इकाइयों में	998.13	802
(ब) जौनपुर तथा रसड़ा इकाइयों में	993.13	802
4—उ० प्र० सहकारी कताई मिल फेडरेशन की इकाइयों में—		
(अ) अमरोहा, महमूदाबाद, बहेड़ी, फतेहपुर, मऊ आइमा, बहादुरगंज तथा कम्पिल (नई इकाइयां)।	883.96	802
(ब) मगहर तथा नगीना	1063.13	802
(स) बुलन्दशहर	1072.49	802
(द) इटावा	1034.24	802
5—राष्ट्रीय वस्त्र निगम, उ० प्र० की इकाइयों में—		
(अ) विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	1030.79	802
(ब) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	980.49	802
(स) बिजली काटन मिल्स, हाथरस	1017.02	802
(द) लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	1064.96	802
(ई) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथभंजन	1015.49	802
(ध) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	1004.09	802
6—निजी क्षेत्र की इकाइयां—		
(क) मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मोदी नगर।	1019.02	802

(ख)	हिन्डन रिवर मिल्स, डासना, गाजियाबाद	1146.09	802
(ग)	अमौसी टेक्सटाइल्स, अमौसी, लखनऊ	874.25	802
(घ)	रजा टेक्सटाइल, रामपुर	900.40	797
(ङ)	बेलवाल स्पिनिंग मिल्स, रामनगर, नैनीताल ।	646.00	802
(च)	मुरादाबाद सिन्टेक्स, मुरादाबाद	951.64	802
(छ)	अमिताभ टक्सटाइल मिल्स, बेहरावून	546.00	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अ0 ता0 प्र0 सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

ब्लॉक	नाम ग्राम	वितरित गृह अनुदान
1	2	3
पनियरा	1--जंगल जरलहा उर्फ सूचितपुर	2,200.00
,,	2-- ,, ,, ,, अनन्तपुर	3,000.00
,,	3-- ,, ,, ,, आराजी	200.00
,,	4-- ,, ,, ,, तेन्दुअहियां	6,400.00
,,	5--खड़बड़हवां	2,000.00
,,	6--बरवास	1,400.00
,,	7--रामपुर	3,800.00
,,	8--हरकपुर	38,600.00
,,	9--नरकटहा	25,200.00
,,	10--जंगल जरलहा उर्फ जर्दी	12,400.00
,,	11--लक्ष्मीपुर	13,200.00
,,	12--रानीपुर	18,800.00
,,	13--रामनगर	22,000.00
,,	14--जंगल जरलहां उर्फ बड़हरा	4,200.00
,,	15--औरहियां	46,000.00
,,	16--डोमरा	11,000.00
,,	17--अहिरौली	10,200.00
,,	18--उसका	3,000.00
,,	19--विशुनपुर	2,000.00
,,	20--महदेइया	2,400.00
,,	21--पिपरियां	2,200.00
	योग ..	2,30,200.00

1	2	3
परतावल	1--महमदा	1,000.00
महराजगंज	1--बांसपार बैजौली	6,400.00
,,	2--सवना	1,400.00
,,	3--सिंहपुर	2,200.00
,,	4--बरवाफहीम	200.00
,,	5--सिसवां	1,800.00
,,	6--मटिहनियां चौधरी	6,000.00
,,	7--मुड़िला चिमौवारी	2,600.00
,,	8--बेईलियां	1,300.00
,,	9--दुबौली	1,400.00
,,	10--महदेवा	2,000.00
,,	11--पकड़ी	200.00
,,	12--चिउरहां मऊपाकड़	200.00
,,	13--बभनौली	2,800.00
	योग ..	29,000.00
घुघली	1--बरवाखुर्द	5,200.00
,,	2--लक्ष्मीपुर	6,200.00
मिठौरा	1--बेलभरियां	1,400.00
,,	2--केवलापुर कलां	200.00
,,	3--बरवाराजा	2,000.00
,,	4--रेहावं	1,200.00
,,	5--बसन्तपुर राजा	1,000.00
,,	6-- नदुआ	2,800.00
,,	7--परसा राजा	1,600.00
,,	8--अरनहवां	600.00
,,	9--बरगदही बसन्तनाथ	1,200.00
,,	10--दरहटा	2,000.00
	योग ..	14,000.00
सिसवां	1--मझौवा	6,000.00
,,	2--रानीपुर	5,000.00
,,	3--लक्ष्मीपुर एकडंगा	5,000.00
	योग ..	16,000.00

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

परिशिष्ट–1

गत वित्तीय वर्ष 1985–86 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं स्वयं के इलाज हेतु अनुदान ग्रहीताओं की सूची :

क्रम–सं0	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/पोस्ट	जाति	प्रयोजन	धनराशि
						रु0
1	श्रीमती मायादेवी	श्री नत्थूलाल	ग्राम मड़ैया पो0 कुटरा, फतेहगढ़	जाटव	शादी	1,000
2	श्री दलवीर सिंह	श्री मुन्नालाल	सिविल लाइन, पो0 फतेहगढ़	जाटव	शादी	1,000
3	श्रीमती सुरजादेवी	श्री इतवारी लाल	ग्राम ग्वालटोली, पो0 फतेहगढ़	धोबी	शादी	1,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट -- 2

गत वर्ष 1986-87 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान गृहीताओं की सूची :—

क्रम-सं0	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/पोस्ट	जाति	प्रयोजन	धनराशि
						रु0
1	श्री इतवारी लाल	श्री सकटे लाल	ग्राम म0 नं0 1/350, ग्वाल टोली, फतेहगढ़	धोबी	शादी	1000·00
2	श्री सोने लाल	श्री हुकुम सिंह	कर्नलगंज, पो0 फतेहगढ़	जाटव	,,	1000·00
3	श्री सीता राम	श्री भजन लाल	ग्राम नवदिया, पो0 फतेहगढ़	बानुक	,,	1000·00
4	श्री सिया राम	श्री राम दयाल	ग्राम नवदिया पो0 फतेहगढ़	,,	,,	1000·00
5	श्री सीता राम	श्री पन्ना	ग्राम नरायनपुर, पो0 फर्रुखाबाद	जाटव	,,	1000·00
6	श्रीमती प्रेमा देवी	श्री नरायन	ग्राम रम्पुरा, पो0 फर्रुखा-बाद	,,	,,	1000·00
7	श्री रामेश्वर दयाल	श्री अर्जुन लाल	रमपुरा, पो0 फर्रुखा-बाद	धोबी	,,	1000·00
8	श्री फेकूलाल	श्री सुन्दर लाल	ग्राम नगला नैन, पो0 फतेहगढ़	बानुक	,,	1000·00
9	श्री नन्हें लाल	श्री सुन्दर लाल	ग्राम नगला नैन, पो0 फतेहगढ़	,,	,,	1000·00

परिशिष्ट—3

वित्तीय वर्ष 1988-89 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं स्वयं के इलाज हेतु अनुदान ग्रहीताओं की सूची :—

क्रम-सं0	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/पोस्ट	जाति	प्रयोजन	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु0
1	श्री भगवान श्री	श्री परशु राम	ग्राम भोलेपुर, पो0 फतेहगढ़	जाटव	शादी	1000·00
2	श्रीमती रामबेटी	श्री राम विलास	ग्राम पपियापुर, पो0 सेंट्रलजेल	धानुक	,,	1000·00
3	श्री बेचे लाल	श्री संतोष	ग्राम बहादुरगंज, पो0 फर्रुखाबाद	मेहतर	,,	1000·00
4	श्री राम सहाय	श्री अगने लाल	ग्राम सहरूपुर सहजू, पो0 फतेहगढ़	जाटव	,,	1000·00
5	श्रीमती कलावती	श्री श्याम लाल	ग्राम कादरीगेट, पो0 फर्रुखाबाद	,,	,,	1000·00
6	श्रीमती ब्रजरानी	श्री बेचे लाल	ग्राम अम्बेडकर नगर, पो0 फर्रुखाबाद	,,	,,	1000·00
7	श्रीमती प्रेमवती	श्री बेचे लाल	ग्राम बहादुरगंज, पो0 फर्रुखाबाद	मेहतर	,,	1000·00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	श्रीमती चन्दवती	श्री नन्हेंलाल	ग्राम बढ़ना मऊ, पो0 फतेहगढ़	जाटव	,,	1000·00
9	श्रीमती राजरानी	श्री बाबूराम	ग्राम अमेठी, पो0 फर्रुखाबाद	,,	,,	1000·00
10	श्रीमती रम्मो देवी	श्री बसन्तलाल	ग्राम रेलवे रोड, दूल्हा धर्मशाला	,,	,,	1000·00
11	श्रीमती राजेश्वरी	श्री मेवाराम	ग्राम लाल दरवाजा, पो0 फर्रुखाबाद	,,	,,	1000·00
12	श्री गजराज	श्री बद्रीप्रसाद	ग्राम सहरूपुर सहजू, पो0 फतेहगढ़	,,	,,	1000·00
13	श्री रामशरन	श्री बद्री प्रसाद	ग्राम कागदरी ग्रेट, पो0 फर्रुखाबाद	,,	,,	1000·00
14	श्री लाला राम	श्री लालता प्रसाद	तदेव	,,	,,	1000·00
15	श्रीमती रामबेटी	श्री रामचन्द्र	ग्राम लाल दरवाजा, पो0 फर्रुखाबाद	धानुक	,,	1000·00
16	श्री लाला राम	श्री तुलाराम	ग्राम नगला राजन, पो0 भोलेपुर	जाटव	,,	1000·00
17	श्री दीना नाथ	श्री मूल चन्द्र	ग्राम नगला राजन, पो0 भोलेपुर	,,	,,	1000·00
18	श्री रोशन लाल	श्री उमराय	ग्राम बधौआ, पो0 मसैनी नेकपुर	,,	,,	1000·00
19	श्री जोगराज	श्री सुमेर	तदेव	,,	,,	1000·00
20	श्री जगन लाल	श्री बल्देव प्रसाद	ग्राम बधौआ, पो0 मसैनी-नेकपुर	,,	,,	1000·00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
						रु0
21	श्री रज्जन	श्री काली चरन	ग्राम गार्ड लाइन, पो0 फतेहगढ़	खटिक	,,	1000·00
22	श्रीमती सरजा	श्री फूलचन्द्र	ग्राम फुलमण्डी, पो0 फतेहगढ़	जाटव	,,	1000·00
23	श्री प्रेमचन्द्र	श्री खशाली	ग्राम नेकपुर कलां, पो0 गार्डलाइन, फतेहगढ़	खटिक	,,	1000·00
24	श्री रामेश्वर दयाल	श्री लल्लू प्रसाद	ग्राम नगलापीतम, पो0 मोलेपुर	जाटव	,,	1000·00
25	श्री श्यामल	श्री रतन लाल	ग्राम महेशपुरा, पो0 राजेपुर	,,	,,	1000·00
26	श्री रामदयाल	श्री कुंअर बहादुर	ग्राम फुलमण्डी, पो0 फतेहगढ़	,,	,,	1000·00
27	श्री टीका राम	श्री रूद्दर प्रसाद	ग्राम मोलेपुर, पो0 बेबर रोड	,,	,,	1000·00
78	श्री बाबू राम	श्री मांऊ लाल	ग्राम धनसुआ पो0 बड़ेताल	,,	,,	1000·00
29	श्री शिवचरन	श्री श्याम लाल	ग्राम गनेश प्रसाद स्ट्रीट, पो0 फर्रुखाबाद	धोबी		1000·00
30	श्रीमती विटोली देवी	श्री राजाराम	ग्राम धन्सुआ, पो0 फतेहगढ़	जाटव	,,	1000·00

नत्थी 'च'

(देखिये अतां० प्र० सं० 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री गोपी नाथ वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का परिशिष्ट ।

कर्मचारी का नाम/पदनाम	निलम्बन की तिथि	आरोप पत्र दिये जाने की तिथि	आरोप पत्र तामील होने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सर्वश्री--				
1--बदरे आलम अंसारी, टंकक	16-6-87	27-11-87	2-12-87	जांच पूर्ण हो गयी है ।
2--सैयद जफर हसन, ज्येष्ठ वक्फ निरीक्षक	16-6-87	27-11-87	2-12-87	दिनांक 31 जनवरी, 1989 को बहाल किया जा चुका है ।
3--नीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक	17-7-87	20-8-87	1-1-88	त्याग-पत्र स्वीकार किया जा चुका है ।
4--मशहूद अली फारूकी, वक्फ निरीक्षक	24-7-87	17-5-88	..	दिनांक 26 सितम्बर, 1988 को बहाल किया जा चुका है ।
5--मोहम्मद कसीम सिद्दीकी, टंकक	25-7-87	8-6-88 प्रथम 11-10-88 (द्वितीय)	15-6-88 25-11-88	जांच कार्यवाही के परिणाम के प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 17 जुलाई, 1989 को बहाल कर दिया गया है ।

1	2	3	4	5
6--शमीम अहमद, टंकक	29-7-87	..	..	दिनांक 12 फरवरी, 1988 को बहाल किया जा चुका है ।
7--मो0 अ लम, वक्फ निरीक्षक	1-8-87	..	..	जांच कार्यवाही के परिणाम के प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 18 जुलाई, 1989 से बहाल कर दिया गया है ।
8--मुन्नर राम, वरिष्ठ लिपिक	11-8-87	..	..	दिनांक 12 फरवरी, 1988 को बहाल कर दिया गया है ।
9--मोहम्मद अकबर, वक्फ निरीक्षक	12-10-87	21-3-88	30-3-88	जांच पूर्ण हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का परिशिष्ट

निलम्बित वक्फ कर्मचारी (मोहम्मद कसीम सिद्दीकी) द्वारा मांगे गये अभिलेखों का विवरण	उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का विवरण
1	2
1—शासनादेश संख्या 7/2/78-कार्मिक-1, दिनांक 18 जुलाई, 1979 में दिये गये प्राविधानों के विपरीत जिस आदेश के अनुपालन में दिनांक 8 जून, 1988 को आरोप पत्र जारी किया गया	उल्लिखित शासनादेश के अतिरिक्त कोई अन्य शासनादेश नहीं है।
2—उस आदेश की प्रति जिसके द्वारा कथित आरोपों के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है	आरोपों के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है।
3—अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1987 से सम्बन्धित नोटशीट की प्रतिलिपि	नोटशीट की प्रतिलिपि नियमानुसार देय नहीं है।
4—जनपद गोण्डा में वक्फ कर्मचारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन की प्रतिलिपि	यह दिनांक 17 मई, 1989 के पत्र द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी गयी हैं।
5—जिलाधिकारी, गोण्डा, द्वारा प्रेषित अर्धशासकीय पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1985 तथा 2 अप्रैल, 1986 की नोटशीट की प्रतिलिपि	नोटशीट की प्रतिलिपि नियमानुसार देय नहीं है।
6—वर्ष 1984-85 के डिस्पैच रजिस्टर के उस पेज की प्रति जिस पर श्री जफर हसन, ज्येष्ठ वक्फ निरीक्षक की टिप्पणी अंकित है	पत्र दिनांक 17 मई, 1989 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।
7—दिनांक 10 अक्तूबर, 1986 की डायरी की प्रतिलिपि जो राजस्व अभिलेखागार गोण्डा में उपलब्ध है।	सुसंगत नहीं है।
8—श्री कसीम सिद्दीकी के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई गयी जिसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि	इस प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गयी है।
9—डेड स्टाक रजिस्टर की फोटो कापी के साथ-साथ उस माह के हाजरी रजिस्टर की कापी	पत्र दिनांक 17 मई 1989 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

1	2
10—श्री कसीम सिद्दीकी के स्पष्टीकरण दिनांक 4 अक्तूबर, 1986 पर पारित प्रभारी अधिकारी वक्फ के आदेश की प्रतिलिपि	सुसंगत नहीं है ।
11—उस आदेश की प्रतिलिपि जिसके अनुपालन में वक्फ स्टाफ गोण्डा ने संयुक्त रूप से दिनांक रहित आख्या जिलाधिकारी, गोण्डा को प्रस्तुत की तथा जिलाधिकारी ने दिनांक 25 अक्तूबर, 1986 को उस पर आदेश पारित किये	पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1988 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ।
12—पत्र संख्या 1064/अ0 व0 आ0-86, दिनांक 15 अक्तूबर, 1986 जो वक्फ आयुक्त को प्रेषित है, की नोटशीट की कापी	नोटशीट की प्रतिलिपि नियमानुसार देय नहीं है ।
13—माह अगस्त, 1987 की उपस्थित पंजिका की प्रतिलिपि	पत्र दिनांक 17 मई, 1989 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ।
14—वक्फ स्टाफ हमीरपुर के नकदीकरण से सम्बन्धित नोटशीट, भ्रमण कार्यक्रम व तहसील चरखारी आदि को भेजे गये पत्रों की प्रतियां	नोटशीट नियमानुसार देय नहीं है और शेष अभिलेख सुसंगत नहीं है ।
15—माह मार्च, 1987 की भी उपस्थित पंजिका की प्रतिलिपि	पत्र दिनांक 17 मई, 1989 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ।
16—जिस माह में श्री सिद्दीकी को मेरठ में चिकित्सा अवकाश के वेतन का भुगतान किया गया, उस माह की जनपद गोंडा की उपस्थित पंजिका की प्रतिलिपि	पत्र दिनांक 17 मई, 1989 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ।
17—कार्यालय ज्ञाप संख्या 3632/व0 आ0-3 (6) 87, दिनांक 29 अगस्त, 1987 की प्रतिलिपि	आरोप-पत्र के साथ उपलब्ध करा दिया गया है ।
18—श्री कसीम सिद्दीकी के प्रार्थना-पत्र 24 नवम्बर, 1987 की प्रतिलिपि जो अपर वक्फ आयुक्त/जिलाधिकारी, हमीरपुर को दी गयी ।	यह श्री सिद्दीकी का स्वयं का पत्र है अतः प्रतिलिपि दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

प्रतिलिपि

दिनांक 21 जनवरी, 1989

प्रेषक,

विश्वनाथ सिंह,
उपाध्यक्ष,
हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश ।
10/6-बी, हुकुलगंज, वाराणसी ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
पोस्ट बाक्स नं0 220,
कानपुर ।

महोदय,

दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि निम्नलिखित कर्मचारियों की गेचुटी की अपीलें वर्ष 1981 से 1984 के बीच की आपके यहां लम्बित है जिसमें अधिकांश मजदूर मरनासन्न हैं । यह बहुत ही शोचनीय एवं गम्भीर स्थिति है ।

रत्ना शूगर मिल्स शाहगंज एवं उनके कर्मचारियों के मध्य

1--गंगा सहाय पाण्डेय, पी0 जी0 विवाद संख्या-15/81 ।

2--हौंशिला प्रसाद, पी0 जी0 विवाद संख्या-13/81 ।

3--लाल बिहारी सिंह, पी0 जी0, विवाद संख्या-17/81, अपील संख्या-42/84 ।

4--रामाज्ञा मिश्र, पी0 जी0, विवाद संख्या-18/81, 43/84 ।

उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन एवं उनके श्रमिक

5--विक्रमादित्य तिवारी
6--शिव पूजन सिंह
7--जगधारी सिंह

} अपील संख्या 44, 45, 46 सन् 1984 ।

8--मेहरा सिल्क मिल्स, वाराणसी एवं उसके कर्मचारी रामराज सिंह यादव, पी0 जी0 विवाद संख्या-5/80, एपी0 67/81 ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित अपीलों की तारीख वाराणसी में निश्चित कर तत्काल सुनवायी की जाय जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा में मिलने वाली सुविधा मिल सके । कर्मचारीगण बेरोजगारी हालत में हैं इसलिये कानपुर अपने प्रतिनिधि को भेजने का व्यय नहीं उठा सकते । कानपुर में तारीख पड़ने पर व्यवस्थापक भी समय लेकर कानपुर नहीं जायेंगे जिससे कर्मचारीगण को परेशानी होगी ।

भवदीय,

(ह0) विश्वनाथ सिंह,

उपाध्यक्ष,

हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1--श्रम मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2--श्री रविन्द्र तिवारी, विधायक, रायल होटल, लखनऊ, विधान सभा में प्रश्न उठाने हेतु ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

परिशिष्ट 'अ'

मण्डल द्वारा स्वीकृत धनराशि का विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	
					आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर प्राइमरी पाठशाला, कीरतपुर धीरी	19,000	19,000	19,000	19,060	3,000
2	डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, कन्जा चकरपुर, बरेली	19,000	19,000	19,060	29,595	10,000
3	डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर छात्रावास, फरीदपुर	6,690	8,340	8,340	8,340	15,000

परिशिष्ट "ब"

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली द्वारा भुगतान की गयी धनराशि का विवरण :

क्र0सं0	संस्था का नाम	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0	रु0	रु0
1	डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, कीरतपुर, धीरी	19,000	19,000	19,060	31,981
2	डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला, कन्जा चकरपुर, बरेली	19,000	19,000	19,060	39,595
3	डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर छात्रावास, फरीदपुर, बरेली	6,690	8,340	8,340	29,640

पी0 एस0 यू0 पी0—36 वि0 सभा-7-12-89—813 प्रतियां (पी0 डी0) ।